खण्ड-147, अंक-5
शुक्रवार, 3 पौष, शक संवत् 1876
(24 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 147 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय			पृष्ठ-संख्या
आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन	..		३४५
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार का कार्यक्रम	..		३४५–३४६
उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ (विधेयक को विचाराधीन लेने के प्रस्ताव पर तथा उसे संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन पर विचार जारी)	..		३४६–३८५
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचारोपरान्त पारित)	..		३८६–३९०
राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र लोनी, जिला मेरठ से सम्बद्ध १६ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न ४१–४२ के विषय पर विवाद	.		३९०–३९५
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम	..		३९५–३९६
नत्थियां	..	..	३९७–४०१

विधान पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजाहुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दातारास, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुधधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
राजकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सालिग्राम जायसवाल ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री झारखंडे राय (जिला आज़मगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*४–६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*७–९—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया।]

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थानान्तरित किया गया।]

लकारा, तहसील झांसी के श्री चतुर सिंह का कत्ल

*१२—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि ग्राम लकारा (तहसील झांसी) के कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री चतुर सिंह को पिछले हफ्ते में क़त्ल कर दिया गया है ?

कारावास उप मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—श्री चतुर सिंह का क़त्ल २० सितम्बर, १९५४ को हुआ।

*१३—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि उन्होंने क़त्ल हो जाने के पूर्व पुलिस को इत्तला की थी कि उनको मारे जाने का खतरा है? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट थी और पुलिस ने उनकी रक्षा के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी?

श्री मुजफ्फर हसन—श्री चतुर सिंह ने I. P. C. की धारा ५०४/५०६ के अन्तर्गत गालियों व जान से मारने की धमकी देने के बारे में थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। मामला गैर दस्तन्दाजी (non-cognizable) होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९७ पर।)

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम रिपोर्ट में दर्ज हैं उनमें से कितने लोगों के नाम मुकदमा चल रहा है?

श्री मुजफ्फर हसन—जहां तक मुझे याद है दो आदमियों के खिलाफ चल रहा है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने ठाकुर चतुर सिंह की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया था?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी कोई हाजत नहीं थी। उनकी जो रपट थी उसमें उनको हिदायत दी गयी थी कि वह मामला चला सकते हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से हत्या हुई है?

श्री मुजफ्फर हसन—कहा जाता है कि उनके घर में जो उनका दामाद रहता था उसका संबंध कातिलों की बहन या लड़की से हो गया था, यही वजह दुश्मनी होने की थी।

कानपुर में दफा १४४ का दीर्घकालिक प्रयोग

*१४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या गृह मंत्री कृपा कर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १, तारीख २९-९-५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतायेंगे कि पिछले दो वर्षों में किन-किन अवधियों में कानपुर शहर में दन्ड विधान संग्रह की धारा १४४ लागू नहीं थी?

श्री मुजफ्फर हसन—१९५२ व १९५३ में कानपुर में निम्नलिखित अवधियों में दन्ड विधान संग्रह की धारा १४४ लागू नहीं थी :—

१ जनवरी, १९५२ से ८ जनवरी, १९५२ तक।
१ फरवरी, १९५२ से २६ फरवरी, १९५२ तक।
२७ अप्रैल, १९५२ से ४ मई, १९५२ तक।
२६ सितम्बर, १९५२ से ११ नवम्बर, १९५२ तक।
२३ मार्च, १९५३ को।
२६ अगस्त, १९५३ से २८ अगस्त, १९५३ तक।
८ नवम्बर, १९५३ को।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या वजह है कि कानपुर में दो वर्ष में केवल ३ महीने ही दफा १४४ लागू नहीं थी?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि नागपुर आदि हाईकोर्ट्स ने दफ़ा १४४ का लगाया जाना विधान के विरुद्ध बताया है तो क्या सरकार इस दफा के हटाये जाने पर विचार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी उन मुख्तलिफ वजूहात पर रोशनी डालेंगे जिनकी वजह से दफा १४४ इतने दिनों तक लागू रही ?

श्री मुजफ्फर हसन---कई मौके पर ट्राफिक कंट्रोल के लिये दफा १४४ लगायी गई, एक सिनेमा चल रहा था उसके बारे में कुछ बैचैनी थी, उस मौके पर लगायी गयी, कुछ मुस्लिम तकवियात कमेटी दो बनी थीं, उनका आपस में झगड़ा था, उस मौके पर लगायी गयी, जनरल एलेक्शन के मौके पर लगायी गयी, एक मर्तबा कांग्रेस एलेक्शन के मौके पर लगायी गयी और कुछ जनाना घाटों पर मर्द अनुचित रूप से पहुंच जाते थे, उनके लिये भी लगायी गयी और भी इस तरह के बहुत से वजूहात हैं ।

पुलिस विभाग में महिलाओं का अभाव

*१५---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या क्या है तथा उक्त महिलायें किस संख्या में किस प्रकार के पदों पर कार्य करती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---प्रदेश के पुलिस विभाग में इस समय कोई महिला नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार के सामने यह तजवीज जेरे गौर है कि प्रदेश की पुलिस में महिलाओं को भी स्थान दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुछ महिला पुलिस सन् १९४८ में मुकर्रर हुई थी लेकिन उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई इसलिए उसको खत्म कर देना पड़ा ।

भावी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की रूपरेखा

*१६---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक सदन में लाने का कब तक विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)---यह सरकार के विचाराधीन है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी किस प्रकार की बननी चाहिये। निर्णय के पश्चात् विधेयक यथा-संभव शीघ्र सदन में लाया जायगा ।

*१७---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने अब तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की कितनी धनराशि दी है ?

डाक्टर सीताराम---सरकार ने २ लाख रुपया दिया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पूर्वी ओर की चीनी मिलों के १९४९ के फालतू शीरे की बिक्री से भी ५,५०,००० रु० सरकार द्वारा ही दिया गया है ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकार ने जो कमेटी इस बात की जांच करने के लिये बनायी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का किस तरीके का कानून बनाया जाय, उस कमेटी ने अब तक क्या-क्या काम किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)---उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट पर अब तक क्या निर्णय किया है ?

श्री हरगोविंद सिंह---उत्तर तो दिया गया है कि वह इस वक्त विचाराधीन है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अगले दो-तीन महीने के भीतर गोरखपुर युनिवर्सिटी विधेयक सदन के सामने आ जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी आशा की जा सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या रिपोर्ट के अनुसार वह युनिवर्सिटी एफिलिएटेड बनेगी या टीचिंग और रेजिडेंशल युनिवर्सिटी बनेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सब विचाराधीन है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि इन दो लाख और ५ लाख रुपये के अलावा जनता से कितना रुपया फाउण्डेशन सोसाइटी ने वसूल किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—निश्चित रक़म तो नहीं बतलायी जा सकती है लेकिन मेरा खयाल है कि शायद उनके पास १६ या २० लाख रुपये के प्रामिसेज हैं। अब उसमें उन्होंने कितना एकत्र किया है और तिना प्रामिस है यह निश्चय पूर्वक नहीं बतला सकता हूं ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह प्रान्त में गोरखपुर के अतिरिक्त और कितनी यूनिवर्सिटीज़ खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस समय गोरखपुर युनिवर्सिटी और एक संस्कृत युनिवर्सिटी बनारस में खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि फाउंडेशन सोसाइटी को मिलती है उसमें वृद्धि करने के लिये वह शीरे का भाव बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रति साल ५ लाख रुपया शीरे से नहीं मिलता है। एक साल का दिया गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस विश्वविद्यालय के संचालन में कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो इस वक्त बताना मुश्किल है कि कितने धन की आवश्यकता होगी और यह सब विश्वविद्यालय की रूपरेखा पर कि किस प्रकार की कितनी कक्षायें आदि होगी, इस पर निर्भर करता है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या यह सही है कि गोरखपुर की यूनिवर्सिटी एक रूरल यूनिवर्सिटी बनाई जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सब विचाराधीन है ।

जगदीश शुगर मिल कठकुइयां, जिला देवरिया के मजदूरों का बकाया वेतन

*१८—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया जगदीश शुगर मिल कठकुइया के मजदूरों का वेतन सन् १९५२-५३ और ५३-५४ का कितने दिनों का और कितना बाकी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जगदीश शुगर मिल, कठकुइयां, जिला देवरिया के मजदूरों का १९५३-५४ का चार मास २० दिन का कुल ७९,९३६—१०—० रुपया वेतन बाकी है । साल ५२-५३ का कोई वेतन बाकी नहीं है ।

*१९—श्री राम सुभग वर्मा—सरकार शुगर मिल, कठकुइयां के मजदूरों के बाकी वेतन दिलाने का कौन सा बन्दोबस्त कर रही है और वह बाकी वेतन कब तक मिल जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—शासन ने आथाराइज्ड कंट्रोलर से इस सम्बन्ध में बातचीत की है। यह आशा की जाती है कि बकाये का कुछ अंश बहुत शीघ्र, और लगभग कुल बकाया, अगले अप्रैल, मई तक मजदूरों को मिल जायगा।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तारीख तक वह मजदूरों का वेतन दे दिया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई तारीख नहीं मुकर्रर की जा सकती।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि इस मजदूरी के लिये शुरू सीजन में मजदूरों ने वहां हड़ताल की थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि कठकुइयां शुगर फैक्टरी पर २ साल से सरकार का इन्तजाम है और जिस वक्त सरकार ने मौजूदा आथाराइज्ड कंट्रोलर को मिल दी थी, उस वक्त मजदूरी चुकाने का वादा किया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—हो सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मजदूरों और मिलमालिकों में वहां कोई समझौता हुआ था कि एक हफ्ते में मजदूरी अदा कर देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी मुझे कोई खबर नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को इसका पता है कि जिलाधीश ने वहां चीनी को कुर्क करके वहां के मजदूरों के वेतन की अदायगी को रोक दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन— इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कठकुइयां शुगर मिल के आथाराइज्ड कंट्रोलर कौन साहब हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये भी सूचना की जरूरत है।

डाकू मान सिंह, लाखन सिंह के गिरोहों को पकड़ने का प्रयत्न

*२०—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मान सिंह, लाखन सिंह गिरोहों के विरुद्ध जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरहद पर तीनों राज्यों की ओर से संयुक्त कार्यवाही हो रही है उससे सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इन गिरोहों को अब तक काफी नुकसान पहुंच चुका है। मान सिंह के मुख्य साथी चरना मल्लाह के गिरोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। उसके लड़के तहसीलदार सिंह को हाल में गिरफ्तार किया जा चुका है तथा उसके दो अन्य साथी पुलिस की गोली के शिकार हो चुके हैं। लाखन सिंह के भी दो भाई मारे जा चुके हैं।

*२१. –श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों गिरोहों के कितने आदमी गिरफ्तार हुए और कितने मारे गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—१३ गिरफ्तार हुये और २० मारे गये।

*२२—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुलिस को इन आपरेशंस में कितनी क्षति उठानी पड़ी है तथा उनके कितने आदमी मारे गये अथवा घायल हुये ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई माली नुकसान नहीं हुआ। ७ आदमी मारे गये और ८ घायल हुये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन गिरोहों को जहां से हथियार और ऐम्यूनीशन्स मिलते हैं उन सोर्सेज का पता सरकार को अभी तक लग सका है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—अगर कोई सोर्स की इत्तिला होती तो वह जरूर बन्द कर दिये जाते।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह क्षति जो आदमियों की हुई है उनके अलावा अब कितने आदमी इस गैंग के बाकी रह गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—बहुत थोड़े आदमी रह गये हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस गैंग को हथियार जो दिये जा रहे हैं वह अवकाश प्राप्त मिलिटरी अफसरों से या भूतपूर्व देशी राजाओं से दिये जा रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसी कोई इत्तला नहीं है। हो सकता है यह बात ठीक हो।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि २२वें प्रश्न के अन्तर्गत जो संख्या बतलाई गई है वे केवल उत्तर प्रदेश की हैं या ज्वाइन्ट आपरेशन जो हो रहा है उन कुल की हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कुल ही की मालूम होती हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गिरोह के सम्बन्ध में इस प्रदेश के कितने गजटेड आफिसर्स, सब इस्पेक्टर्स और सिपाही कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि जो पुलिस फोर्स वहां डाकुओं को पकड़ने के लिये तैनात है वह ज्यादातर, एस० पीज; डी० एस० पीज, और कलेक्टरों के बंगलों पर तैनात है। इस कारण इस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह बिल्कुल गलत है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में रिटायर्ड आफिसरों की भर्ती की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने आदमी मारे गये हैं उनमें यू० पी० के कितने आदमी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—उसका कोई अलग व्योरा तो नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक यू० पी० में कितने आदमियों को गिरफ्तार किया जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने मानसिंह या लाखनसिंह गैंग को शरण दी है?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस गिरोह के नेता मानसिंह उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में हैं अथवा तिब्बत के रास्ते में हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—अगर जगह मालूम होती तो वह गिरफ्तार हो गये होते।

*२३—श्री राम सुभग वर्मा—[स्थगित किया गया।]

*२४-२५—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद कोतवाली की इमारत

*२६—श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसका विचार इलाहाबाद की कोतवाली को हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने का है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू—क्या सरकार मौजूदा कोतवाली की इमारत को डिस्मैंटिल करने जा रही है? यदि हां, को कब तक?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा ख्याल जरूर है लेकिन जब तक माली कठिनाई है तब तक उसमें दिक्कत है।

कानपूर, इलाहाबाद, बनारस तथा लखनऊ में यू० पी० सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रैफिक ऐक्ट का प्रवर्तन

*२७—श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, इलाहाबाद, बनारस तथा लखनऊ में U. P. Suppression of Immoral Traffic Act (VIII) of 1933 की क्रमशः कौन-कौन सी धारायें लागू हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—बनारस में धारा १० और ११ तथा कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में धारा ११ लागू हैं।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या सरकार उत्तर प्रदेश के कबाल टाउन्स में इस ऐक्ट की सारी दफाओं को लागू करने पर विचार करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—इसका कोई सवाल अभी तो सामने नहीं है।

*२८—श्री लक्ष्मण राव कदम—[हटा दिया गया।]

*२९—३०—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[स्थगित किये गये।]

*३१—३३—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—[स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद में लेबर क्वार्टर्स की मांग

*३४—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गाजियाबाद के कारखानेदारों का ऐसा प्रार्थना-पत्र उसे मिला है कि जिसमें मांग की गई है कि

गाजियाबाद में कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए १ हजार क्वार्टर बनाये जायं ? यदि हां, तो सरकार इस योजना को कब तक चालू कर देगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

श्री तेजा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले दिनों में गाजियाबाद का एक डेपुटेशन माननीय उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्री जी से मिला था और उसने उनसे प्रार्थना की थी कि वहां लेबर के लिये क्वार्टर बनाये जायं।

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, यह सच है।

श्री तेजा सिंह—उनकी इस प्रार्थना के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—हमदर्दी से विचार किया जा रहा है।

*३५-३७—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[स्थगित किये गये।]

कानपुर में राज्य श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

*३८—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में सन् १९५२-५३ में और जुलाई, १९५४ तक अलग-अलग वर्ष में कुल कितने-कितने श्रमिकों पर राज्य श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—१९५२ में १,००,०४८ व्यक्तियों पर। १९५३ में १,२४,८१९ व्यक्तियों पर, जुलाई, १९५४ तक १,३२,९८० व्यक्तियों पर।

*३९—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ और जुलाई, १९५४ तक में अलग-अलग वर्ष में कितने-कितने श्रमिकों ने इस योजना के अनुसार खुले हुये दवाखानों से लाभ उठाया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—१९५२ में ३,४२,२८१ व्यक्तियों ने। १९५३ में ८,५५,१७८ व्यक्तियों ने, जुलाई, १९५४ तक ४,७२,३९८ व्यक्तियों ने।

*४०—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या यह सच है कि राज्य श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के डिप्टी डाइरेक्टर ने कानपुर के सरकारी अस्पतालों को पत्र भेजकर यह सूचना दी है कि वह राज्य श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभ उठाने वाले श्रमिकों को एक नियत मूल्य तक की ही दवाइयां दिया करें ? यदि हां, तो वह नियत मूल्य क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस बीमा योजना के लिये कितना धन मिल मालिकों से, कितना मजदूरों से और कितना सरकार से लिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना से श्रमिकों को क्या-क्या लाभ हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें दवा इलाज का फायदा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार उधर पडरौना, कठकुइयां और खड्डा मिल के मजदूरों पर लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल कानपुर का है। आपका पूरक प्रश्न इससे उठता नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन मजदूरों पर यह योजना लागू की गई थी उनसे ज्यादा संख्या में इससे लोगों ने फायदा उठाया या उतनों ही ने ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने संख्या बता दी है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में योजना के अन्तर्गत कितने दवाखाने हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन दवाखानों में केवल मजदूरों को ही दवा मिलती है या उनके परिवार वालों को भी ?

श्री मुजफ्फर हसन—सबको मिलती होगी।

*४१-४२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[स्थगित किये गये।]

रामपुर जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा हरिजनों का धर्म-परिवर्तन

*४३—श्री दाऊदयाल खन्ना (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)— क्या यह सच है कि हाल ही में रामपुर जिले में ईसाई मिशनरीज ने बहुत बड़ी संख्या में हरिजन भाइयों को अनुचित रीति से ईसाई बनाया और उनकी चोटी के बाल काट कर उन्हें अमरीका भेजा ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सच है कि रामपुर जिले में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कुछ हरिजन कुटुम्बों को ईसाई बनाया परन्तु थोड़े ही अरसे के बाद इनमें से ज्यादातर ईसाई धर्म छोड़ कर फिर हिन्दू बन गये।

*४४—श्री दाऊदयाल खन्ना (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस प्रकार कितने हरिजन ईसाई बनाये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—ईसाई बनाते समय चोटियां प्रथा के अनुसार काट दी गई थीं। इसका कोई प्रमाण नहीं कि उनकी चोटी काट कर उन्हें अमेरिका भेजा गया।

*४५—श्री दाऊदयाल खन्ना (अनुपस्थित))—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में उसकी क्या नीति है और वह क्या कार्यवाही कर रही है जिससे विदेशियों द्वारा अनुचित प्रकार से धर्म-परिवर्तन न कराया जा सके ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार न तो किसी को धर्म प्रचार करने से रोकना चाहती है और न समाज सेवा मार्ग में बाधा डालना चाहती है परन्तु वह यह जरूर चाहती है कि इन कामों में अनुचित उपायों से काम न लिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार ने रामपुर में इसकी जांच कराई कि उनकी चुटिया काटी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि ऐसे खतरनाक जमाने में जब कि सूबे की हालत ठीक नहीं है ईसाइयों को इस तरह से धर्म प्रचार करने से रोका जा सकेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न संख्या ४५ में मैं इन सवालों का जवाब दे चुका हूं।

---

* नोट—तांराकित प्रश्न ४३-४५ तक श्री शिवनारायण ने पूछे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि ईसाइयों की इस हरकत से अवाम में गम व गुस्सा फैला हुआ है और इसकी इत्तला उन्होंने गवर्नमेंट को दी है?

श्री मुजफ्फर हसन—जहां तक गम व गुस्सा का सम्बन्ध है वह सही है। इत्तला के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उस अनुचित रीति में केवल चुटिया काटना ही है या कोई और भी प्रकार है?

श्री मुजफ्फर हसन—अगर कोई धर्म बदल लेता है और उसकी चुटिया काट दी जाय तो उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया वह अनुचित था।

*४६-४८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[स्थगित किये गये।]

मामन कलां, जिला बुलंदशहर में डकैती

*४९—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांव मामनकलां, थाना, जिला बुलन्दशहर में ता० २०, २१ दिसम्बर, सन् १९५३ ई० को डकैती पड़ी, जिसमें सालिक राम खटिक डाकुओं की गोली से जान से मारा गया और एक कान्स्टेबिल और कई अन्य लोग डाकुओं की गोली से घायल हुये?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*५०—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार इस मरे हुये व्यक्ति के वारिशों व अन्य घायल आदमियों को कुछ सहायता देने का विचार रखती है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, मरे हुए व्यक्ति की विधवा को रुपया १५ मासिक पेंशन मंजूर की गई है। घायल व्यक्तियों को आर्थिक इनाम देने के बारे में संबंधित मुकदमा समाप्त होने पर फैसला किया जावेगा।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह सही है कि इस मौके पर सब-इन्सपेक्टर थाना, मिस्टर दीक्षित और पुलिस के कुछ और सिपाही भी आ गये थे?

श्री मुजफ्फर हसन—हो सकता है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि इस सब-इन्सपेक्टर और इन सिपाहियों ने हिम्मत से काम लिया और एक डाकू को जख्मी कर दिया?

श्री मुजफ्फर हसन—जी, लिया होगा यह तो ठीक ही बात है।

*५१—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[स्थगित किया गया।]

हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्थानीय निकायों से मिलने वाले अनुदान

*५२—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश के कुछ हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्थानीय निकायों से मिलने वाले वार्षिक या मासिक अनुदान बन्द कर दिये गये हैं?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*५३—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार ऐसे स्कूलों को प्रान्तीय शिक्षा विभाग से मिलने वाले अनुदानों में वृद्धि करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि तीन वर्ष पूर्व एक आदेश सरकार ने म्यूनिसिपैलिटियों को दिया था कि वह अपने यहां के हायर सैकेंडरी स्कूलों को ग्रान्ट देना बन्द कर दें ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां। एल० एस० जी० और ऐजूकेशन डिपार्टमेंट ने मिल करके एक जी० ओ० इश्यू किया था।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह भी सही है कि वह आदेश फिर वापस ले लिया गया ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार ऐस स्कूलों को जिनकी ग्रान्ट म्यूनिसिपैलिटी से बन्द हो गई, अपनी विभागीय ग्रान्ट देने के लिये रजामन्द है ?

श्री हरगोविंद सिंह—नहीं, वह तो आदेश ही वापस कर लिया गया। तो आशा यह की जाती है कि वे म्यूनिसिपैलिटीज अपने स्कूलों को ग्रान्ट देती होंगी।

*५४-५५—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—[स्थगित किये गये।]

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पति और पत्नी मुलाजिमों को एक जगह रखने का आदेश

*५६—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने कोई जी० ओ० नं० ४९८२, दिनांक ७ अगस्त, १९५२ शिक्षा संचालक के पास इस आशय का भेजा है कि यदि पति और पत्नी मुलाजिम हों तो उन्हें एक ही जिले में और एक ही स्थान में रखा जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उस जी० ओ० की एक प्रति मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। जी० ओ० नं० ४९८२, दिनांक ७ अगस्त, ५२ की प्रति मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९८ पर।)

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार के पास प्रान्त के और खासतौर से गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शिकायत जनता की तरफ से आयी है कि इस जी० ओ० का लिहाज नहीं किया जा रहा है ?

श्री हरगोविंद सिंह—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी है।

बेड़ारू, ज़िला रायबरेली में एक स्त्री की आत्महत्या

*५७—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि ग्राम बेड़ारु, थाना बछरावां, जिला रायबरेली में एक स्त्री ने गत २५-९-५४ को कुएं में गिरकर अपने प्राण दिये ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, पुलिस ने मामले की जांच की जिससे यह पता चला कि मौत खुदकुशी से हुई थी।

रायबरेली जिले के राजमहल में गोलीकांड

*५८—श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि रायबरेली जिले के किसी राजमहल में हाल ही में रात्रि के समय बन्दूक से गोलियां चलाई गईं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

*५९—श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि इस गोली कांड से सम्बन्धित सूचना रायबरेली पुलिस अधिकारियों को मिली थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी कोई रिपोर्ट थाने में नहीं की गई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट, अखबारों में जो सूचना किसी विभाग के बारे में निकलती है उसे विभाग के पास भेजता है?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर भेजता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस चीज की कोई सूचना इन्फार्मेशन विभाग से सरकार को मिली?

श्री मुजफ्फर हसन—मिली होगी।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने पर पुनः रायबरेली गोलीकांड की जांच करायेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—हर अफवाह पर कोई इन्क्वायरी होना जरूरी नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ऐसा नहीं था। माननीय सदस्य ने जो इत्तला यहां अभी दी है क्या उसके भरोसे पर आप इन्क्वायरी कराना चाहते हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—जो इत्तला दी है, उससे किसी खास जुर्म का पता नहीं चलता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री राघवेन्द्र शुक्ल ने इस सिलसिले में वहां के सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस को लिख कर भेजा?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

प्रदेश की जेलों में रेडियो का प्रबंध

*६०—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की कितनी जेलों में रेडियो सेट दिये गये हैं?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अभी तक प्रदेश की २० जेलों में रेडियो सेट लगाए गए हैं।

*६१—श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)—क्या कानपुर जिला जेल में इस वर्ष कुछ पुस्तकें और रेडियो सेट देने पर सरकार विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर जिला जेल को इस वर्ष १३३ पुस्तकें दी गई हैं और वहां के जिला अपराध निरोधक समिति ने रेडियो सेट जेल को भेंट करने को कहा है।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की आर्थिक कठिनाई दूर करने के उपाय

*६२—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार चीनी मिलों में उत्पन्न शीरे (मालेसेस) के बिकवाने का ऐसा प्रबन्ध करने जा रही है जिससे पहिले से अधिक आय हो और वह आय यूनिवर्सिटी को मिले?

डाक्टर सीताराम—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि गोरखपुर युनिवर्सिटी की आर्थिक कठिनाई दूर हो जाय?

श्री हरगोविंद सिंह—आर्थिक कठिनाई दूर होने पर विचार हो जाय लेकिन जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि इस समय शीरे का भाव कंट्रोल में साढ़े चार रुपये मन है जब कि उसका बाजार रेट एक रुपया और एक रुपये से डेढ़ रुपये तक है?

श्री हरगोविंद सिंह—इसकी कोई इत्तिला शिक्षा मंत्री को नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इसकी सूचना इकट्ठी करने की कृपा करेंगे कि उसकी आमदनी से गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सहायता प्राप्त हो सकेगी या नहीं?

श्री हरगोविंद सिंह—इसकी आवश्यकता मैं स्वतः नहीं समझता।

थानेदार, मिस्टर जाफरी पर पाकिस्तान गमन का सन्देह

*६३—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या यह सत्य है कि बाराबंकी जिले के पुलिस थानेदार मिस्टर जाफरी पाकिस्तान भाग गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनके भागने के कारणों को जानने के लिये कोई जांच की है?

श्री मुजफ्फर हसन—श्री जाफरी ५ नवम्बर, सन् १९५३ से ४५ दिन के अवकाश पर गये थे। वह छुट्टी समाप्त होने पर काम पर वापस नहीं आये और उनका कुछ पता नहीं है। इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि वह पाकिस्तान चले गये हैं। उनके भागने के कारण की कोई जांच नहीं की गई है क्योंकि यह आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त थानेदार के खिलाफ किसी थाने से चोरियों और डकैतियों के दर्ज न कराने की रिपोर्ट मंडल कांग्रेस कमेटियों और जनता की ओर से आई है?

श्री मुजफ्फर हसन— इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा उक्त दारोगा को तार, चिट्ठी और वारंट भी जारी किये गये और फिर भी न आने के कारण अनेकों केस बर्बाद हो गये?

श्री मुजफ्फर हसन—हो सकता है यह ठीक हो।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त थानेदार हमारे देश में मौजूद हैं या बाहर हैं? अगर हां, तो सरकार बतायेगी और नहीं तो सरकार गुप्त विभाग द्वारा जांच करायेगी?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न के आखिर का हिस्सा छोड़ कर जवाब दे दीजिये।

श्री मुजफ्फर हसन--इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं कि उनका पता नहीं है।

*६४--६५--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--[स्थगित किये गये।]

उच्चतर बालिका विद्यालय, अल्मोड़ा के लिए इमारत की आवश्यकता

*६६--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर बालिका विद्यालय, अल्मोड़ा को अपनी कोई इमारत नहीं है?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*६७--श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उपर्युक्त विद्यालय को इमारत के लिये डियोडी पोखर की जमीन ऐक्वायर की है?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*६८--श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार का इरादा कब तक इमारत बनाने का है?

डाक्टर सीताराम--इमारत बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि डियोडी पोखर में विद्यालय के लिये जो जमीन एक्वायर की गई है उसको एक्वायर किये चार साल हो गये?

श्री हरगोविंद सिंह--मेरा ख्याल है कि अप्रैल, १९५३ में एक्वायर हुई है। इस हिसाब से चार साल शायद नहीं हुये होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी अगले वर्ष के बजट में इस इमारत को बनाने के लिये कोई प्राविजन रखने का विचार करते हैं?

श्री हरगोविंद सिंह--पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से एस्टिमेट्स मांगे गये हैं लेकिन किसी खास इमारत के लिये बजट में अलग-अलग प्राविजन नहीं होता है।

*६९--श्री नारायण दत्त तिवारी--[स्थगित किया गया।]

*७०--श्री नारायण दत्त तिवारी--[स्थानान्तरित किया गया।]

*७१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[स्थगित किया गया।]

प्रतापगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी सहायता

*७२--श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में अनिवार्य शिक्षा क्षेत्र में कितने मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और उनको सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये क्या-क्या सहायता प्रदान की है?

डाक्टर सीताराम--एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९९ पर।)

श्री रामअधार तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि आर्थिक सहायता जो सन् १९५४-५५ के बजट के लिए दी गई है उसका वितरण शिक्षा संचालक के कार्यालय से हुआ है या मंत्री महोदय के मंत्रालय से?

नोट--तारांकित प्रश्न ६६ से ६८ तक श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे।

श्री हरगोविंद सिंह—यह सब शिक्षा संचालक के कार्यालय से होता है।

श्री रामअधार तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि तिलकधारी हायर सेकेंडरी स्कूल को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई?

श्री हरगोविंद सिंह—यह जरूरी नहीं है कि सब स्कूलों को ग्रांट दी ही जाय।

धौन, जिला अल्मोड़ा में जल-कष्ट निवारण का उपाय

*७३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के टनकपुर-लोहाघाट मोटर रोड के धौन गांव के पड़ाव पर पीने के पानी के कष्ट निवारण-हेतु वहां के निवासियों और सरकार में दो साल से लिखा-पढ़ी हो रही है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम—सरकार को प्राप्त सूचना से विदित होता है कि सर्वप्रथम इस प्रकार का आवेदनपत्र जिला नियोजन अधिकारी को सितम्बर, १९५४ को मिला था। इस वर्ष अल्मोड़ा जिला को पीने के पानी की योजनाओं के लिये १२,५०० रु० का अनुदान सरकार के विचाराधीन है, जिसके स्वीकृत हो जाने पर ही इस आवेदन-पत्र पर भी अन्य आवेदन-पत्रों के साथ विचार किया जायगा।

*७४—श्री खुशीराम—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस मोटर रोड के धौन गांव के पड़ाव पर उस जगह से ४,५ फर्लांग उत्तर में पानी के झरने से एक या डेढ़ इंच के नलों से पानी आ सकता है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*७५—श्री खुशीराम—क्या सरकार उपर्युक्त पानी के कष्ट निवार उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री खुशी राम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के अनुदान से अगले वर्षों में ज्यादा या कम मिली थी अनुदान?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग सिर्फ हरिजनों के पानी पीने का इन्तजाम करता है औरों का नहीं करता?

श्री हरगोविंद सिंह—शिक्षा विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है, यह तो हरिजन सहायक डिपार्टमेंट है, उससे संबंधित है।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अनुदान पर कब तक विचार हो जाने की आशा है?

डाक्टर सीताराम—शीघ्रातिशीघ्र।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पानी को वहां के सिर्फ हरिजन लोग पीयेंगे या और लोग भी पी सकेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—उपाध्याय जी भी पी सकते हैं।

इलाहाबाद में अटाला व रसूलपुर का झगड़ा

*७६—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लगभग दो महीने पूर्व जो झगड़ा इलाहाबाद नगर में मुकाम अटाला और रसूलपुर में हुआ था उसमें कितने आदमी पकड़े गये थे और कितने आदमी घायल हुये थे?

श्री मुजफ्फर हसन---१९-६-५४ के रसूलपुर और अटाला के झगड़े में ९ व्यक्ति घायल हुये और ११५ पकड़े गये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों की जमानत कोतवाली में हुई और कितनों की कचहरी में हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह लोग किस दफा में गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---बहुत सी दफायें थीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह क्यों गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---उन्होंने झगड़ा किया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में झगड़े का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह केस कोर्ट में है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह झगड़ा क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दिया है कि यह केस कोर्ट में है इसलिये बताना नहीं चाहते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस समय यह झगड़ा हुआ था माननीय मंत्री जी वहां मौजूद थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि झगड़े की इत्तला जो कोतवाली में की गई थी, उसमें वजह लिखी गयी थी कि किस कारण झगड़ा हुआ, वह वजह क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां, लिखी गयी थी, वह मालूम है। वह यह है कि एक आदमी एक मुहल्ले का दूसरे मुहल्ले में जाकर कबाब खरीद कर लाया और उसके बाद में वह वापस करने गया कि यह बासी है और झगड़ा हो गया ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब को मालूम है कि जो लोग गिरफ्तार किये गये थे उनमें कुछ लोग अब तक ऐसे हैं जिनकी जमानत नहीं हुई या सब लोगों की जमानत हो गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मुजफ्फर हसन कोतवाली में जमानत कराने गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--बिलकुल गलत है ।

हरिजन कांफ्रेंस रमपुरा टांडा, जिला बदायूं में श्री सागर की गिरफ्तारी

*७७--श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि १३ जून, ५४ को दलित वर्ग संघ की एक सभा मौजा रमपुरा टांडा, जिला बदायूं में हुई थी ? क्या उसमें सुपरिंटेंडेंट पुलिस तथा जिलाधीश भी उपस्थित थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां ।

*७८--श्री नेत्रपाल सिंह--क्या यह सच है कि उस सभा में श्री एस० पी० महोदय थानेदार के विरुद्ध रिश्वत की बात तत्क्षण सिद्ध करने लिये जबरन श्री सगर जी को पकड़ कर ले गये थे ? यदि हां, तो फिर उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं । बिलसी के थानेदार के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत दफा ७ की कार्यवाही हो रही है। सभा समाप्त हो जाने के बाद श्री सगर स्वयं इस जांच के सम्बन्ध में पुलिस कप्तान के साथ गये थे ।

श्री नेत्रपाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सगर जी कप्तान साहब के साथ गये तो क्या जांच सत्य निकली ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैंने जवाब दिया कि सब-इंसपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, तो वह सच निकली तभी तो कार्यवाही हो रही है ।

श्री गेंदासिंह--ऐसी सभा में एस० पी० के जाने की क्या जरूरत थी और वह क्यों गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस सवाल से इसका ताल्लुक मालूम नहीं होता है ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह की सभाओं में जाने की इजाजत जिले के अधिकारियों को है ?

श्री मुजफ्फर हसन--हरिजन कांफ्रेंस में जाने में तो कोई हर्ज नहीं मालूम होता।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब सगर जी को पकड़ कर के मोटर में ले गये थे, उस वक्त बयान देते वक्त सगर जी ने यह कहा था कि तुमने पब्लिक में यह कहा था कि अगर यह सिद्ध नहीं हुआ तो पासा उलट जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं नहीं जानता कि यह किस तरफ इशारा है, बहरहाल मैं तो जवाब दे चुका हूं कि वह अपनी खुशी से साथ गये थे उस मामले की जांच के लिये ।

श्री रामप्रसाद देशमुख--एस० पी० महोदय ने जब उनके साथ में यह व्यवहार किया था तो क्या उन्होंने दूसरे दिन सरकार के पास लिख कर भेज दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री मुहम्मद शहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके फरमायेगी कि यह सुपरिंटेंडेंट पुलिस जो जलसे में गये थे वे कलेक्टर साहब की इजाजत और हुक्म से जलसे का इन्तजाम देखने के लिये गये थे ?

श्री मुजपफर हसन--हो सकता है। कलेक्टर साहब खुद भी वहां थे।

श्री शिव नारायण--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरिजन सहायक विभाग की तरफ से जो हरिजन सम्मेलन होता है वह सरकार की सहायता से होता है और इसीलिये कप्तान और कलेक्टर निमंत्रण पर उसमें शरीक थे ?

श्री मुजपफर हसन--जी हां, यह सही है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--जिन लोगों ने थानेदार को रिश्वत दी थी क्या उनके नाम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजपफर हसन--उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

मैनपुरी जिले में क़त्लों की अधिकता

*७९--श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में जून, जुलाई व अगस्त, १९५४ में कितने कत्ल हुये और उनमें से कितने किन-किन हथियारों से हुये ?

श्री मुजपफर हसन--मांगी हुई सूचना संलग्न पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०० पर।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस थोड़े से समय में इतनी बड़ी संख्या में यह कत्ल हो जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

श्री मुजपफर हसन--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

हाथी करौदा, मुजपफरनगर की हरिजन कालोनी को सहायता

*८०--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर (हाथी करौदा) में हरिजन कालोनी के लिये सरकार ने और वहां की ग्राम पंचायतों ने कुल कितना धन दिया है और यह धन कब दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--मुजफ्फरनगर (हाथी करौदा) में हरिजन कालोनी के लिये सरकार और वहां की ग्राम पंचायत ने कुल ४,००० रु० दिया है। यह धन कब दिया गया है, इस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

*८१--श्री रामदास आर्य--क्या यह सही है कि वहां अभी तक कुछ भी कार्य शुरू नहीं हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री राम दास आर्य--कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय सरकारी धन कितना है ?

डाक्टर सीताराम--डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर ने साढ़े तीन हजार रुपया दिया है और पांच सौ रुपये ग्राम पंचायतों के हैं। इस तरह से कुल चार हजार रुपया दिया गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ग्राम पंचायत को हाथी की क्यों जरूरत पड़ गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामदास आर्य--क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस कालोनी के लिये कोई निर्माण समिति बनी है ?

डाक्टर सीताराम--बनी होगी, इसकी सूचना नहीं है।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार के पास उस कालोनी का नक्शा मौजूद है, उसमें कितने मकान बनाये जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—६ मकान बनाये जायेंगे।

श्री रामदास आर्य—वह कितने परिवारों को दिये जायेंगे ? क्या उनसे कुछ किराया भी लिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—इस पर विचार किया जायगा।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रांत में किस-किस जिले में हरिजन कालोनी बसायी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न बहुत व्यापक आपने बना दिया। इसकी इजाजत नहीं है।

पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल में जल-कष्ट

*८२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को मालूम है कि पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल के करीब २७ गांवों में पीने के पानी का अभाव है ?

*८३—क्या उपर्युक्त गांवों के निवासियों ने सरकार के पास पीने के पानी की सुविधा के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा है ?

*८४—यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्र में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह किसके द्वारा, किस अधिकारी द्वारा सूचना एकत्रित की जायगी ?

डाक्टर सीताराम—डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के द्वारा।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि पांच हफ्ते में भी यह सूचना अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हो सकी ?

श्री हरगोविंद सिंह—चूंकि इलाका पहाड़ी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सूचना एकत्रित होने के बाद माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर प्रस्तुत करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अगर आप चाहेंगे तो जरूर प्रस्तुत कर दी जायगी।

*८५—८७—श्री कृष्णशरण आर्य—[श्री सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

थाना शिकोहाबाद के इलाके में नाजायज हथियार

१—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के थाने में से नाजायज हथियार प्राप्त करने के संबंध में कितने व्यक्तियों के चालान किये गये और कितने दंडित हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ जनवरी, १९५४ से अब तक कुल ७ व्यक्तियों का चालान किया गया जिनमें से १ को सजा मिली, २ को अदालत ने छोड़ दिया तथा ४ के विरुद्ध अभी मुकद्दमा चल रहा है।

मैनपुरी जिले में डाके, कत्ल व चोरियां

२—श्री महाराज सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले के प्रत्यक थाने में अलग से जनवरी, सन् ५४ से जुलाई, सन् ५४ ई० तक कितने डाके पड़े और कितने कत्ल हुये और कितनी चोरियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०१ पर।)

झांसी जिले में कत्ल व डकैतियां

३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५२ से लेकर आज तक झांसी जिले में कितने कत्ल हुये तथा कितनी डकैतियां पड़ीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५७ कत्ल और ३६ डकैतियां।

बिजनौर जिले से हथियारों के लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र

४—श्री रतनलाल जैन—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि बिजनौर जिले के कितने आवेदन-पत्र बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये १-७-५३ से ३०-६-५४ तक प्राप्त हुये और उनमें से कितने आवेदन-पत्र स्वीकृत हुये, कितने अस्वीकृत और कितने अब तक विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—११३ नये आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, इसमें पिछले ४८ मिला कर कुल १६१ आवेदन-पत्रों में से ५५ स्वीकृत हुये, ५८ अस्वीकृत तथा ४८ अभी विचाराधीन हैं।

इन्द्रबली आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, गोसाईंगंज, फैजाबाद के सहायतार्थ प्रार्थन

५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रबली आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल गोसाईगंज, फैजाबाद के प्रबन्धकों ने पिछले वर्ष बाढ़ से स्कूल की इमारत गिर जाने के कारण भवन निर्माण के लिये आर्थिक सहायता की प्रार्थना की थी ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां।

६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

श्री हरगोविंद सिंह—अभी अनुदान नहीं मिला।

प्रश्न ७७ व ७८ के उत्तरों पर आपत्ति

श्री नेत्रपाल सिंह—मुझे सवाल नं० ७७ व ७८ के जो जवाब मिले हैं वे असंतोषजनक हैं। मैं चाहता हूं कि उन पर बहस के लिये कुछ वक्त दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको लिखित भेजना होगा।

जानकी शुगर मिल, डोईवाला, देहरादून के मजदूरों के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री भोला सिंह जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है वह इस प्रकार है--

"जानकी शुगर मिल, डोईवाला, देहरादून में निकाले गये ४२३ मजदूरों को पुन: रखवाने के संबंध में सरकार की असमर्थता से प्रदेश के चीनी मिल मजदूरों में हुये गंभीर असंतोष से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है ।"

एक तो यह डेफिनिट नहीं है कि कब मजदूर निकाले गये और कैसे असंतोष हुआ, ऐसी कोई चीज इसमें बतलायी नहीं गई है और उससे यह प्रतीत होता है कि कोई पुरानी बात है। इसलिये इसकी अर्जेंसी भी नहीं मालूम होती, इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता कि यह पेश हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना दे देना चाहता हूं। यहां पर विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त तिवारी से सम्बन्धित जो प्रश्न था उसके प्रतिवेदन के ऊपर विशेषाधिकार समिति ने विचार करना स्थगित कर दिया था और तय यह हुआ था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिये कौन सी तारीख रखी जाय, इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री की विरोधी दल के नेता से बात होने के बाद तिथि निश्चित होगी। उनकी बात चीत हो गयी है और उन्होंने यह अपना विचार मेरे सामने भेजा है कि इस प्रश्न को इस वक्त जो बैठक है उसमें न लिया जाय बल्कि इसके बाद जब सत्र आरम्भ हो तब इस प्रश्न को बहस में लाया जाय। इस बारे में यह शंका उठायी जा सकती है कि अगर सत्रावसान हो जाय तो इसके ऊपर विचार हो सकता है या नहीं ? इसके सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि सदन अगर चाहता है, सदन अगर सर्वसम्मति से किसी बात को चाहता है तो उस पर विचार बाद में हो सकता है। इसलिये चूंकि सर्वसम्मति से यह इच्छा प्रकट की गयी कि सत्रावसान के बाद जब फिर से सत्र आरम्भ हो तो उस वक्त इसके ऊपर विचार हो। यदि किसी को आपत्ति न हो तो मैं उस निश्चय पर अमल करने की कोशिश करूंगा। प्रतीत होता है कि किसी को आपत्ति नहीं है ।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिए निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—आगरा यूनिवर्सिटी की सीनेट की सदस्यता के लिये जो चुनाव होना है उसमें अपना नाम वापस लेने का समय जो रखा गया था वह कल चार बजे तक था। उस समय को आज ४ बजे तक के लिये बढ़ा दिया गया है और आज जो लोग नाम वापस लेना चाहें वह ४ बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं ।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार का कार्यक्रम

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—कल माननीय शिक्षा मंत्री ने आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक जो कल पेश हुआ था, उसके बारे में यह इच्छा जाहिर की थी कि वह आज ले लिया जाय या कल ही ले लिया जाता। वह आज के एजेंडे में

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

भी छपा हुआ है। उसकी वजह माननीय मंत्री जी ने नहीं बतलायी थी कि वह २४ तक पास होना क्यों जरूरी है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वह २४ तक पास होना जरूरी है । आज तो वह नियम के अनुसार आ भी नहीं सकता' क्योंकि अभी उसको यहां पर रखे हुये तीन दिन नहीं हुये हैं।

श्री अध्यक्ष---इसके सम्बन्ध में मैंने 'आवश्यकतानुसार' शब्द बतलाया था क्योंकि यह साफ नहीं था। एजेन्डे के छापने से पहले की यह बात थी। इसके बाद सूचना मिली कि यह २७-२८ तक अवश्य पास हो जाना चाहिये। अब उसमें कठिनाई यह है कि माननीय राज्यपाल बाहर जा रहे हैं २८ तारीख को । तो इसके ऊपर उनकी स्वीकृति भी हो जानी चाहिये। २४ तारीख तक ही यह होना चाहिये, यह कोई कानूनी राय नहीं है। लेकिन मुझसे वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि अच्छा हो अगर इसको आज ले लिया जाय। तो अगर आज ही इसको लेते हैं तो नाम के सम्बन्ध में विचार करने के लिये जो २७ को रखा गया है उस दिन सदन को अधिक समय मिल जायगा और इसमें थोड़ा समय निकल जायगा तो उतना ही समय कम हो जायगा। तो अगर आपत्ति न हो तो इसको आज ही ले लिया जाय और आपत्ति हो तो फिर २७ को भी लिया जा सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---आज शाम को ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आज ही शाम को ले लिया जायगा और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

†उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष---अब श्री रामसुमेर के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक १९५४ पर विचार किया जाय तथा श्री वीरेन्द्र पति यादव के संशोधन पर कि उक्त विधेयक एक प्रवर समिति को विचार के हेतु निर्दिष्ट किया जाय, विचार जारी होगा। मैं समझता हूं कि यह जो शुक्ला जी का संशोधन आया है, अगर यह भी पेश हो जाय तो उसके बाद जयपाल सिंह जी का भाषण शुरू हो।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, पहले श्री जयपाल सिंह जी बोल लें, उसके बाद मैं पेश करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें टाइम तो १५ मिनट का ही दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---उनका भाषण तो संशोधन पर होगा, इसलिये अगर आपको मौका इस समय दिया है तो आप उसका उपयोग कर लें।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बिल पेश हुआ दुर्भाग्य से तब मैं उपस्थित नहीं था, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके पक्ष में कुछ और दलीलें सुन लूं और उसके बाद अपने विचार रखूं। अब मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि इसमें कोई शुबहा नहीं है...

श्री अध्यक्ष---पहले आप संशोधन तो पेश कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि चूंकि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है, इसलिये इसके हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः उपर्युक्त विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसके सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायगी।

---

†२२ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

हमारे एक मित्र ने कहा कि यह बिल आया क्यों ? यह बिल जो छुआछूत हमारे देश में है, उससे सामने आया है। आदमियों को आदमियों से नफरत है इसलिये यह बिल आया। कुत्ता बिली छू जाते हैं तो कोई छुआछूत नहीं, मगर इन्सान से इन्सान छू जाय तो छुतछात हो गया ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। ऐसा संशोधन पहले भी पेश हो चुका है तो क्या उसी अम्र का और दूसरा संशोधन हाउस के सामने आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—पहले इस सदन की प्रवर समिति के लिये ही संशोधन था और अब वह चाहते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति दोनों सदनों की बनाई जावे ।

श्री सीताराम शुक्ल—यह तो अच्छा हुआ कि यादव जी समझ गये 'देर आयद दुरुस्त आयद'। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल का आना आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर सरकारी नौकरियों में हरिजन भाइयों को उचित स्थान और कुछ अधिक स्थान मिल जावेंगे तो इससे उनकी आर्थिक दशा ठीक हो जावेगी तो न सिर्फ गरीबी ही मिटेगी बल्कि जो उनसे नफरत है उसे भी मिटाने में इमदाद मिलेगी। हम लोगों ने कहा कि सवाल आर्थिक है और सही है भी। गरीब किसी भी जाति का हो, लोगों को उससे मिलने जुलने में हिचक होती है। धनी किसी भी जाति का हो, सब लोग उससे हाथ मिलाना पसन्द करते हैं। लेकिन जिस चीज को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिस चीज से इस ऐब को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है वह ठीक नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि योग्यता की परीक्षा केवल हरिजनों में ही हो, तो यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की परीक्षा हो तो वह सिर्फ हरिजनों में ही हो, सब के साथ में न हो, एक सवाल यह है। हमारी सरकार ने १८ प्रतिशत की जगह हरिजनों को देने की बात कही, वह ठीक है। उसमें भी २० प्रतिशत चाहा जा रहा है मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता लेकिन इसकी मुझे मुखालिफत है कि बजाय इसके कि सब जाति के साथ मुकाबिले हों, हरिजनों का केवल हरिजनों के साथ मुकाबला किया जाय। उसका कारण यह है कि जिस वक्त अयोग्य व्यक्तियों को जगह दे दी जायगी तो वे कम काम करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि वह कम काम करेंगे बल्कि उसका असर आफिस और कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जहां पर वह काम करता है। मान लीजिये कि एक स्टेनोग्राफर की जरूरत है, जो लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं वे ६० शब्द से अधिक प्रति मिनट टाइप कर लेते हैं किन्तु अगर इस कम्पटीशन को छोड़कर यदि जाति के हिसाब से लिया गया तो ऐसा आदमी आ सकता है जो ३० शब्द प्रति मिनट टाइप करता हो। जिससे इस बात का ही सिर्फ नुकसान नहीं होगा कि वह ३० शब्द के हिसाब से कम टाइप करता है बल्कि उस दफ्तर का हर एक क्लर्क कहेगा कि जब मैं भी उतनी ही तनख्वाह पाता हूं तो ज्यादा काम क्यों करूं ? अगर थानेदार बनाते समय कंपटीशन में जाति-बिरादरी ही देखी जायगी, यह नहीं देखा जायगा कि उसकी बुद्धि कैसी है, उसका कद कितना है, उसकी दौड़ कितनी है, वह कितनी मेहनत कर सकता है, तो वह थानेदार चोरों को कैसे पकड़ेगा। अगर सरकारी वकील सिर्फ जाति को देख कर रक्खा जायगा, यह नहीं देखा जायगा कि वह कैसी बहस करता है, मुकदमा कर सकता है या नहीं, तो अध्यक्ष महोदय, कातिल कत्ल के केस से छूट जायंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करते समय हर पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अजीब मामला है, जब अपना निजी काम पड़ता है तो कोई भी जात-पांत के चक्कर में नहीं पड़ता। मसलन किसी से कर्जा लेने की जरूरत है तो वह यह नहीं देखता कि महाजन किस जाति का है। वहां वह केवल यही देखता है कि कम सूद पर रुपया कहां मिलेगा। जब किसी को दवा करानी होती है तो डाक्टर साहब की जाति को कोई नहीं पूछता, यही देखता है कि कौन डाक्टर अच्छा है और उसी से इलाज

[श्री सीताराम शुक्ल]

कराता है और अगर किसी को कोई मकदमा लड़ना है तो वह अपने अयोग्य वकील लड़के को भी छोड़ करके बड़े वकील को ज्यादा पैसा दकर भी मुकदमा जीतने का प्रयत्न करता है। लोग घर के गाय के बच्चे को बेचकर बाहर से महंगा बैल लाकर अपना काम चलाते हैं। वहां पर घर और बाहर को नहीं देखते हैं। तो जिस तरह से आप अपने घर के काम को करते हैं उसी प्रकार से हमें जनता के काम को भी समझना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग बीच में ही बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—ऐसा कोई काम या आवाज हाउस में नहीं होनी चाहिये, जिससे जो भाषण हो रहा है उसके सुनने में अड़चन हो।

श्री सीताराम शुक्ल—तो जिस प्रकार से हम अपने निजी कामों में जाति पांति नहीं देखते हैं उसी प्रकार से पब्लिक के कामों में भी नहीं देखना चाहिये। अगर किसी ग़लत आदमी को मास्टर बना दिया जायगा तो बच्चों की जिन्दगी खराब हो जायगी। ग़लत आदमी को अगर फौज में भर्ती कर दिया जायगा तो वह लड़ाई हरा देगा। इसलिये पांडित्य और योग्यता की पूजा होनी चाहिये। एक जमाना था जब ऊंची जाति वाले कहा करते थे "पूजिय विप्र सर्व गुण विहीना, पूजिय विप्र न परम प्रवीणा"। मैंने इसका विरोध किया और आज इसका भी विरोध कर रहा हूं कि 'पूजिय हरिजन सब गुण-हीना, विप्र न पूजिय परम प्रवीना।' और मैंने कहा कि यह ग़लत बात है। अच्छे सब अच्छे हैं चाहे सवर्ण हों, अथवा हरिजन, बुरे सब बुरे हैं, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे हरिजन हों या मुसलमान हों या ईसाई हों। लोगों ने मेरा बायकाट किया कि यह ब्राह्मण होकर उससे नीचे गिर गया है जो ऐसी बातें कहता फिरता है, किन्तु मैंने उस बायकाट का मुकाबला किया और गाली आदि को बर्दाश्त किया, किन्तु सफलता प्राप्त की। आज फिर कहता हूं कि यह ग़लत बात है, कि किसी से यह कहा जाय कि तुम फलां जाति के घर पैदा हुये हो इसलिये ऊंची जाति के होने की वजह से तुमको फीस देनी पड़ेगी चाहे गरीब भले ही हो, और पैसे वाले हरिजनों के लड़के से भी फीस नहीं ली जायगी। मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार आप ही तमाम छुआछूत को बनाते हैं। अगर इस तरह की भावना हो कि फलां आदमी फलां जाति का है इसलिये उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी और फलां आदमी चूंकि ब्राह्मण है इसलिये गरीब होने पर भी उसको फीस देनी पड़ेगी, तो आखिर इसका परिणाम क्या होगा? "अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां च विमानता। त्रीणि तत्र, प्रवतन्ते, दुर्भिक्षं मरणं भयम्" जहां इज्जत न करने वाले की इज्जत की जाय और जहां इज्जत करने वाले की इज्जत न की जाय वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय होता है।

आप काबिल आदमियों को अपना काम करने के लिये अमेरिका और इंगलैण्ड से बुलाते हैं ताकि वे आपका काम अच्छी तरह से कर सकें। लीग आफ नेशंस (यू० एन० ओ०) की प्रेसीडेंट हमारे यू०पी० की रहने वाली श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थीं। वह इसलिये कि वे योग्य थीं, काबिल थीं। इसलिये अपने मुल्क के अच्छे आदमी को हटा कर गलत जगह पर लगाने से मुल्क का नुकसान होगा। आप देखें कि योग्य इंजीनियरों को आप इंगलैण्ड और अमेरिका से बुलाते हैं। आखिर आप क्यों एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाते हैं? वह इसलिये कि आपका काम अच्छी तरह से हो सके। अगर आप कंपटीशन के लिये यह तय करें कि केवल फलां जाति के लोगों के बीच ही कम्पटीशन होगा और इसी में से लोग नौकरी में लिये जायेंगे तो इस तरह से पक्षपात करके आप इस मुल्क को नरक में ले जायेंगे। आप देखें कि अगर सारी नौकरियां हरिजनों को दे दें, तो भी हरिजनों की गरीबी नहीं जा सकेगी। एक जमाना था कि यहां सब नौकरियां अंग्रेजों के पास थीं क्योंकि वे हुक्मरां थे लेकिन गरीब अंग्रेज तब भी थे। एक जमाना था कि नवाब साहब छतारी यहां के गवर्नर थे और सर इकबाल अहमद साहब चीफ जस्टिस थे फिर भी मुसलमानों

के अन्दर गरीबी रही और नौकरी पाने से उनका छुआछूत नहीं मिटा हालांकि उस समय नौकरी के अन्दर मुसलमान भरे हुए थे। उस जमाने में अंग्रेज हुक्मरां थे, उनका राज्य था लेकिन हम उनका छुआ पानी भी नहीं पीते थे और एक दिन हमने उनको अपने मुल्क के बाहर, बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किये हुए निकाल दिया। मैं अपने भाइयों से अर्ज करना चाहता हूं कि सब को खुश करने की कोशिश में आप सबको नाराज कर दीजियेगा। आपका यह ख्याल हो सकता है कि हरिजनों की इतनी सीट्स हैं और वे आपको छोड़ कर भाग जायेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हरिजन भाई समझ जायेंगे कि इसमें उनका फायदा नहीं है तब वे सब हमारे साथ रहेंगे । अगर कुछ हरिजनों को नौकरी मिल जाय तो उससे हरिजन वर्ग को कोई फायदा नहीं हो सकेगा। फिर भी वे गरीब ही बने रहेंगे। अगर आप ऐसा बिल लावें कि जिसकी आमदनी ५ सौ से ऊपर हो उसकी आमदनी का आधा हिस्सा घटा कर उससे गरीबों को, बेकारी का भत्ता देकर फायदा पहुंचे तो सीताराम शुक्ल उसका स्वागत करेगा। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में एक आदमी भी भूखा न रहे, एक आदमी भी नंगा न रहे, एक आदमी भी गरीब न रहे। किसी के बच्चे को पढ़ने का मौका न मिले, किसी के बच्चे को दवा न मिले, इसको दूर करने के लिये कोई बिल लाया जाय जिससे गरीबी मिटे तो मैं उसका तहेदिल से सपोर्ट करूंगा। लेकिन किसी विशेष जाति को नौकरी दे देने से उस जाति के अन्दर से गरीबी नहीं मिट सकती है। इसलिये मैं अपने हरिजन दोस्तों से अर्ज करता हूं कि आप जोश से काम न लीजिये, ठंडे दिमाग से मेरी अर्ज को सुनिये।

मैं यह नहीं चाहता कि केवल ऊंची जाति वाले मेरी स्पीच को पसन्द करें, हमें तो हरिजनों को समझाना है कि हमारा रास्ता सही है। हमें जरा कुछ इस बात पर गौर करना चाहिये कि एक वह जमाना था कि हमारा मुल्क गुलाम था, उस वक्त अगर सोचा जाता कि हम जेल जायंगे तो हमारे बच्चे क्या खायेंगे, भूखों मरेंगे, कहां जायंगे, लड़की कैसे ब्याही जायगी तो क्या मुल्क आजाद होता ? हम लोगों ने तय किया कि लड़के भूखे रहें, हम गरीब हों, दुखी रहें, लेकिन मुल्क के लिये मरेंगे और उसको आजाद करके रहेंगे। उसके बाद हमें कैद किया गया तथा और अनेक यातनायें सहनी पड़ीं जिसका नतीजा यह हुआ कि हमें मरना भी नहीं पड़ा और मुल्क आजाद हो गया। यह कैसे हो सकता था कि करोड़ों आदमी भूख से मरते रहें और हम ऐश से रहें ? उस आराम को ठोकर मारी गई और जब कुर्बानी की जरूरत पेश आई कुर्बानी की गई, उसी प्रकार आज स्वदेश को सुधारने और शक्तिशाली बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों को नौकरी और पद लोलुपता की कुर्बानी करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि इसी लखनऊ में सन् १९१६ में एक गलती हुई और उस समय साम्प्रदायिकता के प्वाइंट आफ व्यू से मुसलमानों का पृथक निर्वाचन किया गया और उनको सीट्स भी तादाद से ज्यादा दी गई किन्तु उसका नतीजा क्या हुआ ? १९२३ से पहले गाय की कुर्बानी पर झगड़े होते थे लेकिन पृथक निर्वाचन के बाद से मन्दिर के बाजे तथा पीपल पर भी झगड़े होने लगे हालांकि पहले जमाने में हिन्दू-मुसलमान भाई–भाई की तरह रहते थे और एक दूसरे को चाचा, काका कह कर पुकारते थे लेकिन पृथक निर्वाचन के बाद न सिर्फ मस्जिद के आगे बाजे बजने पर झगड़े होने लगे बल्कि मुर्दों के बाजे पर एतराज उठाया जाने लगा। उसके बाद सन् ३३ में मुसलमानों की तरफ से ३३ प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग हुई, जब कि उत्तर प्रदेश में १४ परसेंट उनकी आबादी उस समय थी। उसके बाद स्व० जिन्ना साहब ने केन्द्रीय सरकार में आधे की मांग की कि मुसलमानों को आधा हक है और पैरिटी की बात आई और आखिर में उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बना और देश का बटवारा हुआ। किन्तु देश के बटने के बाद भी शान्ति नहीं हुई और अब हरिजनों का सवाल पैदा हो गया। इस तरह से जातिपांति की चीजें बढ़ती हैं। सिखों ने भी अपनी मांग शुरू कर दी, बैकवर्ड क्लासेज ने अपनी शुरू कर दी, हरिजनों ने अपनी अलग मांग शुरू कर दी तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि यह हो भी जायगा, तो फिर हरिजनों में भी ६३ जातियां हैं, उनके अन्दर भी सवाल पैदा हो जायंगे कि चमार हैं या भंगी हैं अथवा कोरी है, किस

[श्री सीताराम शुक्ल]

जाति का हरिजन है, तो इस तरह से कहां तक आप रिजर्वेशन और परसेंटेज मुकर्रर करते जायंगे? अध्यक्ष महोदय, यही बात है तो कल प्रोमियर के लिए अथवा माननीय स्पीकर के पद के लिये भी सवाल पैदा हो जायगा। क्या रोटेशन से लोग आवेंगे और क्या यह होगा कि आज फलां जाति के हैं, कल इसी जाति के होंगे? यही बात है तो राष्ट्रपति के लिये भी यही होगा कि आज फलां जाति के हैं, कल फलां जाति के होंगे।

इसलिए मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि आप जरा ग़ौर करके देख लें कि इन चीजों का नतीजा पाकिस्तान में क्या हुआ और आज वहां क्या हालत है? नतीजा वहां यह है कि आज वहां तरह तरह के आपस के झगड़े हैं और वह खुद भी खुश नहीं हैं, हम तो बुरे हैं ही और यहां तो काफिर राज्य है लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ? वहां मुस्लिम लीग हार गई और जिस सिन्ध को अलग करने की कोशिश वहां की गई थी अब उसको मिलाने की कोशिश हो रही है और वहां आज भी शान्ति कायम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कितना रुपया अमरीका से सहायता लिया। यूं तो कहा जा सकता है कि इसमें क्या हर्ज हुआ, पैसा तो आ गया, मजे में हो गये। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वह कर्ज न लिये होते तो इतना बुरा न होता, क्योंकि यह कह सकते थे कि आज नहीं तो कल कर्जा अदा कर देंगे या परसों दे देंगे लेकिन एहसान की मार बहुत बुरी होती है। श्रीमान् आइसनहावर साहब अगर कहेंगे तो अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी उनकी बात माननी पड़ेगी और हमेशा पाकिस्तान की आंखें नीची रहेंगी। अहसान की मार से आंखें नीची रहती हैं और दबना पड़ता है। इसलिये मैं कहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जो गलती सन् १९१६ में हुई वही अब फिर दोहराई जाय? छोड़िये पाकिस्तान को, आप नैपाल की तरफ देखिये कि वहां बड़ा प्रचार हुआ, राणाशाही के हम लोग खिलाफ हैं, किन्तु पहले राणा खराब थे, अब मातृका प्रसाद के खिलाफ प्रचार हुआ और बाद में विश्वेश्वर प्रसाद के भी, दोनों कोयराला हैं, दोनों सगे भाई हैं लेकिन आपस में नहीं पटती। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि जातिवाद को मत उभाड़िये वरना आपको भी नुकसान होगा। अतः सच्चे रास्ते पर चलिये, घबड़ाइये नहीं। हमलोग गरीबी को बरदाश्त नहीं कर सकते, कोई भाई गरीब नहीं रह सकता। पेट भर खाना, तन भर कपड़ा सब को मिलेगा लेकिन पांडित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने से मिलेगा न कि मूर्खता है। इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसमें इस हाउस के और उस हाउस के सदस्य लोग भी मिल कर बैठें और विचार करें।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये कि एक साल के बाद नाना प्रकार की दिक्कतें होते हुये भी आपने इसको स्वीकार किया कि यह बिल हाउस के सामने पेश हो और हाउस इसको डिसकस करे। इसके बाद मैं भाई रामसुमेर जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को पेश करके जातपांति के लिये जो मुस्लिम लीगी मनोवृति आदि शब्द कहे जाते हैं, उनको हमेशा के लिये खत्म कर दिया है और यह अवसर दिया है कि ठंडेदिल से हाउस में बैठकर सभी लोग विचार करें कि वस्तुस्थिति क्या है और उसके लिये रास्ता निकालें। हम लोगों को संविधान की इज्जत करनी है, उसको कार्यन्वित करना है या नहीं इस पर विचार करना है। अब मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू (प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया) जिस वक्त बाराबंकी में आये थे तो उन्होंने वहां यह शब्द कहे थे कि हिन्दुओं में चन्द ऐसी जातियां हैं, जो ऊंची हैं, जो बाकी पिछड़ी हुई जातियों पर चढ़ी बैठी हैं और अब यह हालत आगे नहीं रहेगी यह उनका एलान समझ लीजिये। ऐसा उन्होंने संकेत किया है कि ऐसी ऊंची जाति के लोग पिछड़ी जाति के लोगों को, जो ख्वाहमख्वाह दबाये हुये बैठे हैं, उनके सारे अधिकारों को अपने

अधिकार में किये हुये बैठे हैं वह खत्म होना है। तो ऐसी अवस्था में हमें इस असमानता को दूर करना ही है। जो अन्याय हो रहा है उसको खत्म करना ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल क्यों आया? इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जगह ब जगह जहां सर्विसेज का सवाल आता है वहां पक्षपातपूर्ण व्यवहार हरिजनों के साथ होता है और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जगह होते हुये भी उनको नहीं चुना जाता है। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि यह जो संविधान के खिलाफ बात है उससे उनको बचाया जाय। जो इस तरह की गलत बातें किया करते हैं उनको क्यों नहीं सजा दी जाती और क्यों उनको अन्य तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे उन आर्डर्स की अवहेलना करते रहें? तो इसलिये भी इस बात की आवश्यकता है कि इस बिल द्वारा जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, जो संविधान को कार्यान्वित करने में और अपने आर्डर्स को कार्यान्वित करने में दिक्कतें हैं उनको पूरे तरीके से दूर किया जा सके। हमारा और हमारी सरकार का जो मंशा है, संविधान का जो मंशा है उसको पूरा किया जा सके। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना है, वर्गविहीन और जाति विहीन समाज की रचना करनी है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये हमें उन सब पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा, एक बार नहीं हजारों बार विचार करना पड़ेगा और जो दिक्कतें क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी के निर्माण में हायल होती है उनको जड़ से उखाड़ देना पड़ेगा। आज हमारी सरकार के जो अफसर हैं उनका ही मामला नहीं बल्कि यह आज हमारे समाज में एक रोग लग गया है और वह दूर नहीं होता है। पता नहीं कि हिन्दुस्तान की भूमि में क्या है कि जहां से जात-पांति और छुआछूत के बखेड़े या छोटे-बड़े का झगड़ा और वर्गवाद और जातिवाद समाप्त क्यों नहीं होते और यह रोग बढ़ता ही जाता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान को सात साल आजाद हुये हो गये हैं लेकिन यह वर्गवाद समाप्त नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने प्रोग्राम में हमेशा सबसे पहले प्रायरिटी उन्हीं व्यक्तियों को दी थी, सन् १९४०–४१ में जो उनका धारासूत्री प्रोग्राम था उसमें कि जो सबसे पहले हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये तैयार थे। उनका कहना था कि हमारी आज दी के आन्दोलन में वही सबसे पहला सिपाही होगा कि जो हिन्दू मुस्लिम एकता की स्थापना करना चाहता हो और दूसरा वह कि जो छूत छात को दूर करने के लिये तैयार हो, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको समान स्तर पर लाने के लिये और उनके साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार को दूर करने वाले के लिये उनके आन्दोलन में दूसरा स्थान मिलेगा। तो आप देखिये कि उनके जीवन में दुनिया की बातें बाद में आती हैं। भारत की आजादी के लिये सब बातों को छोड़ कर उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता और छुआछूत को दूर करने की बात को प्रायरिटी (प्राथमिकता) दी थी और इसके लिये लोगों का आह्वान किया था और उस आन्दोलन में लोग भर्ती होने गये उनमें उन्हीं लोगों को पहली प्रायरिटी दी गई जिन्होंने इस बात को माना। उस आन्दोलन में बिनोवा जी को प्रथम स्थान मिला था दूसरा स्थान किस को मिला मुझे याद नहीं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम गांधीवादी हैं और उनके विचारों को ले कर चलना चाहते हैं और मैं तो...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके सदन में शांति रखें, बातें बहुत हो रही हैं।

श्री जयपाल सिंह—और मैं तो पं० गोविन्द वल्लभ पंत जी के शब्दों को याद करता हूं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो हमेशा इस सवाल को ले कर ही चलती रही है और चलेगी। मैं साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस चली तो जरूर लेकिन जितनी उसकी थ्योरिटिकल बातें हैं वह सब हमारे सामने अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सात साल की आजादी के बाद भी हमारे सामने जात-पाँति की समस्या, छूत–छात की समस्या मौजूद है। यहीं तक नहीं, नया संविधान आने के बाद भी और उसमें इस तरह की बातें होने पर भी कि किसी किस्म की जात-पांति और छूत–छात न रखी जायगी और उसे समूल नष्ट कर दिया जायगा हमारे सामने उसको करने में बाधायें हैं, झंझट हैं और वह इसलिये हैं कि हमारा समाज, उसको मानना नहीं चाहता। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ४७ में एक बिल पास हुआ था और वह आज तक कार्यान्वित नहीं हो सका जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर

[श्री जयपाल सिंह]

है। उनके ऊपर है जो कि उसको कार्यान्वित करने के लिये रखे गये थे। और इसके लिये केन्द्रीय सरकार को एक कांप्रिहेन्सिव ला लाना पड़ा। यह क्यों? इसका कारण यह है कि पहले तो हमारे सामने देश को आजाद कराने का सवाल था किन्तु उसके बाद सब को अपनी-अपनी पड़ गई और इसलिये इस प्रकार के सारे प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलती। जो जिस जाति का अफसर होता है वह उसी जाति को प्रोत्साहन देता है। तो ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग में जो एप्वाइन्टमेंट्स होते हैं वहां सिफारिशों पर काम होता है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में कहूंगा। आज तो जरूरत इस बात की है कि हृदय मंथन कर अगर हम सोचें और देखें कि कितने व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जब कि सब को समान अधिकार दिये गये हैं और समान अधिकार की बात भी कहते हैं। अफसर लोग गुस्सा होते हैं, रिसेंटमेंट उनके दिल में और दिमाग में आ जाता है और उनका जो ऐटीट्यूड होता है वह विपरीत होता है और दूसरी धारा में बह जाते हैं। तो ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस बिल पर विचार किया जाय और उसको पारित किया जाय।

दूसरी बात यह है कि हरिजन सदस्यों की बात आज कोई नई नहीं है बल्कि बराबर इस सदन के सामने रखी गयी है और यहां तक कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन जिस वक्त यहां लखनऊ में आया तो उसके सम्मुख भी इस प्रकार का प्रश्न था और हमने इस बात की मांग की थी कि नौकरियों में हमारे साथ क्या-क्या व्यवहार होते हैं और क्या होना चाहिये। हमने मेमोरेंडम में कहा था कि इस तरीके की फेवरटिज्म, जाति-पांति, पक्षपात और नेपोटिज्म होती है और सिफारिशों पर काम होता है और यही तक नहीं जहां आफिसरान किसी व्यक्ति को चुनने के लिये तैयार होते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि उनकी जाति का भी कोई व्यक्ति है? और भी कोशिश करते हैं कि अगर वह जिले के बाहर के भी होते हैं तो उनको भी लेने की कोशिश करते हैं। जब सरकारी कर्मचारियों की यह नीयत है तो मैं समझता हूं कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता है और ऐसे व्यक्ति ही मैं देखता हूं कि उन्नत पदों पर पहुंच जाते हैं। यह हालत हो गई है हमारे समाज की और जिन लोगों की सिफारिशों के अनुसार वे कार्य करते हैं उनका यह कार्य हो गया है कि वे उन्हें तरक्की दिलायें। फिर मेरे पास या जितने हमारे हरिजन सदस्य हैं या और बैकवार्ड क्लास के सदस्य हैं, मैं यह नहीं कहता कि वे हरिजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हां, उनमें भी ऐसे मौजूद हैं और वे स्वयं कहते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाय लेकिन वह तैयार नहीं होते हैं। अगर यही अफसरान का एटीट्यूड बन गया है कि वे सरकारी आर्डर्स के अनुसार भी हमारे सुरक्षित अधिकार हमें देना नहीं चाहते हैं तो फिर हम लोगों का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हुक्म बहुत निकले हैं लेकिन जो इलाज होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बराबर जी० ओ० निकालने की क्या आवश्यकता है? पहले को ही कार्यान्वित करा दिया जाय। जब पहला सरकारी आदेश ही कार्यान्वित न हो तो दूसरे आदेश की जरूरत है। सिर्फ पहले की सफाई देने के लिये कि अब हमने यह दूसरा जी० ओ० निकाल दिया है इससे ठीक हो जायगा। यह हमारी समझ में नहीं आता। तो मैं नहीं समझता कि कैसे हमारे संविधान में जो सुरक्षा हम लोगों को प्रदान की गई है पूरी हो जायगी। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की हिदायतों से कोई काम नहीं हो सकता। कई बार इस किस्म की शिकायतें की गईं प्रान्तीय सरकार व केंद्रीय सरकार को और कई बार आर्डर दिया गया कि सख्ती से इसका पालन होना चाहिये। लेकिन जो मर्ज है वह ज्यों का त्यों बना रहा है। वह सब हिदायतें बेअसर (इनएफेक्टिव) ही साबित हुई हैं। सन् १९५१ में भी यही बात थी, यही चीज मौजूद थी, सन् १९५२ में भी यही चीज रही और सन् ५३ में भी यही बात हम देख रहे हैं कि सख्ती से हिदायत दी जाती है और जी० ओज० भेजे जाते हैं। यह केवल मैं ही नहीं कहता बल्कि यह इस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर शिड्यूल्ड कास्ट के अफेयर को देखता है और उनकी शिकायतों को सुनता है और जितने साल भर के कार्य होते हैं उनको देखकर एक रिपोर्ट प्रेसीडेंट को पेश

करता है। उनकी भी यही राय है इस बारे में। तो ऐसी हालत में मेरी ही यह बात नहीं है बल्कि यह जनरल बात है और ऐसा हो ही रहा है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारे पंडित जवाहर ने आज अपना दृष्टिकोण सोशलिस्ट सोसाइटी के निर्माण के लिये हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हमारा आह्वान किया है जिस वक्त वह चाइना से वापस आये हैं उन्होंने अपनी आर्थिक नीति को बतलाने की कोशिश की है। उसका एलान ही नहीं बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस सवाल को रख दिया है और पार्लियामेंट ने उसे कबूल भी किया है। ऐसी अवस्था में जब हम सोशलिस्टक स्टेट चाहते हैं जब हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ न्याय हो सके आर्थिक और सामाजिक न्याय हो सके तो मैं नहीं समझता कि उनके रिजर्वेशन के लिये जिसको संविधान और कानून भी कहता है उसकी पूर्ति के लिये ऐसे बिल की क्यों आवश्यकता नहीं है ? क्यों न ऐसे लोगों को सजा दें जो उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं ? या तो यह कहिये कि उनके पीछे एक स्पिरिट काम करने की नहीं है एक स्पिरिट नहीं है कि वह उनको कार्यान्वित करें या वह कानून नहीं मानते हैं और इस प्रकार से हमारे संविधान के विपरीत कार्य करते हैं।

आज ही नहीं, पिछली मर्तबा माननीय नवल किशोर जी ने और आज सीताराम शुक्ल जी ने भी कुछ विचार रखे और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो हरिजन यहां रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वह मुस्लिम लीग के तरीके को अपना रहे हैं और वह एक नयी धारा दूसरी तरफ को बहाना चाहते हैं। यह कहा तक उचित है कि मुस्लिम लीग के मुकाबिले में हरिजनों को रखा जाय। क्या वह यह महसूस नहीं करते हैं कि परिगणित जो है, जो हरिजन हैं वह हिन्दू समाज के ही एक अंग हैं ? क्या वह यह महसूस नहीं करते हैं कि जब इस किस्म के प्रश्न उनके सामने आये तो उन्होंने हिन्दू समाज से अलग रहना कभी भी कबूल नहीं किया। वह हिन्दू समाज में रहे हैं चाहे वह मर जायं लेकिन वह हिन्दू धर्म को बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि उनके ऊपर तलवार लटकती थी कि या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो मौत के घाट उतार दिये जाओगे। क्या यह सत्य नहीं है कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये, राजनैतिक सत्ता को कायम रखने के लिये दूसरे लोगों ने अपनी इज्जत तक दे दी है ? एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि चाहे अंग्रेजों के जमाने में हरिजनों का कन्वर्शन हुआ हो लेकिन पहले कभी नहीं हुआ था। वह जंगलों में चले गये थे। आज भी बहुत सी जंगली कहीं जाने वाली जातियां हरिजन हैं। आज भी हरिजन बस्तियों के लोग जब दूसरी जातियों से जिनके मकान उनके नजदीक है उनसे मिलने जाते हैं तो हरिजन औरतें कहती हैं कि हम तो गांव में गये थे। अब भी वह प्रथा प्रचलित है कि अलग उनकी बस्तियां होती हैं। इस तरह से समाज से भी निकलकर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन कभी भी कबूल नहीं किया है उनकी मनोवृत्ति पर ऐसा लांछन लगाना कि वह मुस्लिम लीग जैसी बातें करते हैं, यह बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है। यह उनके जज़बात को उभाड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसी बातें अंग्रेज कहा करता था कि हिन्दुस्तानियों में आपस में फूट है इसलिये उनमें स्वराज्य पाने की योग्यता नहीं है और इस प्रकार दुनिया के दूसरे मुल्कों के सामने यही दिखाने की चेष्टा किया करता था लेकिन क्या उस अयोग्यता के आधार पर आज भी उसी तरीके से 'डिवाइड ऐंड रूल' की अंग्रेजों की पालिसी बरती जायगी जैसे पहले बरती जाती थीं ? मैं तो नहीं समझता हूं कि योग्यता और अयोग्यता के प्रश्न को लाकर के समाज से उनको अलग रखने की कोशिश करें और सारे संविधान में जो उनको सुविधायें दी गई हैं उनको करटेल करने की कोशिश करें। इसको तो मैं बहुत गैरमुनासिब समझता हूं। अगर इस तरीके की चीजें और विचार रुक जायं तो अच्छा है। इस देश के लिये हम क्लासलेस सोसाइटी चाहते हैं उसकी पूर्ति भी तभी होगी यदि हमारे साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय होना है। तो चूंकि हमारे सोसाइटी के जितने भी कार्य हैं वह अर्थ से संबंधित है और उनसे मेल खाते हैं, अतः यह आवश्यक है कि सब विभागों में हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान

[श्री जयपाल सिंह]

मुकर्रर किये जायं ताकि वहां के अफसर उनके साथ न्याय कर सकें। मेरी बात को श्री जगजीवन-राम जी ने इन शब्दों में सपोर्ट किया है--

"सरकारी नौकरी अधिकार एवं सत्ता के सिवाय समाज में किसी अंश तक प्रतिष्ठा भी प्रदान करती है और परिगणित जातियों को प्रतिष्ठा और सम्मान देने का एक मार्ग है कि उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाय। इसके सिवाय गरीबों की समस्याओं पर वे सहानुभूति और विवेक से काम लेंगे। शोषित और दलित वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याओं पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो स्वयं शोषित वर्ग का है, श्रमिक वर्ग का है उसको उन वर्गों और उनकी कठिनाइयों का ज्ञान होता है और उनके प्रति सच्ची सहानुभूति होती है। इसलिये पितृ राज्य वेलफ़ेयर स्टेट की स्थापना के निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिये जिसमें राज्य के सब कामों का आधार सामाजिक न्याय होगा, यह आवश्यक है कि जिनको सामाजिक न्याय का कार्य सौंपा जाय उनमें मजदूर वर्ग के प्रति सच्ची सहानुभूति हो और उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिये मिशनरी उत्साह हो जिससे कि सब प्रकार के शोषण और विदोहन का अन्त हो और सामाजिक न्याय को निश्चित रूप से प्रतिष्ठित किया जा सके।"

तो इन शब्दों के बाद मेरे लिये ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों न एक वेल-फेयर स्टेट की स्थापना के लिये उनको सुरक्षित स्थान दिये जायं? यह तो कहते हैं कि उनको दिया जाय लेकिन क्यों न उसको पूरा किया जाय यह मेरा निवेदन है ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार के हरएक विभाग में उनको स्थान दिये जायं। उनका हरएक सरकारी विभाग में मौजूद होना आवश्यक हो जाता है ताकि वह जितने भी कार्य हैं उनमें सुहानुभूतिपूर्वक न्याय कर सकें।

अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जहां तक रेवेन्यू और ऐग्रीकल्चर विभाग का संबंध है, वहां जब जमींदारी उन्मूलन हुई तो उसके पश्चात् ९५ लाख एकड़ भूमि गांव पंचायतों को खेतिहर मजदूरों को देने के लिये दे दी गई थी और कानून में इस बात का प्रावीजन होते हुए भी कि यह भूमि खेतिहर मजदूरों को दी जायगी, लेकिन आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत उस भूमि में से खेतिहर मजदूरों को दी गई, क्योंकि वहां के कर्मचारियों के इशारे पर, सरपंचों और जितने गांव में शक्तिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने उस भमि पर कब्जा कर लिया और उसको लीगलाइज कराने के साधन बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, बल्कि आमने सामने बातें करना है। मालूम हुआ है कि वह कहते हैं कि अगर लोगों ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है तो अच्छा ही है क्योंकि इससे तो हमारी फूड प्राब्लम की समस्या हल हो जायगी। कोई बात नहीं है। अगर यह जमीन खेतिहर मजदूरों के पास जाती तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि आपकी सवा गुनी पैदावार बढ़ जाती बनिस्बत ऐसे लोगों को जमीन दी जाय या ऐसे लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है जो महज कागजी किसान होते हैं। ऐसी हालत में ९५ लाख एकड़ जमीन इस तरह से कर दी गई है मानों हवा में उड़ गई हो और उसका कुछ पता नहीं चलता है कि जमीन कहां गई।

ऐसी हालत में मैं यह कह सकता हूं कि अगर वहां पर न्याय करने वाले अधिकारी होते और उन्हीं लोगों को जमीन देने की कोशिश करते जैसा कि कानून कहता है और जैसा कि हमने कानून बनाया है और सरकार की इच्छा होते हुए भी .....

श्री अध्यक्ष--सदन में अशांति हो रही है। शांति रखने की आवश्यकता है।

श्री जयपाल सिंह--मैं साफ कह देना चाहता हूं कि उनको जमीन मिलनी चाहिये और जो हमने कानून बनाया है उसकी मंशा पूरी होनी चाहिये लेकिन वह नहीं हुई।

इसी तरीके से हमारे रेवेन्यू और एग्रीकल्चर विभागों में जब आफ़िसर्स नियुक्त किये जाते हैं तो क्या होता है यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी कलेक्शन आफिसर्स

का चुनाव हुआ, नायब तहसीलदारों और अमीनों का सेलेक्शन हुआ। यहां पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि जब यहां पर नायब तहसीलदारों का सेलेक्शन हुआ तो हरिजनों की हजारों एप्लीकेशन्स के होते हुए भी उनको नहीं बुलाया गया और ऐसा मालूम होता है कि सेलेक्शन पहले से ही कर लिया गया था और उन्हीं को बुलाया गया। इस तरीके से आपके यहां सेलेक्शन किये जाते हैं।

ऐसी हालत में आप किस प्रकार से कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनायेंगे जब कि आपका यह ख्याल है कि अमुक जाति के लोगों को ही लेना है? चाहे उसमें गवर्नमेंट आर्डर हो या न हो लेकिन हमारे अधिकारियों ने यह उद्देश्य बना लिया है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि उनके साथ न्याय हो सकता है। इसी प्रकार से अभी हाल में आपके कलेक्शन आफिसर्स का सेलेक्शन हुआ, नायब तहसीलदारों का हुआ और कंसोलिडेटर्स का सेलक्शन हुआ, इसके अलावा क्लर्क्स का हुआ। इन सब में किस प्रकार से सेलेक्शन हुआ? बावजूद इसके कि योग्यता और क्वालीफिकेशन जो मिनीमम रखी गई थी, के होते हुए उनको नहीं लिया गया और यहां तक किया गया कि उसी जिले के नहीं बल्कि अपने जिले से बुला कर आदमी को बिठा दिया गया, यह आपका न्याय है? ऐसे अधिकारियों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारे साथ न्याय करेंगे और वह ऊंचे पद पर पहुंच सकेंगे जब कि यह हालत है हमारे अफसरों के चुनने की। हमें चाहिये कि हम जो यहां पर करना चाहते हैं उसे कायदे से करें। संविधान में कहा गया है कि हरिजनों के क्लेम्स सुरक्षित होने चाहिये। हमको संविधान की इज्जत रखनी है और उसको सम्मान देना है। हमने जिस वक्त यहां पर शपथ ली तो हमने सबसे पहले संविधान के प्रति वफादारी की ओथ ली और आज हम मुस्लिम से मुकाबिला करके यह बात कहें तो मैं समझता हूं कि यह संविधान को चैलेंज करना है और उसके जो पवित्र विचार हैं उनकी मुखालिफत करना है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर यहां पर इस तरह से मुखालिफत करें, संविधान को भी ठुकरायें, सरकारी पालिसी को भी ठुकरायें और हम यहां पर बैठ कर ठंडे दिल से विचार भी न करें तो वर्गहीन समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? पंचायतों का चुनाव हुआ, उनके सेक्रेटरीज वगैरह का चुनाव हुआ, क्या सरकार ने यह हिदायत दी कि जो निश्चित स्थान हैं वे भरे जायेंगे? ऐसी कोई हिदायत नहीं गयी। उनकी योग्यता का मुकाबिला दूसरे लोगों से किया गया। अभी हमारे यहां पुलिस के सब-इंस्पेक्टर्स का चुनाव हुआ। उसमें सवालात कैसे पूछे गये। यह सही है कि हमारे यहां ज्यादा योग्य लड़के मिलना जरा मुश्किल है। बी० ए० वगैरह कम मिलेंगे, इंटरमीडियेट ही ज्यादातर होंगे। तो क्या उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे बता सकेंगे कि कोलम्बो प्लान क्या है, कामनवेल्थ क्या है? और जिनको लेना था उनसे जरा देखिये क्या पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आप किस गांव के रहने वाले हैं, और वे चले गये। तो यह फर्क किया जाता है। तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि हमारे साथ न्याय हो सकता है, जब ऐसी नीयत हो। मैं समझता हूं कि हम अपने संविधान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को लीजिये। देखना यह है कि जहां तक एस० पीज० और कलेक्टर्स का संबंध है वे कहां तक सरकारी पालिसी को कार्यान्वित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं और कितना जनता से उनका सम्पर्क है? हमारे सरकारी अफसर अगर सरकार की पालिसी को कार्यान्वित करने का निश्चय कर लें तो कोई वजह नहीं है कि वह न हो सके। मिसाल के तौर पर मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे जो पिछले आई० जी० पुलिस लहरी साहब थे वे सन् १९४५ में सहारनपुर में एस० पी० थे। उन्होंने यह तय कर लिया कि रिश्वत-खोरी को बन्द करेंगे। जिस वक्त उन्होंने इस बात को निश्चित कर लिया तो उन्होंने हर शिकायत की जांच स्वयं करनी शुरू कर दी है। एक बात तो मेरे सामने की है और वह इस प्रकार है कि एक दारोगा साहब ने २०० रुपये हरिजनों से ले लिये। उसकी शिकायत की गयी कि फलां फलां व्यक्तियों से वह रिश्वत ली गयी।

(इस समय १ बजे श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त पीठासीन हुए।)

[श्री जयपाल सिंह]

जब वह शिकायत एस० पी० साहब के पास पहुंची तो उन्होंने भेष बदल कर खुद उस गांव में जाकर इंक्वायरी की और संबंधित व्यक्तियों से भी इंक्वायरी की। इत्तफाक से जिस वक्त वह शिकायत हमारे पास आयी तो हमने उसको एस० पी० साहब के पास इन राईटिंग भेज दी। वे गांव में गये। उन्होंने बात चीत की और वह भी इस तरीके से कि फलां दारोगा बड़ा रिश्वतखोर है और उन्होंने इस तरह से कई सवालात किये और उन्होंने संकेत किया कि आप को उनकी मदद नहीं करनी चाहिये। मालूम हुआ है कि आप रिश्वतखोरों की मदद कर रहे हैं। इस तरह से सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। आपने जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि रिश्वतखोरों को हम प्रोटेक्शन दें। लेकिन वह जिस वक्त चले गये उस वक्त एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि आपके यहां एस० पी० साहब क्यों आये थे? मेरे पिता जी अचम्भे में पड़ गये और कहा कि कौन एस० पी०, हमारे यहां तो कोई नहीं आया। अभी लुंगी पहने, लम्बा कुर्ता पहने आये थे, नतीजा यह था कि एक एक कांस्टेबिल घबराता था और गाली देता था कि ऐसा एस० पी० आ गया है कि नाक में दम आ गया है। बड़ी इंक्वायरी करता है। इस तरीके से तंग करता है। हालत यह हो गयी थी जिले भर में कि सब सतर्क हो गये थे। रिश्वत का बोलबाला जो रहता था वह बन्द हो गया। इस तरीके से जब एस० पी० स्वयं दिलचस्पी लेकर उस काम को करना चाहे जो कि सरकार ने नियत किया है तो कोई वजह नहीं कि कामयाबी न हो? ऐसी हालत में मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि यह सरकार के कर्मचारियों की कार्यशैली पर निर्भर करता है। वह चाहें तो संविधान की परवाह करें, चाहे कानून की अवहेलना करें, चाहे न करें। यह उनके ऊपर निर्भर हो जायगा और आवश्यकता इस बात की है कि हमारे कर्मचारी जो हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमारे कानून की रक्षा कर सकें, हमारे संविधान की रक्षा हो सके। अब अगर हमने बड़े बड़े कर्मचारियों को भी ठीक नहीं किया तो छोटे-छोटे को कैसे कर पायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। आज तो ५२ कलेक्टर और एस० पी० हैं। अगर हम उनको भी अपने इंतजाम में एक सूत्र में नहीं बांध सकते हैं तो फिर हम क्या इंतजाम करेंगे? कैसे हम डकैती, लूटखोरी को हटा सकेंगे और दुनिया भर के जो जरायम होते हैं उनको दूर कर सकेंगे?

ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि सबसे पहले यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों में कम से कम जो ऊंचे लोग हैं उनको तो ठीक कर ही दिया जाय। बाद में वह उनके द्वारा ठीक हो जायेंगे। मैं यह बात साफ कर देना चहता हूं कि पिछले दिनों में हमारे यहां प्लानिंग विभाग में प्लानिंग आफिसर्स की नियुक्ति का सवाल हमारे सामने जब आया तो उस वक्त मैंने स्वयं इस बात को कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स की नियुक्ति में हरिजनों का भी कोटा पूरा होना चाहिये तो उन्होंने कहा कि हम डिप्टी कलेक्टरों में से नियुक्त करेंगे? जो डिप्टी कलेक्टर होंगे उन पर विचार किया जायगा। मैं ऐग्री करता हूं, बिलकुल ठीक है। लेकिन मुझे यह भी देखने को मिला है कि गजटेड आफिसर्स से बाहर भी लिया गया। तो क्या यह जरूरी नहीं था कि ५२ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स नियुक्त किये जायं, जिनका समाज निर्माण में सबसे सक्रिय भाग होता है, तो ५२ में से प्रतिशत कोटा पूरा हो जाय, जब कि उन्होंने बाहर से भी नियुक्त किया? क्या वह बाहर से हरिजनों को नियुक्त नहीं कर सकते थे? अगर किसी को इस बात में संदेह हो तो मैं नाम बता सकता हूं। लेकिन नाम बताना उचित नहीं होगा क्योंकि वह आफिसर्स नियुक्त हो चुके हैं। ऐसी हालत में हमारी गवर्नमेंट की पालिसी क्या है? यह कैसी हालत है? कागज में कुछ और हो और अमल में कुछ और हो? यह समझ में नहीं आता। जो हम कहते हैं वही काम करना चाहिये। हमारी मंशा साफ होनी चाहिये। ऐसी हालत में मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जो पालिसी निर्धारित करें, चाहे उल्टी पालिसी निर्धारित की जाय, लेकिन उसको कार्यान्वित किया जाय। इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम अपने संविधान की रक्षा कर सकें। संविधान के प्राविजंस को पूरे तरीके से कार्यान्वित कर सकें ऐसे अफसरों को नियुक्त कर सकें ताकि वह उसको कार्य रूप में परिणित कर सकें। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि प्लानिंग विभाग एग्रीकल्चर में ३०० से अधिक सरकारी नौकर रक्खे गये, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति

जो ५ साल से अधिक एक जगह पर काम कर रहा था, उसकी सफेद चादर थी, कोई दोष उस पर नहीं लग पाया था उसकी पोस्ट कमीशन के सामने जाती है तो एक नया एम० एस० सी० एग्रीकल्चर है उसको चुन लिया जाता है। फिर यह देखा जाय कि ३०० आदमियों में से कितने आदमी हरिजनों में से ले लिये जाते हैं। जो सरकारी आर्डर्स हैं, क्या इस तरह से उनकी अवहेलना नहीं होती? यहां तक होता है कि आफिसर्स के ट्रांसफर हो जाते हैं और एक ही जाति के जितने सरकारी ऊंचे अधिकारी होते हैं एक ही स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह कैसे होता है यह देखने की बात है। वहां देखा गया है कि डी० एम० जिस जाति का है उसी जाति का प्लानिंग आफिसर भी है, एस० पी० भी उसी जाति का है और अन्य पदाधिकारी भी उसी जाति के हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पर हमारी सरकार ने कभी नहीं सोचा और न कोई कार्यवाही की। पिछली दफा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक क्लर्क की जगह खाली थी। उसके लिये हरिजन उम्मीदवारों ने भी दरख्वास्तें दी, लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार को जिसकी उम्र साढ़े १४ वर्ष की थी उसे नियुक्त कर लिया गया। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को इन राईटिंग दी और ६, ७ महीने के बाद कलेक्टर साहब ने वह शिकायत इन ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के पास भेज दी। उन्होंने मूछों पर ताव दे कर कहा कि एक चमार का लड़का क्या ठाकुर के लड़के को निकाल सकता है? कलेक्टर साहब ने यह बात नहीं देखी कि इंक्वायरी किस प्रकार होनी चाहिये। शिकायत को इन ओरिजिनल चैयरमैन के पास भेज दिया इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तौर से नहीं चल सकता। आखिरकार १० महीने के बाद उसको अलग किया गया। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि सरकारी अधिकारियों का यह हाल है, वे अनुचित कार्यवाहियों पर भी मौन हो कर बैठ जाते हैं और तुरन्त ऐक्शन नहीं लेते। जिस तरह से सरकार का कार्य चल रहा है वह असंतोषजनक ही नहीं है, अगर इस तरह से चलता रहा तो बड़े खतरे का भय है। उच्चाधिकारियों का रवैया बड़ा असंतोषजनक हो गया है और मैं समझता हूं कि हरिजनों के साथ और पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। ऐसी हालत में यह साफ निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में.....

श्री उपाध्यक्ष—सदन में बड़ा शोरगुल हो रहा है सब शांत रहें तो काम अच्छी तरह से चले।

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत अहम विषय है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये समय प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिये निश्चित कर दिया जाय ताकि सब को मौका मिल सके।

श्री जयपाल सिंह—इस शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि इन जगहों पर इस प्रकार से रखना चाहिये जिससे उनको स्थान प्राप्त हो सकें। पेज ६५ पर इसमें यह दिया हुआ है कि—

"I would suggest that in such cases, Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates with minimum educational qualifications should be selected for temporary appointments without any comparative merit being assessed on the basis of a departmental test."

यह स्पष्ट रिमार्क इसमें दिये हुए हैं, जिन पर हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। इस तरह के कानून लाने से यह जरूर हो जायगा कि हम अधिकारियों को इस तरह से कार्यवाही करने के लिये मजबूर कर सकेंगे। इस तरह का कानून लाना इसलिये जरूरी होता है कि उस तरह से काम कराया जा सके; मैं इस बात को भी साफ कह देना चाहता हूं कि जहां उदारता का संबंध है जिस समय किसी जगह को भरने का सवाल सामने आता है तो उस समय हमारे साथ वैसा बरताव नहीं किया जाता है। इस संबंध में मध्यभारत की सरकार ने अच्छा परिचय दिया है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिये योग्यता का सवाल पैदा नहीं होना चाहिये। इस विषय में सरकार को मध्यभारत की सरकार का अनुकरण करना चाहिये, जिसने अपने यहां ५० फीसदी जगह हरिजनों के लिये देने को कहा है। उन्होंने

[श्री जयपाल सिंह]

कहा है कि जब तक उनका कोटा पूरा नहीं हो जायगा तब तक उनको ५० फीसदी नौकरी दी जायगी। यह चीज इसमें दी हुई है जो कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की १९५२ की रिपोर्ट है—

" 50 per cent of the posts falling vacant or to be newly created should be filled by candidates belonging to these castes."

इस कारण हमको उदारता के साथ काम लेना चाहिये। कुछ लोग यह समझने लगते हैं कि अगर इन हरिजनों को सारी नौकरियां दे दी जायंगी तो उनका शेयर उसमें से कम हो जायगा परन्तु अब यह जबरदस्ती की बात नहीं रहनी चाहिये। वह लोग यह सोचते हैं कि उनका हिस्सा कट जायगा। आज भी वह यह सोचते हैं कि अगर हरिजन लड़के को किसी जगह के लिये चुन लेंगे तो उनकी एक जगह कम हो जायगी। इसलिये इसके लिये उदारता की आवश्यकता है। हर एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के मातहत काम करता है उसके लिये यह आवश्यक हो कि वह उदार होकर इस चीज को देखे।

मैं यह भी साफ कह देना चाहता हूं कि जितनी स्टेट्यूटरी बाडी है उनमें भी स्थान पूरा होना चाहिये। अगर वहां पर कुछ कोटा निश्चित कर दिया है तो यह कोई कारण नहीं है कि जितनी स्टैटचूटरी बाडीज हैं उनमें उनका कोटा पूरा न हो। उनका कोटा अवश्य पूरा होना चाहिये। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि यदि हम यह चाहते हैं और माननीय पन्त जी के शब्दों में यह चाहते हैं, कि जितनी भी शैडचूल्ड कास्ट्स के लिये पासीबिल कोशिश हो सकती है हम उतनी करेंगे। तो पासिबिल तो बहुत कुछ हो सकता है जिससे उन लोगों की हालत सुधर सकती है। जरूरत तो बहुत कुछ करने की है और जगह भी बहुत हैं लेकिन उनकी पूर्ति होनी चाहिये। मैं उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें माननीय पन्त जी की उस धारणा की पूर्ति करनी चाहिये जो कि वह बार-बार कह चुके हैं। यह बिल पेश किया गया है। इसमें कोई हवाला स्टेट्यूटरी बाडीज का नहीं है। पिछली दफा ऐसा एक प्रावीजन था यह आपत्ति तो यहां की जाती है कि यह बिल या संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता है मगर जो बात या काम करने को है उसे करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि यह कहना आसान है कि बिल अल्ट्रा वायरेस है। मगर कोई इस ओर कुछ कार्य करके भी तो दिखावे कि हरिजनों का भला हो। आर्टीकिल, संविधान की, ३३५ परिगणित जातियों के क्लेम्स को स्वीकार करती है और यह बात साबित करती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी पासीबिल का रास्ता हो उसे अपनावे। इसलिये सेलेक्शन बाडीज में हरिजनों को रखना भी एक रास्ता है। केवल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं बल्कि और बहुत सी बाडीज हैं और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि मैं यही नहीं चाहता कि उनमें हरिजनों को ही अवश्य लिया जाय मगर इतना अवश्य चाहता हूं कि उनमें ऐसे व्यक्तियों को लिया जाय जो हरिजनों की समस्या और कठिनाइयों को समझते हों और उनकी पूर्ति कर सकें। कोई वजह नहीं है कि अब भी हमारे संविधान में मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन न होते हुए भी जो उनकी जगह खाली हो वह उन्हें ही दी जाय या उनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे जावें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने दिनों से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है चाहे वह अननोइंग्ली ही हो। लेकिन बहुत से रास्ते हरिजनों के क्लेम्स पूरा करने के हैं और क्या हम अपने गवर्नर महोदय से या राष्ट्रपति महोदय से यह दरख्वास्त नहीं कर सकते हैं, क्या यह सदन यह दरख्वास्त नहीं कर सकता है कि हरिजनों के क्लेम्स पूरा करने के रास्ते अख्तियार किये जावें और चुनाव संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व हो? जो व्यक्ति उन गरीबों की समस्याओं को जानता है वही उनके चुनाव में दिलचस्पी ले सकता है।

एक रास्ता हो सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी नियुक्ति हो और

जितनी भी चुनाव कमेटियां होती हैं, जैसे पुलिस या और दूसरी, उन सब में हरिजनों की आवाज होनी चाहिये। एक कमेटी अभी बनी थी जिसने काम किया था। जो बड़ी कमेटी थी और जिसमें हजारों आदमी का इंटरव्यू किया गया था उसमें डाक्टर सीताराम थे लेकिन उस कमेटी में कोई हरिजन नहीं हुआ। ७०–७२ हरिजन उम्मीदवारों में कोई भी हरिजन नहीं हुआ और जो उच्च तबके के लोग थे उनको चुन लिया गया। उस कमेटी में और कोई नहीं रक्खा गया और जो लोग थे वे फाइनल कमेटी में रख दिये गये और जहां बहुत ज्यादा सेलेक्शन होता था वहां डाक्टर सीताराम को रख दिया गया। हरिजनों के साथ यह डिसक्रिमिनेशन होता है। ऐसी कमेटियों में चुनाव करते समय, उनकी नियुक्ति करते समय यह नहीं देखा जाता कि जो लोग इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं उनको इन कमेटियों में नियुक्त किया जाय। ऐसी हालत में मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि जब कभी मौका आता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन कमेटियों की सिफारिश को मानता है, तो ऐसी कमेटियों में सरकार को हरिजनों की सुरक्षा का ध्यान सुचारु रूप से रखना चाहिये। जहां तक एफीशियेंसी और नान ऐफीशियेंसी का सवाल है अधिकारीगण चाहे जिसको ऐफीशियेंट और चाहे जिसको नानएफीशियेंट करार दे सकते हैं। हरिजन के एवरेज कैंडीडेट को भी वे अयोग्य करार दे सकते हैं और दूसरे के लिये वह अयोग्यता अयोग्यता नहीं रहती। एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे चार व्यक्तियों को, जिनको उम्र की वजह से और एजूकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं लिया जा रहा था, उनको बुलाया और सेलेक्ट कर लिया। जब कि शुरू में ही दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी जाती हैं तो फिर ऐफीशियेंट और नान-एफीशियेंट का सवाल ही कहां पैदा होता है? अतः यह बात मानने के लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको बिल्कुल हटा ही देना चाहिये। ऐसे रूल्स को हटा ही देना चाहिये जो हमें एप्लाई किये जाते हैं और जिनके द्वारा हमारे साथ में न्याय नहीं किया जाता।

*समय—१ बज कर १५ मिनट

कुछ साथियों ने यह कहा कि इस तरह अगर फर्क किया गया तो हरिजन और नान-हरिजन में हमेशा के लिये यह फर्क हो जायगा कि यह हरिजन है और यह दूसरा है। ६२ जातियों की वजह से भी यह कहा जाता है कि सबको इसका फायदा किस प्रकार से मिल सकता है और कुछ उसका फायदा नहीं उठा पातीं। इसके बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हरिजन सहायक विभाग की ओर से यह सर्कुलर भेजा गया कि वाल्मीकी भाइयों को प्रिफरेंस दिया जाय और सब की सब जगहें भी दे दी जायं, अगर कैंडीडेट हों। वहां ५ स्थान थे और १४ बाल्मीकी भाइयों की दरख्वास्तें आयीं। लेकिन वहां अनुसूचित जातियों को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया गया। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि आप ६२ जातियों का नाम लेकर इस प्रकार से आपस में तफरका पैदा न करें जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था किसी को अल्पमत के बहाने, किसी को अयोग्यता के बहाने, किसी को बैकवर्डनेस के बहाने और किसी को ऐसा कह कर कि ऐसा करने के लायक नहीं है, आप अयोग्य न ठहराइये और तफरका पैदा न कीजिये। तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सन् १९२१ के पहले कोई उम्मीद नहीं करता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारतवर्ष के प्रेसीडेंट बनेंगे या पब्लिक का राज्य होगा। उस वक्त अंग्रेज भी कहा करते थे कि तुम लोग एफीशिएंट नहीं हो, लायक नहीं हो, पहले काबिल तो हो जाओ राज्य चलाने के। लेकिन जिस वक्त हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो क्या ७ वर्ष के अनुभव के बाद कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि हिन्दुस्तान दिन दूना रात चौगुना तरक्की नहीं कर रहा है? और एफीशिएंसी की मियार तो यह है कि दुनिया के देशों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम गूंज रहा है और भारतवर्ष का नाम सितारे

*सदन जलपान के लिये स्थगित नहीं हुआ।

[श्री जयपाल सिंह]

की तरह चमक रहा है तो जिस तरह से उस वक्त अंग्रेज हिन्दुस्तान वालों के लिये कहा करते थे कि तुम इनएफिशिएंट हो, काबिल नहीं हो, उसी तरह की बातें इस समय भी हरिजनों के लिये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें पैदा करना मुनासिब नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं साफ कहना चाहता हूं कि यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि देश का कल्याण हो और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण हो, और हर पहलू से चाहते हैं कि समाज के अन्दर कोई भेदभाव न हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि समाज की जो कमजोर कड़ी है उसको मजबूत किया जाय। जो अंग कमजोर है उसको मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि समानता में आकर उसके साथ न्याय किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय और इसमें [जो दो-तीन खामियां रह गयी हैं वे दूर कर दी जायं। एक खामी इसमें और रह गयी है इंडियन पेनल कोड के प्रोसीज्योर को अप्लाई करने की, तो उसको इस्तेमाल करने की एक धारा होनी चाहिये। तो जहां और खामियों पर विचार हो वहां इसके बारे में भी विचार कर लिया जाय तो जो खामी रह गयी है वह भी दूर हो सकती है और सभी सदस्यों की मनोकांक्षायें पूरी हो सकती हैं। मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि चूंकि यह बिल बड़ा अहम है और हमारे हरिजन सदस्य कम से कम ८० हैं तथा इस सदन के जो बहुत से सवर्ण सदस्य हैं उनके विचार भी हम इस सदन के अन्दर इस सम्बन्ध में सुनना चाहते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक समय निश्चित कर दिया जाय ताकि हरएक के विचार हम सुन सकें। केवल जयपाल सिंह ही अकेले कहे जायं तो उससे कुछ होता नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे हाउस को सुनने का मौका दिया जाय और समय अवश्य निश्चित कर दिया जाय तथा इस पर सारी सभा की राय ले ली जाय। मैं कहता हूं कि १५ मिनट प्रत्येक को दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रत्येक वक्ता के लिये १५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका संशोधन तो मंजूर नहीं हुआ है। इस विधेयक के ऊपर आप यों ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री नारायण दास—श्रीमन्, यह दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ है। आप १५ मिनट के अन्दर उस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री नारायण दास—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है, उस पर हमारे हरिजन नवयुवकों ने साल भर से काफी मेहनत की है और हमें इस विधेयक पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि यह हमारे बहुत बड़े समाज से ताल्लुक रखता है और जिस समस्या से यह सम्बन्धित है, वह हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है और यह विधेयक यहां पर हरिजन संरक्षण विधेयक के नाम से आया है, इसलिए इस में "हरिजन" शब्द से थोड़ा सा यहां भ्रम पैदा होता है कि यह नाम ठीक है या नहीं। इस पर मैं एक मिसाल दे रहा हूं और वह तुलसीदास जी की रामायण में है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहिं, बरु बचन न जाई। सुर, महिसुर, हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई।।" इससे मालूम होता है कि "हरिजन" शब्द जाति विशेष

के लिए नहीं था और न किसी समाज के लिए था, बल्कि सन्त भक्तों के लिए था, लेकिन अछूतों के प्रति पूज्य बापू की जो भावना थी, वह वैसी ही थी, जैसी सन्त भक्तों की हुआ करती है। इसी कारण से "हरिजन" शब्द को हरिजन समाज ने माना, लेकिन ऐसी भी संस्थायें हैं, जो "हरिजन" शब्द को नहीं मानतीं और न सरकारी अनुसूचित जातियों में यह शब्द मान्यता प्राप्त है। इसलिए यह सोचने की बात है कि इस विधेयक में "हरिजन" शब्द रखना ठीक होगा या नहीं। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक की धारा एक में यह भी आया हुआ है कि अनुसूचित जातियों से मतलब उन जातियों से होगा, जो कि सन् १९५० में राष्ट्रपति महोदय ने और राज्य सरकार ने मान ली है। लेकिन सन् ५० में जो सूची राज्य सरकार ने मानी है, उस में कुछ जातियां खटिक, कोरी, अरख, अहेरिया, थारू और भर आदि, जो सन् ३१ की अनुसूचित वर्गों में थ , आने से रह गयी थीं और इसलिए अगर सन् ५० की सूची मान ली जाती है, तो वह जातियां रह जाती हैं, जिन के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह से अगर देखा जाय, तो यह विधेयक पूरे हरिजन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

अब इस के बाद प्रतिशत का सवाल आता है। इसके अध्याय २ में मांगा गया है कि हरिजनों का संरक्षण २० प्रतिशत रखा जाय। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि पहले हरिजनों का संरक्षण १० प्रतिशत सर्विसेज में था, लेकिन जैसे जैसे उन की आबादी बढ़ी और उनका संख्या का अनुपात ज्यादा हुआ, हमारी सरकार ने उन का संरक्षण १८ प्रतिशत कर दिया और इस तरीके पर जिस तरह से हरिजनों की आबादी में बढ़ोत्तरी हुई है और उसी भांति संरक्षण में भी संख्या आनुपातिक बढोत्तरी हुई है, वैसे ही आगे कितनी बढ.त्तरी होगी और क्या अनुपात होगा, यह सोचने की बात है। इसलिए इस में यह गलती है और अगर हम इस तरह से हरिजनों के अनुपात को महदूद कर देते हैं तो यह हरिजनों के लिए हितकर न होगा। इससे २० प्रतिशत की जगह संख्या 'संख्यानुपातिक' शब्द होना चाहिए।

चौथी चीज आती है चुनाव परीक्षा की और इस विधेयक में यह रखा गया है कि हरिजनों की चुनाव परीक्षा हरिजनों के अन्दर ही करायी जाय। अव्वल तो हो सकता है कि लोग कहें कि ऐसा क्यों हो और यह हरिजनों के हित में होगा या नहीं ? सिद्धान्त रूप में यह जरा सोचने की बात है। अगर हरिजन हमारे यहां पढ़ गये हैं, काफी काबिल हो गये हैं, उन में योग्यता आ गयी है, तो यह सही है कि उन सीटों में जो उनके लिए रिजर्व हैं वही जायेंगे।

तो ऐसी सूरत में उनकी प्रतियोगिता हरिजनों में ही रखी जाय, यह चीज अनुचित सी मालूम होती है। यह भी एक सोचने की बात है कि कितनी सीटें कहां पर सुरक्षित हों और कितनी कहां पर, यह भी एक अहम मसला है। जो संरक्षण की विधि इसमें रखी गयी है कि इतने हरिजन एक वर्ष में स्थायी कैसे रखे जायं, वह इसलिए नहीं जंचती कि सरकारी कर्मचारियों के स्थायी या अस्थायी होने के भी नियम बने हैं। मिसाल के तौर पर कलेक्टरी में पेड अप्रेन्टिस होते हैं, वे १०, १० और १५, १५ वर्ष तक टेम्पोरेरी रहते हैं। जब एक जगह खाली होती है, तो जो सीनियर मोस्ट होता है, उसको ले लेते हैं। तो ऐसी दशा में इक्का दुक्का जगह खाली होती हैं, तो संरक्षण के मुताबिक वह बात हरिजनों के लिए आती ही नहीं और ऐसी सूरत में हरिजनों को कैसे लिया जाय, यह भी सोचने विचारने की बात है। तो यह सब बातें ऐसी हैं जिन पर हम लोग बिना प्रवर समिति को भेजे हुए कैसे यहां विचार करें, क्योंकि इस तौर पर तो बहुत टाइम लग जायगा और किसी निर्णय पर हम पहुंच भी न पावेंगे।

दूसरी बात यह है कि रामसुमेर जी ने इस विधेयक को उपस्थित करते हुए एक बात कही थी कि पूज्य बापू ने जो प्रतिज्ञा की थी कि हरिजनों का उद्धार होगा, लेकिन हमारे नेतागण ऐसे कर्म कर रहे हैं कि उनकी आत्मा स्वर्ग में दुखित होती होगी। हम इस विश्वास के मानने वाले हैं कि गांधी जी जिस अवस्था में और जैसे "हे राम" कहते हुए मरे हैं और स्वर्गलाभ किया है, उनको वहां परमानन्द की प्राप्ति होगी, उनके लिए रोना और दुखित होना क्या, वह तो रोना और दुखित होना तो हम लोगों के लिए है। हम लोग रो रहे हैं, हमारा राष्ट्र रो रहा है जब कि उन की परम आवश्यकता थी, उस वक्त वह यहां पर नहीं हैं, हमारे लिए यह रोना है। उनके

[श्री जयपाल सिंह]

लिए दुखित होना है क्या ? हमारे नेतागणों ने ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए उनको दुखित होना पड़ता होगा। हम ऐसी बुरी भावनाओं को अपने नेताओं के प्रति भी लेकर नहीं चलना चाहते क्योंकि जो कुछ हमारे नेतागण इस वक्त कर रहे हैं, वह जो कुछ हो सकता है, वह कर रहे हैं। वे आज भी गरीबों, दलितों व दलित राष्ट्रों के लिए न सिर्फ संघर्ष रत हैं, बल्कि बापू जी के बताये हुए मार्ग से इस अणु युग में निर्भीकता से विश्व में हिंसा के सामने खड़े होकर मानव समाज को शांति दे रहे हैं, जिस पर हमें फख्र है। हिन्दू समाज की रूढ़ियां ऐसी हैं, जो जल्दी से खत्म होने वाली च ज नहीं हैं। हजारों और सैकड़ों सालों से हम गुलाम रहे हैं और भूतकाल में जो पीड़ायें हमें उठानी पड़ी हैं, वह अवश्य अवर्णनीय हैं। वह किसी भी मानव समाज में मानवता के लिए कलंक हैं और इसी कलंक को दूर करने के लिए हमारा संविधान बना और उसमें सब से पहली बात यही रखी गयी है कि हम राष्ट्र के अन्दर कोई भी स्त्री, पुरुष, कोई भी जाति, वर्ण कोई भी समाज छुआछूत को नहीं मानेगा और मानेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और उसको सजा दी जायगी। इस तरह से जो सबसे पहली बात आयी, वह छुआछूत को खत्म करने की जिसके लिए बापू कहा करते थे कि छुआछूत न केवल हिन्दू समाज का ही वरन् भारत का कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए कोशिश हो रही है, और उसके लिए आप देख रहे हैं कि पंत जी जो अब यहां से जा रहे हैं, जो कुछ भावना उनके हृदय में रही जाती है, वह यही रही जाती है कि हमें अपने यहां इस उत्तर प्रदेश में जो कुछ काम करने के लिए बाकी है, वह दुखियों के अन्दर है, हरिजनों के अन्दर हमें काम करना है और अशिक्षितों के अन्दर काम करना है। जो विमोचित रहे हैं, उनके अन्दर काम करना है। यही हमारी सब से बड़ी बात होगी कि हम उनको कुछ उठा दें। यह उनकी भावना है और यह हरिजन समाज से ताल्लुक रखती है और इसी के लिए उन्होंने यहां के नेताओं से कहा कि यह हमारी अधूरी चीज है कि जिसको आपको पूरा करना है। यह अभी कल की बात है। तो इस तरीके से हरिजनों की उन्नति के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें छुआ छूत को सबसे पहले दूर करने की बात कही गयी।

स्वराज्य प्राप्ति के पहले यहां बहुत से लोग राजाओं और ताल्लुकेदारों के पास गुलामों की तरह से रहते थे और जिस प्रकार उनसे हरी बेगारी ली जाती थी उसको देखते हुए उनको मानव भी नहीं कहा जा सकता था और इस प्रदेश ने सब से पहला काम सख्त कानून बनाकर जो किया वह यह था कि यहां किसी से हरी बेगारी नहीं ली जायगी। इसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, वह आजाद हो गये वे अब वोटाधिकारी हैं और हरी बेगारी लेने वालों में एक डर बैठ गया है कि ऐसा कराने से हमें सजा मिल सकती है। इसके अलावा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को पास करके हमने उन गरीबों और पीड़ितों को उनके घर व जमीन पर पूरा मालिकाना हक दिलवा दिया। इसके बाद यहां ७० या ७८ लाख रुपया जो सरकार दे रही है, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए वह कम नहीं है और उनकी उन्नति के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहां सर्विसेज का सवाल है, जिस में हरिजन समाज के लोग बिलकुल नगण्य से हैं। उनकी कोई गिनती ही नहीं है और जितनी सर्विसेज हैं, उनमें शत प्रति शत बड़े लोग हैं। जब हरिजन समाज में पढ़े लिखे लोग हो गये हैं और जैसा कि हम बचनबद्ध हैं १८ प्रतिशत जगहें उनको देने के लिए, तो उस समय इसके लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए। अधिकारी वर्ग में भ्रष्टाचार और जातिवाद इतना बढ़ गया है कि वह समझ ही नहीं पाते कि हरिजन भी कोई हैं। ऐसी अवस्था में सरकार का कर्तव्य है कि उनको आदेश देकर के जो स्थान हरिजनों को सर्विसेज में मिल सकते हैं, दिलाये और उन अधिकारियों को भी चाहिए कि हरिजनों के साथ उचित व्यवहार करें। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति सर्विस में हो जाते हैं, उनके साथ भी वहां इस तरह का अछूत का सा व्यवहार किया जाता है, और इस तरह की कोशिश की जाती है कि वह किसी तरह से निकाल दिया जाय। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जिन लोगों को सर्विस मिल भी जाती है उनमें से भी बाद में निकाल दिये जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीताराम शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत तरमीम की ताईद करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो भाव यहां व्यक्त किये हैं उनसे मैं कतई सहमत नहीं हूं। हरिजन समस्या हमारे देश के गरीबों की समस्या का एक अंगभूत भाग है। सारे देश में गरीबी की समस्याओं के हल के साथ ही साथ और उसके बाद ही हरिजनों की मूलभूत समस्या हल होगी। इस विधेयक के जरिये जो मांग इस हाउस के सामने प्रस्तुत की गयी है, निस्सन्देह वह मांग सारे हरिजनों की नहीं, बल्कि हरिजनों के अन्दर जो नया पैदा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग, है उसकी मांग है। क्योंकि आज शिक्षा के प्रसार के कारण जैसे अन्य पिछड़े हुए वर्गों में पढ़े लिखे लोग उत्पन्न हो रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर वे बेकारी और बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए जो उपाय वे ढूंढ़ रहे हैं, उनमें एक उपाय नौकरी भी है और उसी नौकरी की आज समस्या पढ़े लिखे हरिजनों के सामने पैदा हो रही है, उसी का हल यह विधेयक प्रस्तुत करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलते हुए श्री सीताराम शुक्ल जी ने बहुत से विवादग्रस्त विषय उठाये। पाकिस्तान, १९१६ का साम्प्रदायिक और पृथक निर्वाचन का समझौता, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग से इन हरिजनों द्वारा प्रस्तुत मांग की समानता यह तमाम बातें उन्होंने उठायीं। सभी बातें बहुत विवादग्रस्त हैं और हर एक पर बोलने के लिए काफी समय चाहिए। लेकिन मैं यह अदब के साथ कहूंगा कि हरिजनों द्वारा या हरिजन साथी जो इस सदन में हैं, उनके जरिये यह पेश की गयी मांग का मुकाबला मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान की मांग से किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। उसकी और इसकी तुलना करना बिलकुल ही अनुचित होगा।

पाकिस्तान की मांग का प्रारम्भ इस बात से हुआ कि हिन्दुस्तान में पूंजीवाद के विकास में मुस्लिम पूंजीपति, हिन्दू पूंजीपतियों के बाद प्रगति में आये यानी पूंजीवाद के विकास के मैदान में आये। मुक्त द्वार व्यापार नीति के अनुसार छोटा पूंजीपति बड़े पूंजीपति के मुकाबले टिक ही नहीं पाता, यह पूंजीवाद का एक नियम है। बड़े से बड़ा होता है और छोटा नीचे को हटता है फिर उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि बड़े पूंजीपतियों में मिल करके वह अपने को समाप्त कर दे। हिन्दुस्तान में जो मुस्लिम पूंजीवाद का विकास हुआ, वह हिन्दू पूंजीवाद को कम्पीट करने के लिए उसने इस बात की मांग रखी कि हिन्दुस्तान का बटवारा हो, ताकि हिन्दुस्तान के एक हिस्से में राज्य शक्ति के बल पर वह भी बढ़ सके। ऐसी कोई बात यहां पर इस मांग में नहीं रखी गयी है। इस लिए इस मांग की उससे तुलना नहीं की जा सकती है। जहां तक छुआछूत का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम होगा कि कास्टिज्म या छुआछूत, जातिपांति की पूरी व्यवस्था यह समाज के विकास की एक मंजिल पर उत्पन्न होती है और कुछ हद तक समाज की प्रगति में भी एक समय इसने सहायता प्रदान की। लेकिन आज यह एक बिलकुल जड़ चीज हो गयी है जो कि हमारे समाज की, चाहे हिन्दू समाज हो, चाहे पूरे देश का मानव समाज हो, प्रगति में बाधक हो रही है और छुआछूत का भत इस तरह व्याप्त है, कोई नहीं कह सकता है कि किसी जाति में यह छुआछूत का भूत नहीं है। इस लिए खुद जहां तक मैं समझता हूं कि जिन जातियों को हरिजन कहा जाता है या शेडचूल्ड कास्ट के नाम से पुकारते हैं, उनके अन्दर भी आपस में छुआछूत है। तो जो अर्द्ध-सामन्ती समाज के विकास के समय, देश वृद्धि के अवसान के समय इस छुआछूत का और जाति-पांति की प्रथा का उत्थान हुआ और निश्चित है कि सामन्ती समाज के पूर्ण खात्मे के बाद पूर्ण पूंजीवादी समाज के विकास के समय इस जाति-पांति की, इस छुआछूत की बातों की समाप्ति भी हमारे देश में होगी। चूंकि आज सामन्ती युग से पूंजीवाद की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है और ज्यों-ज्यों अग्रसर हो रहा है, उसी मात्रा में छुआछूत का भेद भी आज कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी आयु हम से कुछ ज्यादा है, आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज से ३० साल पहले ५० साल पहले, जिस हद तक यह भेदभाव था, आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखंडे राय]

निश्चित रूप से उससे कम है। इसका कारण यही है कि एक समाज का खात्मा हो रहा है, एक नये समाज का उत्थान हो रहा है, पुराने के पेट से नये का जन्म हो रहा है, इसलिए यह चीजें, जमाने की रफ्तार में खत्म होती जा रही हैं। लेकिन इनकी तरफ से सचेष्ट रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि यह जो मांग रखी गयी है, यह बहुत ही वाजिब और न्यायोचित है। मैंने एक बार पहले भी सदन में कहा था कि चाहे कानून से हरिजनों को बहुत सी सुविधायें मिलीं हों, इसमें शक नहीं लेकिन कानून के पालन करने वाले उन सुविधाओं को ठीक से प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो मनोवृत्तियां हैं, जो उनके रुझानात हैं, जो रवैयात हैं, वह उनको बाध्य करती हैं कि वह हरिजनों के साथ या इस तरह के पिछड़े हुए लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जिससे उनके मन में इस कानून के प्रति, कानून बनाने वालों के प्रति और खास कर उन अधिकारियों के प्रति एक अश्रद्धा पैदा हो। तो कास्टिज्म जाति-पांति और छुआछूत एक वस्तुस्थिति है, यह समाज के अन्दर निश्चित जातियां और वर्ग हैं, इसकी तरफ से आंख नहीं मूंदी जा सकती है। यह सोचना कि जाति पांति के आधार पर मांग रखना उचित बात नहीं है, यह कोरा उपदेशवाद है, इससे समस्या का हल नहीं होगा। मैंने उनके द्वारा प्रस्तुत जो तरमीम हैं उसकी ताईद इसीलिए की है कि मामला (हम इस से सहमत हैं) अत्यन्त गम्भीर है और इसका एक सामयिक हल भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए मिलीजुली कमेटी ऐसी हो जो इस पर पूरी तरह से विचार करके एक हल पेश करे। तो मैं समझता हूं कि हमारे हरिजन भाई और जिनकी तरफ से मांग उठायी गयी है, उनका भी समर्थन प्राप्त होगा और साथ ही साथ इस सदन में उसका स्वागत होगा।

जातियों के प्रश्न के ऊपर उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि हमारे हिन्दुस्तान की एक विशेषता है। हमारे देश के समाज की जाति और छुआछूत दूसरे देशों से भिन्न है। दूसरे देशों में इस तरह का भेदभाव या जाति पांति की भावना नहीं है, जैसी कि हमारे देश में है, यह हमारे देश के समाज की एक विशेषता है। इसलिए इसका हल भी अपने प्रकार से हमको करना पड़ेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए किसी दूसरे देश की नकल करें। लेकिन कुछ इस से मिलती जुलती समस्यायें दूसरे देशों में रही हैं, जिनका उन्होंने अपने प्रकार से सफल हल प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, सोवियट यूनियन में जहां तक मैं जानता हूं अस्सी जातियां और एक सौ बीस उपजातियां हैं और उनकी भाषायें हैं इतनी बड़ी देश में विभिन्नता है। लेकिन आज एक सिद्धान्त के अन्दर उनकी हर प्रकार से उन्नति हो रही है। तो इतनी बड़ी समस्या का उन्होंने हल प्रदान किया है, हम उनकी नकल न करें, लेकिन उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हल प्रदान किया। उसका हल हमारी ही भारतीय संस्कृति के अन्दर मौजूद है, अर्थात् 'यूनिटी इन डाइवर्सिटी' अगर हम यह सोचें कि हमारा सारा देश एक जाति, एक ऐतिहासिक विकास के क्रम में बंधे हुए लोगों का, एक ढांचे में बंधे हुए लोगों का देश है, तो यह गलत है। हमारा देश बहुत सी जातियों का मल्टीनेशनल स्टेट है यहां विभिन्न जातियां हैं। खुद हरिजनों में आप देखें कि एक पंजाब के हरिजन और एक बंगाल के हरिजन और एक दक्षिण भारत के ट्रावंकोर कोचीन के हरिजन में कोई समता नहीं है, सिवाय इसके कि वह सब अछूत समझे जाते हैं। लेकिन आप देखें कि उनकी भाषा, उनकी तहजीब, तमद्दुन, वेशभूषा, आर्थिक रहन सहन में, ऐतिहासिक परम्परा में, सब में अन्तर है। इसलिए हमारे देश की छुआछूत की जो वर्ण समस्या है, यह पूरे राष्ट्र की समस्या का, नेशनल क्वेश्चन का एक भाग है, जाति समस्या का भाग है और उस नेशनल क्वेश्चन के पूर्ण हल के साथ ही इसका भी हल खोजा जा सकता है। इसीलिए मैंने श्री सीताराम शुक्ल का समर्थन किया कि इसको गम्भीर समस्या समझ कर प्रवर समिति के सामने भेजा जाय, ताकि वहां से एक सोची समझी हुई समस्या का हल प्राप्त हो सके जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीताराम शुक्ल जी ने मुस्लिम लीग या उसकी उस मनोवृत्ति का मुकाबिला यहां हरिजनों द्वारा उपस्थित इस मांग से किया है, वह मैं अनुचित समझता हूं क्योंकि मुस्लिम लीग की शुरू से ही एक खास मांग प्रतिकार के आधार पर, अलगाव के आधार

पर रही। श्री जयपाल सिंह जी ने कहा है कि हरिजन सम्प्रदाय हमारे पूरे हिन्दू समाज का एक अंग है। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी जन संख्या के आधार पर उनको नौकरियों में स्थान सुरक्षित किया जाय और खास कर इसलिए कि विधान में उसको मंजूर किया गया है, इसलिए कि उनके अन्दर भी पढे लिखे लोग पैदा हो रहे हैं और यह निश्चित है कि वह अपनी संख्या के मुताबिक स्थान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारे साथी ने कहा है कि नौकरियों में ऊंची जाति और ऊंचे वर्ण के लोग भरे हुए हैं। उनके दिमाग में अगर सहस्राब्दियों से नहीं तो शताब्दियों से एक मनोवृत्ति भरी हुई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से वह इस समाज के बंधन में जकड़े हुए हैं। वे सरकार के कानून के डर से और कानून की तलवार के डर से एक ऐसा बरताव शुरू कर दें, यह सम्भव नहीं है। जयपाल सिंह जी ने जो उदाहरण दिये हैं वह मैं नहीं देना चाहता, लेकिन वह सही होंगे। उस तरह के और हजारों उदाहरण दिये जा सकते हैं कि किस तरह से एक मामूली नौकरी के लिए हरिजनों को ठोकरें खानी पड़ती हैं। यदि एक सवर्ण हो और एक हरिजन हो, दोनों की एक ही योग्यता हो तो आम तौर पर नौकरी देने वाले अधिकारी अन्तर करते हैं और हरिजनों की पूछ नहीं होती है। तो यह मांग कि हरिजनों को नौकरियों में उचित स्थान दिया जाय, यह बिलकुल न्यायोचित मांग है और इसलिए किसी माननीय सदस्य को डर बिलकुल नहीं होना चाहिए चाहे वह सवर्ण हिन्दू हो या ऊंचे समाज का हो कि इस से हरिजनों में पृथकत्व का भाव पैदा होगा। एक आर्टिफिशल यूनिटी, कृत्रिम एकता का भाव जो लोगों के दिमाग में काम करता है, उसके आधार पर वे चाहते हैं कि इस तरह की मांगों को दबाया जाय, तर्कों के आधार पर। वह कृत्रिम एकता हमारे लिए न श्रेयस्कर होगी और न कल्याणकारी हो सकती है। इन मांगों के जो प्रोग्रेसिव कन्टेन्ट हैं, जो प्रगतिशील अंश हैं, उनको पकड़ना चाहिए और जो पिछड़े हुए हैं, जिनको समाज में सदियों और सहस्राब्दियों से दबाकर रखा गया है और हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक; धार्मिक, हर प्रकार से जिनका शोषण और दमन हुआ है, उनको सन्तुष्ट रखकर ही हम समाज में समन्वय कायम रख सकते हैं, इन मांगों में निश्चितता है। ऐसा भी हो सकता है कि वासु रूप में वह विकृत हों, कुछ अलगाव, पृथकत्व मालूम होता हो, लेकिन उसका जो आन्तरिक तत्व है, जो मूलरूप है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और हरिजनों की मांग में जो एक प्रगतिशील अंश है, उसको सम्पन्न करना चाहिए और यह डर, यह फीयरफोबिया जो उनके दिमागों में है, यह व्यर्थ है कि इस से हरिजनों में वही भाव पैदा होगा, जो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों में पैदा किया। आखिर में, मैं हरिजन भाइयों से जो यहां बैठे हुए हैं, या जो उन लोगों की नुमाइन्दगी करते हैं, जिनका वह अपने को नुमाइन्दा कहते हैं, एक बात निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि हरिजन भाइयों की समस्या हमारे देश के गरीबों की समस्या का एक भाग है। सारे देश की समस्या के साथ ही हरिजनों की समस्या का हल होगा। हरिजन गरीबों की और देश के दूसरे गरीबों की समस्याओं को अगर अलग-अलग हल करने की बात सोची जायगी, तो किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सब समस्याओं का हल एक साथ सोचा जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल हमारे सामने इस वक्त चल रहा है, मुझे उससे पूरी हमदर्दी है और मुझे यकीन ह कि हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुत से लोग, बेशुमार तादाद में लोग ऐसे होंगे जिनको हरिजनों की मांगों से पूरी हमदर्दी होगी और हरिजनों के वेलफ़ेयर से पूरी हमदर्दी होगी। इस बिल के अन्दर जिन बातों की मांग की गयी है वह एक हद तक उनकी जरूरतों को पूरा करती है और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी और उनकी हुकूमत इस सूबे के अन्दर हरिजनों और बैकवर्ड क्लास की मांगों पर हमेशा से हमदर्दी के साथ गौर करती रही है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है।

जो मांग इस बिल में पेश की गयी है और जिस तरह से कि इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है, उसमें बहुत सी कमियां और खामियां रह गयी हैं और जिन भाइयों ने इस पर तकरीरें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

की हैं उन्होंने भी महसूस किया है कि इसको फिर से ड्राफ्ट करने की जरूरत है और दोनों सदनों की मिली जुली कमेटी के इसको सुपुर्द कर दिया जाय। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे या किसी और को कोई एतराज इसमें नहीं हो सकता है।

मैंने जैसा कि पहले कहा कि इस बिल में जो मांग पेश की गयी है, उससे जाहिर है कि किसी न किसी हद तक हरिजन भाइयों को नफ़ा पहुंच सकता है और उनकी उन्नति भी हो सकती है। लेकिन जितनी भी मांगें इस बिल में की गयी हैं वह सिर्फ चंद सरकारी नौकरियों से ताल्लुक रखती हैं। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि अगर वाकई हरिजनों की तरक्की करनी है और उनकी पिछड़ी हुई हालत को सुधारना है, तो यह सिर्फ इस चीज से नहीं हो सकता है कि हम सरकारी नौकरियों में या लोकल बाडीज की नौकरियों में कुछ आदमियों को रखवा दें, या तरक्की करा दें। उनमें चन्द को डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार या जज बनवा दें तो इससे हरिजनों का सुधार नहीं हो सकता है, उनकी बेहतरी नहीं हो सकती है।

अब सवाल यह है कि अगर हरिजनों की हालत को हमें सुधारना है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। मेरा अपना जाती खयाल तो यह है कि अगर हम वाकई में ख्वाहिशमन्द हैं कि हरिजनों का सुधार हो जाय और उनकी तरक्की हो जाय और इसमें मुझे कोई अन्देशा नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं न चाहूं, लेकिन हममें से हर शख्स को ख्वाहिशमन्द होना चाहिए और सब को इस के लिए कदम उठाना चाहिए और उनकी बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इसके लिए कौन सी तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। हमारे सामने महात्मा गांधी जी की मिसाल मौजूद है, उन्होंने हरिजनों की बेहबूदी के लिए काम किया, लोगों में एक भावना पैदा की, जिस से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हरिजन भाइयों की बहुत हद तक तरक्की हुई।

जब महात्मा गांधी जी जिन्दा थे तब मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा बिल नहीं आया कि जिस से हरिजनों की तरक्की का सवाल पैदा होता हो। लेकिन उन्होंने हरिजनों में बैठकर लोगों में एक ऐसी भावना पैदा की, उन्होंने अपनी जिन्दगी से एक ऐसी नजीर देश में पेश की, जिससे हरिजनों की उन्नति की बहुत सी बातें पैदा हो गयीं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे भाई हरिजनों की हालत को सुधारने के लिए एक सच्ची स्पिरिट में तैयार हों और वह हरिजनों में काम करें। हरिजनों की इकोनोमिक और सोशल कन्डीशन को दुरुस्त करने की चेष्टा की जाय और इसके साथ साथ एक बात की और भी जरूरत है कि हमारा निजाम तालीम भी दोहराया जाय, इसलिये कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, पुराना चला आ रहा है काफ़ी अर्से से, उसमें इस बात की बहुत गुंजायश है कि उससे उन पिछड़ी हुई जातियों की कोई तरक्की हो सके कि जो पिछड़ी हुई जातियां इस मुल्क में मौजूद हैं और एक अर्से से चली आ रही हैं। यह सही है कि तालीम की तरफ भी हमने तरक्की की है, कई कमेटियां बैठी हैं, नरेन्द्र कमेटी बैठी और यूनिवर्सिटी कमेटियां भी बैठीं और उन्होंने बहुत सी रिपोर्टें भी दीं, लेकिन इतना अगर मैं कहूं तो बेजा नहीं होगा कि जहां तक तालीम के मामले का ताल्लुक है उसका तरीका अभी तक हमारे इस मुल्क में और इस सूबे में बदला नहीं है और जब तक कि तालीम का तरीका सही मानों में नहीं बदलता उस वक्त तक न तो इन तरीक़ों पर हरिजनों की कोई तरक्की हो सकती है और न उनके कोई सुधार की गुंजायश ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस बिल के जरिये से जो बात हमने पेश की है वह यही है कि हम कुछ नौकरियां उनको ज्यादा दिलवायें, हम उनको कुछ और तरक्की दिलवायें, हम उनमें से कुछ का कन्फर्मेशन करायें, लेकिन यह कितने आदमियों पर एप्लाई करेगा। अगर आप सोचें तो जो हरिजनों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क और इस प्रदेश के अन्दर है उसके शायद एक फीसदी लोग ऐसे नहीं होंगे, जो इससे नफा पा सकेंगे। हक़ीक़त में अगर हमें उनको नफा पहुंचाना है,

अगर हमें वाकई इस मुल्क और सूबे को क्लासलेस सोसाइटी की तरफ ले जाना है जिसके लिये हम पहले से कमिटेड हैं तो वह इस बात से हो सकता है कि उसकी सोशल और एकोनॉमिक तरक्की की जाय। इस सिलसिले में अगर मैं एक चीज और अर्ज कर दूं तो कुछ बेजा नहीं होगा कि हमारे यहां जो जमींदारी का खात्मा हुआ और जमींदारी के खात्मे के बाद जो अधिवासी थे उनको भूमिधरी के जो हकूक दिये गये वाकई वह एक इतना बड़ा क़दम था कि जिससे हरिजनों को, जो इस सूबे के अन्दर रहते हैं बहुत काफ़ी मदद मिली, और शायद वे इस काबिल बन गये कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह स्कीम इस सूबे में चलायी गयी। इसी तरीके से और भी बहुत सी स्कीमें हो सकती हैं जो सोशल और एकोनॉमिक वेलफ़ेयर के लिये सूबे के अन्दर चलायी जाती हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हम लोग सब बैठें और इस बात की तरफ़ तवज्जह करें कि वे क्या और सूरतें हो सकती हैं? जैसा कि मैंने अर्ज किया, सिर्फ़ इस बिल पर क़नात कर लेना बहुत काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसके मातहत हम वह चीज हाँसिल नहीं कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।

हरिजनों को छोड़ कर इस मुल्क के अन्दर और बहुत से लोग हैं जिनको बैकवर्ड कहा जा सकता है। हरिजनों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड क्लासेज हैं। उन सबकी भी तरक्क़ी और सुधार जरूरी है। यह लाजिमी है कि एक गाड़ी के दो पहियों में अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा तो वह गाड़ी कभी भी कामियाबी के साथ चलायी नहीं जा सकती है, और इस बात की जरूरत है कि जो गाड़ी के पहिये हों वे बराबर हों। मैं जानता हूं कि हमारे हरिजन भाई या हमारे बैकवर्ड क्लासेज के भाई जो हैं वे सब इस मुल्क के बाशिन्दे हैं और उन सब का इतना ही इस मुल्क पर हक़ है जितना कि और लोगों का है। और इसी वजह से वे लोग, जो अब तक अपने को हाई कास्ट समझते हैं उनका यह फ़र्ज है और उनसे मैं अपील करूंगा कि वे इस मामले पर ख़ासतौर से तवज्जह करें और अपने इन पिछड़े हुये भाइयों को उठाने के लिये जो कुछ उनसे बन सकता है वह जरूर करें।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है उसको जो मैंने पढ़ा तो इसमें एक सजा भी रख दी गयी है कि जो ऑफ़िसर उनका सही प्रोपोर्शन नौकरी में नहीं दे या उनको तरक्क़ी देने के काम में पूरे तरीके से काम न करे उसको ५०० रु० जुर्माने की सजा दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस तरह का प्राविजन बिल में रखना कुछ ज्यादा सही न होगा इसलिये कि अगर ऐसा प्राविजन बिल में रखा गया तो यह एक बड़ी भारी प्राब्लेम पैदा कर देगा। इससे सूबे के अन्दर बहुत सी इन्क्वायरी करनी पड़ेंगी और फ़िर बहुत से एतराज होंगे और फ़िर क्या सजा दी जाय, ये सवाल गवर्नमेंट के लिये पैदा हो जायंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छी सूरत नहीं है। इस बिल को और भी तरीकों से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम किसी मामले में एक मेंडेटरी दफ़ा रख दें कि ऐसी बात जरूर करनी होगी, और अगर वह बात न की जाय तो गवर्नमेंट को हर वक्त अख्तियार रहता है कि वह उन आफ़िसरान को मजबूर करे जिनको उन कामों को अंजाम देने का हक़ है उनको पूरा कर के दिखलायें। इसीलिये जो सुझाव बाज दोस्तों की तरफ़ से दिया गया है कि इस बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि वह अपनी जगह पर बिलकुल सही है। वह इस पर ग़ौर कर के इस बिल को रिड्राफ्ट करेगी और जो ख़ामियां हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया है जो इस बिल के अन्दर भावनायें मौजूद हैं मेरी उनसे कतई हमदर्दी है। मुझे यकीन है कि कोई शख्स भी ऐसा न होगा कि जिसकी उनसे हमदर्दी न हो। लेकिन मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि इस बिल से ही हरिजन भाइयों को सुख और इत्मीनान नहीं पहुंच सकता है। बजाय बिल पर ज्यादा भरोसा करने के हम अपने अमल पर ज्यादा भरोसा करें तो ज्यादा अच्छा है और उसके सिलसिले में अगर हम कोई ऐसा आर्गेनाइजेशन बनायें जिसने उनके सोशल और इकनामिक अपलिफ्ट के लिये कुछ काम किया जाय, उसके लिये कोई आर्गेनाइजेशन बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा बेहतर होगा।

इन अल्फ़ाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री महीलाल (ज़िला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक की महत्ता और उसकी आवश्यकता से सहमति प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति के पास जाना चाहिये जिससे कि वैधानिक दृष्टिकोण से जो कमियां हैं वे पूरी हो जायं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के द्वारा हरिजनों के संरक्षण की पूर्ति का प्रश्न है वह प्रश्न केवल हरिजनों के हित का ही प्रश्न नहीं है। वह प्रश्न आज हमारे पूरे मानव समाज का प्रश्न है। यह बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या केवल हरिजनों की समस्या नहीं है। वह हमारे मानव समाज की एक समस्या है, उसका कारण बहुत कुछ हमारे समाज की आर्थिक विषमता से है। मैं हरिजन समस्या को बहुत कुछ आर्थिक समस्या ही मानता हूं। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमें अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक उन्नति करनी है। हमारा हरिजन समाज या हरिजन वर्ग हमारे मानव समाज के वर्ग का वह भाग है जो ज्यादातर आज हमारी सामाजिक और आर्थिक दूषित परिस्थितियों का शिकार बना हुआ है। आज हरिजन वर्ग के लोग एक ओर सामाजिक परम्पराओं से जकड़े हुये हैं और दूसरी ओर आज की आर्थिक कठिनाइयां उनके सामने हैं। मैं यह समझता हूं कि यह बिल जो हमारी नौकरियों में हरिजनों के संरक्षण के लिये लाया गया है वह हरिजनों की दोनों ही प्रकार की उन्नति के लिये एक साधन है जिससे हरिजन सरकारी नौकरियों में आने के बाद दोनों प्रकार की उन्नति की ओर क़दम बढ़ाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लीजिये तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चाहे सरकारी कर्मचारी को कितना ही कम वेतन मिले परन्तु फिर भी वह समाज के दूसरे निर्धन और पीड़ित लोगों से कुछ अच्छा ही जीवन व्यतीत करता है।

समय—२ बजकर १५ मिनट

उदाहरण के तौर पर हम अपने राज्य के चपरासी को लें, उसको ४५ रुपया मासिक कम से कम वेतन मिलता है। दूसरी तरफ़ खेतिहर मज़दूर खेती में किसानों के साथ काम करता हैं। उसको मेरे जिले में ही १० आने या ८ आने रोज़ मिलते हैं। अगर इस पैमाने से हम नापें तो कम से कम यह मानना होगा कि आर्थिक लाभ तो सरकारी नौकरी में होता ही है। आर्थिक दृष्टिकोण से हरिजन समाज ही नहीं बल्कि मानव समाज का निर्धन और गरीब वर्ग ऊपर उठता है। सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकारी नौकरी में आने के बाद मनुष्य के अन्दर एक आत्मसम्मान पैदा होता है, एक स्वाभिमान की भावना आती है और वह अपने को दूसरे मनुष्यों से ऊंचा नहीं – ऊंचा तो मानना ही नहीं चाहिये– बराबर का मानने लगता है। यह बात हमारे विद्वानों और नेताओं ने हरिजनों को उपदेश देते हुये कहा है कि हरिजनों को अपने में स्वयं आत्म विश्वास और स्वाभिमान पैदा करना चाहिये। वैसे तो जो मूलभूत समस्यायें हैं वे इस विधेयक से पूरी नहीं होतीं। मैं यह भी मानता हूं कि जब तक पूरे तरीके से हमारे समाज का आर्थिक ढांचा नहीं बदल जाता उस समय तक हमारे हरिजन समाज की समस्यायें हल नहीं हो पायेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या जिस दृष्टिकोण से भी हम देखें हरिजनों के लिये सरकारी नौकरियों में स्थान मिलना हरिजन समाज की, गरीब और पिछड़े हुये समाज की उन्नति करने का एक साधन है, और सरकार ने उस तरफ़ कदम उठाया है। यह विधेयक कोई नई चीज़ नहीं है। १८ प्रतिशत स्थान सरकार की तरफ़ से सुरक्षित हैं और इस विधेयक में २० प्रतिशत की मांग की गई है। केवल दो प्रति शत अधिक मांगा गया है। आज हम इस विधेयक को कोई डरावनी चीज समझ लें और उस पर हम शुक्ल जी की तरह कहने लगें कि इससे तो मुस्लिम लीगी भावना बढ़ रही है, जातीयता की भावना बढ़ रही है और इस विधेयक को हम उस तरफ़ ले जायें और इस दृष्टिकोण से उसे देखने लगें तो शुक्ल जी की इस भावना से मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे हरिजनों के हृदय में भय उत्पन्न होगा और अविश्वास उत्पन्न होगा। और जिस बात को कुछ दिन पूर्व हमारे पूज्य बापू ने हमारे समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक बतलाया था, उसे आज मुस्लिम लीगी और जातीयता बढ़ाने वाली बात कहा जाय तो इससे हरिजनों के हृदय में अविश्वास ही उत्पन्न हो सकता है। मुझे दुख होता है, जैसा मैंने पहले कहा और फ़िर कहता

हूं, कि जो हिन्दू धर्म के ठेकेदार बनते हैं या हिन्दू धर्म के रक्षक बनते हैं उनके पीछे हरिजन समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी नहीं है। हरिजनों ने गन्दे तालाबों का पानी पीकर, नालियों का पानी पीकर और अनेकानेक अत्याचार सह कर भी हिन्दू धर्म का पालन किया है। क्या-क्या प्रलोभन हरिजनों के सामने नहीं थे जब कि उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था, जब मुसलमान धर्म में लोग परिवर्तित किये जा रहे थे और बहुत से बड़े-बड़े लोग मुसलमान हुये ? क्या उस समय हरिजनों के सामने प्रलोभन नहीं थे कि आज उनको शिक्षा दी जा रही है हिन्दू धर्म के हितैषी बनने की ? मैं इस बात को पसन्द नहीं करता, मेरे दिल पर इस बात से चोट लगती है कि ऊंची जाति के हिन्दू इस बात की शिक्षा दें कि हरिजन हिन्दू धर्म के हितैषी बनें, हिन्दू धर्म के पालक बनें, जब कि हरिजन समाज के लोग पहले से ही मूर्ति पूजा में विश्वास करते हों, और यहां तक कि अपनी जीभें देवी पर चढ़ा देते हों, पेट के बल रेंग रेंग कर मन्दिर तक जाते हों, मार खाते हों और पीटे जाते हों, लेकिन मन्दिर में जाने की कोशिश करते हों। आज इस प्रश्न को जातीयता के ऊपर ले जायं, साम्प्रदायिकता की आड़ में ले जायं यह मुनासिब नहीं मालूम होता। यह हरिजन समाज के लिये ही नहीं वरन् पूरे समाज के लिये दुखद होगा कि उन पर साम्प्रदायिकता का लांछन लगाया जाय। इस बात की हिम्मत कीजिये और लांछन लगाइये, ठक्कर बापा पर लगाइये जिन्होंने हरिजनों के लिये काम किया है। जो लोग आज हरिजन सेवक संघ में काम कर रहे हैं उन पर लांछन लगाइये। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि आज हरिजन समाज को ऊंचा उठाने के लिये यही भावना होनी चाहिये जो कि हम पीड़ित और दुखी रोगी के लिये रखते हैं और उनके लिये दवा व विशेष योजना की व्यवस्था करते हैं और वह दवा यही हो सकती है कि उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जाय। हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाय। यदि आज आप यह आशा करते हैं कि बी० ए० पास करने के बाद हरिजन जाति का लड़का वह काम करे जो उसका बाप करता है, तो यह सम्भव नहीं हो सकता है। उसका बाप घास खोदता है लेकिन वह बी० ए० पास करके यह काम नहीं कर सकता है। सरकार के बल पर उसने डिगरी प्राप्त की है। उसके बाप के पास धन नहीं है, व्यापार नहीं है जो वह घर पर कर सके, तो फिर वह आखिर क्या करे। कालेज या यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री की शिक्षा भी नहीं मिली है जिसको वह घर पर कर सके। तो ऐसी दशा में उनको कोई काम देना सरकार के लिये निहायत जरूरी हो जाता है।

आज कल हरिजनों के लिये १८ फीसदी का संरक्षण है। परन्तु दूसरी तरफ चुनाव की यह हालत है कि जिसको समझ भी नहीं सकते हैं। चपरासी की नौकरी भी हरिजनों को नहीं मिल पाती है। कम से कम मैं इस बात को नहीं मान सकता कि हरिजन चपरासी का काम नहीं कर सकते हैं। वह तो शारीरिक शक्ति से सम्बन्ध की चीज है जिसमें वह काफी स्वस्थ होता है। मैं यह समझता हूं कि आज सरकार के जिन लोगों पर चुनाव की जिम्मेदारी है और उस संरक्षण को पूरा करने की ज़िम्मेदारी है उन्होंने इस विधेयक की आवश्यकता को पैदा कर दिया है। आज १८ फीसदी जगह चपरासियों के चुनाव में भी नहीं मिल पाती है और दूसरी जो छोटी-छोटी जगहें हैं उनमें भी नहीं मिल पाती हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लिये तो आदमी मिल जाते हैं लेकिन चपरासी के लिये आदमी नहीं मिल पाते हैं। इसी वजह से हम लोग मजबूर हुए हैं, और एक नवयुवक हरिजन के दिल में यह भावना पैदा हुई और उससे प्रभावित हो कर ही यह विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया है। मैं यह आशा करता हूं कि इस सदन में इस विधेयक के साथ पूरी-पूरी हमदर्दी होगी। इसमें उतनी मांग की गयी है कि जितनी कि माननीय पंत जी की कृपा से हमारे लिये संरक्षण में कही गयी ...।

(इस समय २ बज कर २२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुये।)

मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय और हमारा सदन इस पर उसी भावना से विचार करेगा जिस भावना से यह रखा गया है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि केवल हरिजन समाज के लिये ही यह प्रश्न नहीं है बल्कि हरिजन वर्ग तो पूरे समाज का एक अंग है जैसा कि पूज्यनीय पंत जी अनेक बार दोहरा

[श्री महीलाल]

भी चुके हैं कि हरिजन वर्ग हमारे पूरे समाज रूपी जंजीर की एक कड़ी है। यदि यह कड़ी कमजोर रहती है तो पूरे समाज को कमजोर करती रहेगी। अभी जो काँग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेबर जी मनोनीत हुये हैं, उन्होंने जो इस सम्बन्ध में कहा है मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यदि हम अपने समाज की, अपनी सोसायटी की आर्थिक समस्या जल्द से जल्द हल नहीं करते हैं तो इससे हमारा पूरा समाज कमजोर रहेगा और वह उन्नति नहीं कर सकेगा। तो मैं अपने उन सभी महानुभावों से, जो अपने को ऊंची ज़ाति का बता कर, अपने को ऊंची जाति का मान कर हरिजन नाम से मुंह फेरते हैं और हरिजनों की बातों से उनको बदबू आने लगती है, मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे पूरे समाज के हित में थोड़ा सा जरूर सोचें, और पूरे मानव समाज के हित में सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हरिजन वर्ग वह वर्ग है जो आज सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों का शिकार बना हुआ है, और उनका उठाना न केवल हरिजनों के लिये बल्कि पूरे समाज के लिये हितकर है। विनोबा जी को लीजिये कि वह एक मन्दिर में केवल इसीलिये नहीं गये कि हरिजनों को वहां जाने का अधिकार नहीं था। सब को आज पूज्य बापू जी का और विनोबाजी का अनुसरण करना चाहिये।

*श्रीराम नरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अपनी जगह पर सही है कि आज जो भी हरिजन वर्ग की स्थिति को देखता है या जानता है, उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है तो उसे दुख और तकलीफ़ होती है। और अधिष्ठाता महोदय, यह भी बात किसी से छिपी नहीं है कि आज उनकी आर्थिक स्थिति इस जगह पर पहुंच गयी है या इस जगह पर है कि जहां दो-दो दिन तक खाने और कपड़े का सवाल पूरा नहीं होता। यह भी अपनी जगह पर सही है कि आज इस समस्या के पीछे एक बड़ा दुखदायी इतिहास छिपा हुआ है, और इस वर्ग के साथ किसी बाहरी, विदेशी या विधर्मी ने नहीं, बल्कि अपने ही देश वालों ने अपने ही घरवालों ने और अपने ही धर्म वालों ने जो व्यवहार और बर्ताव किया है वह मानवता के लिये कलंक है। आज इस समस्या की छांह में हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लाने वाले महोदय के मस्तिष्क में यही परिस्थिति रही होगी जब उन्होंने इस बिल को उपस्थित किया है। किन्तु इस समस्या का हल ढूंढ़ने के साथ हमें समाज की पूरी शक्ल और तस्वीर की तरफ देखना होगा। एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति, एक समाज का उत्थान करने वाला इन्सान यदि निकलता है किसी समस्या का हल ढूंढने के लिये और तस्वीर के केवल एक ही अंग को देखे, तो वह उस प्रश्न के सही हल पर नहीं पहुंच सकता है। आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि जब मैं इस प्रश्न को आप के सम्मुख रखूं, और मान लीजिये कि इस जाड़े की रात में लखनऊ के फुटपाथों पर जो हजारों और सैकड़ों इन्सान के बच्चे भूखे और नंगे १२, १२ बजे रात के पड़े हुये हैं, यदि कोई इस समस्या का हल ढूंढ़ने वाला वहां पर यह पता लगाने का प्रयत्न करे कि इनमें से कितने इन्सान हरिजन हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने ब्राह्मण या क्षत्री है, तो मैं समझता हूं कि वह इन्सान इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता है। सही बात यह है कि आज इस देश के सामने सामाजिक और आर्थिक समस्यायें भयंकर रूप से हैं। क्या यह सच नहीं है कि इस समय आज भी आधे से ज्यादा ऐसे इन्सान हैं जो दोनों वक्त भोजन नहीं पाते हैं? क्या यह बात अपनी जगह पर सच नहीं है कि इस देश में ८० और ८५ फ़ीसदी ग़रीब कहे जाते हैं और ग़रीब हैं? जब यह प्रश्न इस रूप में अपनी जगह पर है, और हमें इन प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयत्न करना है तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इसका अच्छा हल नहीं हो सकता है, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिल सकता है। मैं आपके द्वारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सदन इस बात पर विचार करे कि वह किस प्रकार से देश के आर्थिक और सामाजिक प्रश्न को आगे ले जा सकता है, और उसके द्वारा हम इस समस्या को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। मैं आप के द्वारा एक बात की प्रार्थना और कर देना चाहता हूं कि अगर इस समस्या का हल केवल कानून

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बना देने से हो सकता हो तो मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो सोलहों आना इसके पक्ष में है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, यह बात वास्तविकता से कहीं दूर है। आज जब कि आर्थिक समस्या को हल करने के भारत की सरकार को पूरे अधिकार है और वे जमीन की समस्या को हल भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसको वे पूरे तौर से नहीं कर पा रहे हैं, और उसको पूरा करने के लिये विनोबा जी का भूमिदान यज्ञ आया है तो मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस कानून को ही बना कर आप इस समस्या को हल कर सकते हैं? आज भूमि वितरण की समस्या में जिस प्रकार से विनोबा जी कह रहे हैं उसी प्रकार से सरकार कानून बना कर हल कर सकती है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रही है, इस प्रश्न को भी हमें सोचना है? जो सैकड़ों वर्षों की कानून की विषमता है उसको एक कानून के द्वारा ही हल नहीं किया जा सकता। उसके लिये तो हमें समाज का हृदय परिवर्तन करना है। उसी प्रकार से हजारों वर्षों से जो यह हरिजनों की समस्या चली है उसका भी हल हमें सोचना होगा। मैं समझता हूं कि इसका हल निकालने के लिये भारतीय ढंग होना चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय झारखंडे राय जी से पूर्णरूप से इस बारे में सहमत हूं कि हमें इस समस्या का हल भी एक भारतीय ढंग से निकालना होगा। और उनसे मैं इस बात में भी सहमत हूं कि यह हल बुद्धिजीवी पढ़े लिखे इंसानों का हल है और वह भी एक कसम है। और यह समाज में एक आगे पीछे चलने की होड़ जो लगी है उसका प्रदर्शन है। इसलिये हमें इस समस्या का हल भारतीय ढंग से निकालना होगा। आप जानते हैं कि इस समस्या का भारतीय ढंग केवल कांग्रेस के सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। कांग्रेस ने आज इस प्रश्न को ३० साल से उठाया है, और ३० वर्षों में जिस रास्ते से चल कर वह यहां तक पहुंची है वही सही रास्ता है। अधिष्ठाता महोदय, जो इस काम को करने वाले हैं और जिन्होंने इस रास्ते पर चल कर २०-२५ वर्ष पहले इस प्रश्न का सफलतापूर्वक हल करने का निश्चय किया, यदि उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते जायं तो हम सफल हो जायेंगे। नौकरी में जाना तो अच्छी बात है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि अगर १० स्थान हैं और १० ही हरिजनों को मिल जाते हैं तो ठीक है। अगर वे १० किसी और को चले जाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार के नौकरी के मिल जाने या न मिल जाने से किसी सामाजिक समस्या का हल नहीं हो सकता। ऐसे टेढ़े प्रश्न का हल बुनियादी तरीके पर निकलाना होगा।

एक सदस्य—दरोगा लोगों के सलेक्शन में क्या हुआ था?

श्री राम नरेश शुक्ल—दरोगा के सलेक्शन में इतने लिये गये कि पिछले साल की जो कमी थी वह भी पूरी हो गयी। तो सवाल यह नहीं है कि पिछले वर्ष या अगले वर्ष दरोगा के चुनाव में क्या हुआ? सवाल यह है कि हमें मनोवृत्ति को बदलना होगा। मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा था कि यह प्रश्न नहीं है कि दारोगा के चुनाव में क्या हुआ, पारसाल क्या हुआ, या पिछले वर्ष क्या हुआ या इस वर्ष क्या हुआ? सवाल यह है कि इस देशकी मनोवृत्ति कैसे बदले? ये जो तमाम विभिन्नतायें हैं इनमें एकता कैसे लायी जाय? इस एकता को लाना आज समाज के प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है। अगर इस तरह के प्रश्न अपनी जगह पर इकट्ठे होते जायेंगे तो जो मूलभूत आधार है वह निकल जायगा और विभिन्नता से विभिन्नता बढ़ती जायगी। आज समाज के सामने प्रश्न यह है कि ऐसी विभिन्नता में कैसे एकता लायी जाय? विभिन्नता से विभिन्नता की तादाद बढ़ती जाती है, इसलिये हमको विभिन्नता में एकता लानी है, क्योंकि फिर एकता से एकता ही रहती है, विभिन्नता नहीं होती। मान लीजिये, अधिष्ठाता महोदय कि एक वर्ग हरिजनों का हो गया और दूसरा वर्ग सवर्णों का हो गया तो उसके बाद भी उनमें सैकड़ों विभिन्नतायें पैदा हो जायंगी। सवर्णों का हिस्सा यदि अलग कर दिया जाय तो फिर उसमें भी नयी मांगें खड़ी हो जायंगी और कहा जायगा कि इतने ब्राह्मण होने चाहिये, कोई कहेगा कि इतने ठाकुर होने चाहिये, कोई कहेगा कि इतने जाट होने चाहिये और कोई कहेगा कि इतने वैश्य होने चाहिये। यही नहीं अधिष्ठाता महोदय, इस तरह की विभिन्नतायें दूसरे

[श्री रामनरेश शुक्ल]

अंग में भी होंगी और हरिजनों के अन्दर भी रोज विभिन्नतायें बढ़ती जायेंगी। अधिष्ठाता महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि फिर हम ही खड़े होकर कहेंगे कि अमुक हरिजन की जगह पर इतने नहीं हुए या अमुक हरिजन की जगह पर इतने हुए। लेकिन कभी कभी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है यह सोच कर कि हम आज कहां जा रहे हैं, ये हमारी विभिन्नतायें किस हद तक पहुंच जायेंगी? कहीं इस हद तक तो नहीं पहुंच जायंगी कि जहां पहुंच कर समाज और देश ही समाप्त हो जायगा?

श्री जयपाल सिंह---इसका जिम्मेदार कौन है?

श्री रामनरेश शुक्ल---इसके जिम्मेदार आप हैं। तो आज जो मूलभूत प्रश्न इस विधेयक के अन्दर है वह है कि हम किस प्रकार से देश के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा करें? दूसरा मूलभूत प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार से इस देश की विभिन्नताओं के अन्दर एकता लावें? और अधिष्ठाता महोदय, इसी रास्ते पर जो देश, जो भी व्यक्ति और जो भी इंसान चलेगा वही इस देश को मजबत कर सकता है और इस देश के प्रत्येक प्राणी की सेवा कर सकता है। जब यह देश मजबूत होगा तभी समाज का कल्याण होगा। जब सारे देश और समाज का कल्याण होगा, तो फिर हरिजन भी सुखी होंगे और सवर्ण भी सुखी होंगे। इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आवश्यक समझता हूं कि हमें इन मूलभूत आधारों को जोड़ने का प्रयत्न करना है। कानून के द्वारा कभी भी कम से कम सामाजिक उन्नति नहीं हुयी है। दुनिया को यह तजुर्बा हो सकता है कि कानून के द्वारा कहीं आर्थिक उन्नति हुयी हो, लेकिन संसार को आज तक यह अनुभव नहीं हुआ है कि कानून के द्वारा उसने कहीं सामाजिक उन्नति की है। इसलिये इस गलती को हमको यहां पर दोहराना नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पेश करने वाले मेरे मित्र यदि इन बुनियादी बातों को सोच कर, और इन बातों को सोच कर कि हरिजनों की समस्या कैसे हल होगी, इसके दूसरे पहलू को भी देखेंगे कि कैसे उसमें विभिन्नतायें और न बढ़ायी जायं और कैसे उसमें एकता बढ़ायी जाय, इस बात पर ध्यान देंगे तो फिर इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं समझेंगे।

*श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई रामसुमेर जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही माननीय सीताराम जी शुक्ल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है कि यह बिल एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, उसका भी समर्थन करना चाहता हूं। हरिजन समस्या एक गम्भीर समस्या है और हमें भी उस प्रश्न पर गम्भीरता से ही विचार करना चाहिये। आज समाज में आर्थिक वैषम्य है, वर्गभेद है, वर्णभेद है और इस प्रकार के अनेक भेद हैं और इन भेदों से हमारे राष्ट्र में बड़ी भारी कमजोरी है जिस को हम सब महसूस करते हैं, और खास कर जब हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपने स्थान को देखते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तो यह प्रश्न और भी गम्भीरता के साथ हमारे सामने आ जाता है। मुझे याद है कि जब अफ्रीका में भारतीयों के विषय में प्रश्न उठा और वहां रंगभेद का सवाल आया तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठायी और भारत ने आंदोलन शुरू किया तो इसके जवाब में वहां के लोगों ने यहां की आंतरिक व्यवस्था के बारे में कहा। और हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि वह भेद हमारे में है और यदि वह है तो यह बहुत ही खेदजनक है और उसको हटाना हमारा कर्तव्य है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा सवर्ण समाज और हम लोग मुलजिम हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है यह हमारे लिये एक फैसला है, हमारे ऊपर फैसला है और हमें इसको बड़े अदब के साथ स्वीकार करना चाहिये और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह फैसला बहुत ही कम कठोर है, यदि इस से भी अधिक चीजें कही जायं और हरिजन हमारे सामने लायें तब भी हमें सिर झुका कर स्वीकार करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सचमुच अगर हम आज भी देखें कि हमारे सवर्ण भाइयों की ओर से उन के साथ जो कृत्य हो रहे हैं तो हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और वह हमारे ऊपर एक कलंक हैं। प्रश्न यह है कि आखिर उसका हल कैसे हो? सदियों से जो उनको सताने की व्यवस्था चली आयी है, उनको सताते आये हैं, उनका शोषण करते आये हैं उसको रोकने का रास्ता क्या है ? यह प्रश्न हमारे सामने है और यह एक भारी समस्या है। यहां जो बिल प्रस्तुत है यह तो उसका केवल एक आंशिक हल है, इस से सारी समस्या हल होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रयास है कि सेवा में, सर्विसेज में उन का उचित स्थान हो, उनकी संख्या उचित मात्रा में वहां हो। इस में अनुचित क्या है ? बहुत से भाइयों ने इस पर विभिन्न रूप में अपनी राय प्रकट की। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर वे इस के विरुद्ध क्यों हैं ? अगर वह सर्विसेज में २० प्रतिशत का प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो इसमें क्या बेजा बात है ? मैं समझता हूं कि उनको यह स्वीकार करना चाहिये। इस में कोई दिक्कत नहीं है, उनके सर्विसेज में आने से उनकी समस्या का आंशिक हल होगा और इससे वह समस्या सुलझेगी और शांशिक रूप में उनका स्तर उठेगा। आज भी देहातों में अगर कोई हरिजन डिप्टी कलक्टर होता है और वह वहां जाता है तो उसका सम्मान होता है, इस तरह से अगर उनके पद बढ़ जाते हैं तो उनमें एक भावना पैदा होती है, और उससे समाज में भेदभाव की जो नीति है उसका अंत होता है और ऐसा करने से उस चीज में और भी सहायता मिलेगी। इस से हमारी भावना बदलेगी। इन्हीं कारणों से मैंने इस बिल का स्वागत करना उचित समझा और मेरे विचार से हमें इसे स्वीकार करना चाहिये। समाज में वर्णव्यवस्था चल रही है। इसको लोग कहते हैं कि इससे काफी लाभ हुआ है लेकिन अधिष्ठाता महोदय मैं थोड़ा बतलाना चाता हूं। जैसा कि लार्ड टेनीसन ने कहा था--

'Old order changeth, yielding place to new
And God fulfils himself in many ways
Lest one good custom should creep the world.'

सचमुच चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था हो वह सदैव के लिये हमारे लिये हितकर होगी, यह नहीं हो सकता। कस्टम्स को, रीतियों को और रस्मों को बदलना ही पड़ेगा। चाहे जितनी भी अच्छी रीतियां कभी रही हों उनसे सदैव भला नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से आज जब हम देखते हैं और समाज पर दृष्टि डालते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह भेद अब चल नहीं सकता, इसलिये कि यह राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसको हमें बदलना चाहिये और जल्द से जल्द बदलना चाहिये। किसी भी दृष्टिकोण से देखिये, आज श्रमदान में अधिकतर हरिजन भाई ही हिस्सा ले रहे हैं। सारा बर्डन यदि सारा न कहें तो अनुचित होगा तो अधिक से अधिक हरिजन भाइयों पर ही यह बर्डन जाता है और वही आज भी राष्ट्र निर्माण के कामों में आगे लगे हुये हैं, यह किसी से छिपी हुयी बात नहीं है। तो हमें उनका सम्मान करना है। जब उनके संरक्षण की बात आती है तो हम यदि उसे स्वीकार नहीं करते तो फिर हमारा राष्ट्र आगे कैसे बढ़ सकेगा, एकता में कैसे बंध सकेगा ? और जब राष्ट्र एकता में नहीं बंध सकेगा तो फिर हमारा सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कैसे बढ़ सकता है ? आज जो भी हमारा सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हो रहा है वह हर्ष का विषय है और हमें आशा है कि वह और भी बढ़ेगा। लेकिन जब तक हम अपने आंतरिक व्यवस्था में सुधार नहीं लाते, अपने एक बड़े भारी समाज को जिसको हरिजन के नाम से पुकारते हैं उसको साथ में लेकर नहीं चलते तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा ? इसलिये इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यहां सदन के सवर्ण भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि हमें एक अच्छी स्पिरिट से इसे मानना चाहिये, देखना चाहिये और इसमें सहयोग देना चाहिये ताकि हमारा देश तरक्की कर सके और भेदभाव की जो भावना है वह हमसे दूर हो।

मैं इस प्रसंग में यह भी कह देना चाहता हूं कि मुझे क्या बहुतों को खेद होता होगा। सदन में जब भी प्रश्नों में यह लाया जाता है कि फलां सर्विस में हरिजनों की संख्या क्या है? कुछ सप्लीमेंटरी में भी ऐसी चीजें आती हैं कि हरिजनों में चमारों की संख्या क्या थी? यानी एक मजाक सा उपस्थित होता है। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मेरी अल्पबुद्धि में

[श्री तेजप्रताप सिंह]

वह भावना नहीं है जिससे हम एकता और प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं, यह दूषित भावना है। इससे हम समस्या को किसी प्रकार भी हल नहीं कर सकते हैं, हम उत्तेजना देते हैं। कई चीजें, जैसे चपरासी वाले मामले में कि चपरासियों में उनकी क्या संख्या है, उनमें वे परसेंटेज से कम थे, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि उसके भी वे योग्य नहीं थे। जब यह बात आती है तो दुख होता है कि वास्तव में जिसके वे योग्य हैं तो कम से कम उसमें वे क्यों नहीं लिये गये? हमारी सरकार का जैसा कि कर्तव्य होना चाहिये, है। उन्होंने आदेश दिये हैं कि १८ प्रतिशत सर्विसेज में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जहां भी नियुक्तियां हों वहां हरिजन भाइयों को १८ प्रतिशत जरूर रखा जाय। लेकिन फिर भी नहीं रखा जाता और ऐसी सर्विसेज में जिनके लिये योग्यता तो है, लेकिन उनको नहीं रखा जाता और तब तो एक बड़े खेद की बात हो जाती है। उन्हीं सर्विसेज में संरक्षण देने के लिये यह विधेयक आता है जो आप मानते हैं कि उसके लिये यदि नियुक्त अधिकारी अपने फर्जों को पूरी तरह से अदा नहीं करता है तो उसके लिये उचित व्यवस्था को एक कानूनी रूप देने में आपको घबड़ाहट क्यों है। जिसको हमने पहले ही मान लिया है उसमें हम आनाकानी करें या उसको कानूनी रूप न दें यह कहां तक उचित है? यह मांग तो बहुत छोटी सी मांग है, एक बड़ी समस्या का छोटा सा हल है। धीरे-धीरे हमारा हरिजन समाज संगठित हो रहा है। यदि सवर्ण यह भावना रखेंगे कि यह संगठित क्यों हो रहे हैं, इससे राष्ट्र की एकता भंग होती तो यह अनुचित है। उनको हक है कि वे संगठित हों, अपने समाज के उत्थान के लिये जो कुछ भी कर सकते हों, करें। और मैं तो यह कह कर अपनी भावना का प्रदर्शन करना चाहता हूं कि वह अपना संगठन करने के लिये पूरी तरह से आजाद हैं और उन्हें अपना संगठन करना चाहिये। हम सवर्ण यदि यह कहें कि नान-वायलेंट रहिये, इसको जरा इस ढंग से करिये कि बुरा न मालूम हो, यह बेजा हुआ जा रहा है, यह हमारा हक नहीं है, सवर्णों का हक नहीं है। हमने जो कुछ किया वह सबके सामने है, आपका फर्ज है कि आप स्वच्छ हों, आप संगठित हों और हमें भरोसा है कि आप अपना संगठन करके जो भी स्टेप उठायेंगे वह उचित होगा और हमारे सिर माथे पर होगा। हमें कतई विश्वास नहीं है कि हरिजन समाज कोई ऐसा स्टेप उठायेगा कि जिससे राष्ट्र की एकता नष्ट हो या उसके कारण कोई भयंकर तूफान आ जाय। हमें यकीन है कि आप काफी समझदार हैं। और यह सब देखते हुये हमें कतई हक नहीं है कि हम उन्हें गाइड करें या सर्मन्स प्रीच करें। यह अनुचित है। यह हमारा हक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हमें इस भावना से इस विधेयक को देखना चाहिये और इसका स्वागत करना चाहिये। अब अगर इसमें कोई कानूनी खामी है, कोई वैधानिक आपत्ति है, ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है या कोई ऐसी ही बात है तो उस के लिये हमें इसको, जैसा कि सीताराम जी का प्रस्ताव है, एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज देना चाहिये कि जहां इस पर फिर से विचार हो सके।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, जिन भावनाओं से प्रेरित हो कर प्रस्तुत विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया है मैं उनका आदर करता हूं और इस विधेयक की स्पिरिट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे खेद है कि आज इस जागृति के जमाने में भी अगर हिन्दू समाज अपने को न सम्हाल सका तो उसका क्या अंजाम होगा? यह तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज वह समय आ गया है जब कि आप समाज के किसी भी अंग को गुमराह करके उसको जिस प्रकार गुजिश्ता जमाने में कुचला गया, दलित किया गया, वैसा नहीं कर सकते। और ऐसा समय हमारे मुल्क से आज उठ गया है। मुझे खेद है, और अत्यन्त खेद है इस बात का कि हिन्दू समाज ने महान् पाप किये हैं और ऐसे पाप किये हैं, ऐसे जघन्य पाप किये हैं कि जिनको मिटाया नहीं जा सकता, परन्तु उनका पाश्चाताप किया जा सकता है। जानवरों के बच्चे को मुंह से लगाया गया, कुत्ते, बिल्ली को घर में रखा गया, बैल, बकरी और भेड़ को गले से लगाया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इन्सान के बच्चे को मकान, चौक और दरवाजे तक नहीं फटकने दिया गया। इन्सान के बच्चे से छुआछूत हुयी, जानवरों के बच्चों से छुआछूत नहीं, इसका दुख है। जो कौम इस प्रकार अपने भाइयों को कुचल सकती है, जो एक कौम को सदा के लिये पददलित कर सकती है, मैं समझता हूं कि अगर वह कौम आज पीड़ित है तो मुझे दुख नहीं है। मैं चाहता हूं कि हिन्दू भाइयों को आज जाग जाना चाहिये और उनको यह मालूम होना चाहिये कि उस दलित वर्ग की संख्या भारत वर्ष के अन्दर ६,७ या ८ करोड़ से कम नहीं है। इतनी जनसंख्या को आज के जागृति के जमाने में अधिकारों से वंचित रखना अब नामुमकिन है। मैं बताना चाहता हूं कि हरिजनों को ज्ञान भंडार के दरवाजे तक फटकने नहीं दिया गया, सदैव दूर रखा और यह अंधविश्वास फैलाया गया कि अगर शिल्पकार वेद पढ़ेंगे तो नाश हो जायगा। जितने भी इंस्टीट्यूशन्स हैं हमारे प्रदेश में, मेरा मतलब शिक्षा संस्थाओं से है, जो सदैव से चले आये हैं, आपको पता है किन मुश्किलों से शिल्पकारों को स्थान दिया जाता था और शिक्षा देने के लिये इजाजत दी जाती थी, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब हम लोगों को कम से कम संगठन के नाते, मुल्क को मजबूत बनाने के लिये, अगर ३६ करोड़ में ८ करोड़ व्यक्ति कमजोर रहते हैं तो उसका उत्तरदायित्व उनके ऊपर है जिन्होंने गुजिश्ता जमाने में इनको कमजोर रखा है। और इस वर्ग को कमजोर रखकर आपका मुल्क मजबूत हो सकेगा, यह बिलकुल नामुमकिन है। इसमें संदेह है कि आपका मुल्क इससे कमजोर नहीं होगा। इसके साथ-साथ अपने को बलवान् करने के लिये सवर्ण लोगों ने कहा कि हम तो मध्य-एशिया से आये हैं और यहां के शिल्पकारों को ऐबोरिजन्स कहा गया। उनको कहा गया कि वही असल में इस मुल्क के रहने वाले थे। चूंकि हम लोग बाहर से आये थे हमने इन काले लोगों को गुलाम बना लिया। अच्छी-अच्छी जगहों से, खेतों से भगाकर उनको गुफाओं और कन्दराओं में भगा दिया। क्या आप समझते हैं कि इसमें आपकी कोई महानता है? हरगिज नहीं। जब अंग्रेजों के बारे में यह कहा जा सकता था कि उनका यहां कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे बहुत पीछे इस मुल्क में आये थे तो क्या यही आर्गूमेंट आज सवर्णों के सामने उपस्थित नहीं किया जा सकता कि दलित वर्ग ही यहां के असली रहने वाले हैं, और आपके हाथों लिखा गया इतिहास इस बात का साक्षी है कि दलित वर्ग ही इस देश के रहने वाले थे। तो अफसोस है कि जो इस मुल्क के मालिक थे.....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो इतिहास की बात कही वह आजकल की ऐतिहासिक खोज के हिसाब से यह स्पष्ट हो गया है कि आर्य लोग यहीं के रहने वाले थे, बाहर से नहीं आये।

अधिष्ठाता—उनको अधिकार है कि चाहे गलत कहें या सही।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं काटजू साहब को बताना चाहता हूं कि आज तक किसी भी इतिहास के पंडित ने यह साहस नहीं किया है कि वह इतिहास गलत है जो आर्यों को मध्य-ऐशिया का बताता है। जितना भी इतिहास यूनिवर्सिटी और कालेजों में पढ़ाया जाता है, वह इतिहास इसी बात को बताता है। वह इतिहास जो कहीं लिखा नहीं गया, किसी कोने में रखा है, किसी सन्दूक के अन्दर रखा है, क्या मैं उस इतिहास को जानने के लिये बाध्य हूं। जो इतिहास रद्दी की टोकरी में पड़ा है.....

श्री शिवनाथ काटजू—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह "आर्यों का आदि देश" जो डा० सम्पूर्णानन्द ने लिखा है, उसको पढ़ लें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं यह बताना चाहता हूं कि उन लोगों को इंसाफ की निगाह से देखना चाहिये। उनके हकों को जो कि इस देश के अन्दर हैं उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार ने आर्डर्स जारी किये हैं लेकिन खेद है कि उन आज्ञाओं के पालन करने वाले हम लोग ही नीचे बैठे हैं। हर दफ्तर में से आंकड़े मंगाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि १८ प्रतिशत नौकरी की जो पाबन्दी लगायी गयी उसको पूरा किया जाता है या नहीं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इसमें शक नहीं कि उनको स्थान नहीं मिल रहे हैं और उन आज्ञाओं पर अमल नहीं किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि कानून के अन्दर व्यवस्था कर देने से आप समाज को आगे ढकेल सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। इसलिये नहीं कि मेरी बातें कहने की कुछ और मनोवृत्ति है और मेरी हमदर्दी बनावटी है। मैं क्रोकोडाइल टीअर्स को न तो सदन में और न बाहर ही शेड करना उचित समझता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार के आर्डर्स पर अमल होना जरूरी है। नौकरियों में दलित वर्ग को उचित स्थान मिलना परम आवश्यक है। जब और वर्गों के लोगों को नौकरियों में लिया जाता है तो क्या कारण है कि उनको उचित स्थान न दिया जाय? परन्तु केवल नौकरी से दलित वर्ग का उत्थान नहीं किया जा सकता। समाज में जितनी और चीजें हैं वह उन लोगों को मुहैया करनी हैं जो दूसरे व्यक्तियों के पास मौजूद हैं जैसे शिक्षा है, दीक्षा है, ट्रेड है, कामर्स है, प्रापर्टीज हैं, व्यवसाय हैं, इंडस्ट्रीज हैं। जब तक इन मामलों में भी उन लोगों को अवसर नहीं दिया जाता और उनके हवाले ये जिन्दगी के गुजर बसर करने के लिये जरिये नहीं किये जाते तब तक उनका विकास नहीं किया जा सकता है, और हमारे जिन ऊंचे आदर्शों का प्लेटफार्मों से प्रचार होता है और जिनको हम दुनिया के अन्दर प्रसारित करते हैं वे बेमतलब के रह जाते हैं, अगर हम हमदर्दी के साथ और प्रैक्टिकली उसको कार्यरूप में परिणत नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें यह कबूल करना होगा चाहे कानून के द्वारा करें चाहे अमली रूप में उसको करके दिखायें, अगर अमली रूप में दिखलायें तो वह और भी अधिक वेलकम होगा कि कानून का व्यवहार किये बिना ही हम कुछ करके दिखला सकते हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आज भी कुछ लोगों को समाज में तिरस्कृत समझा जाता है और दूर दराज देहातों के अन्दर आज भी रूढ़िवाद के कण अभी तक मौजूद हैं जिनको अभी इस मुल्क से उड़ाना बाकी है। मैं समझता हूं कि वहां दरिद्र भाइयों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैंने एक बार पहले भी अपने विचार माननीय सदन में व्यक्त किये थे कि कानून की व्यवस्था कर देने से ही आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उन कानूनों को जिनको भंग किया जाता है उनसे किसी समाज के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है और ऐसे कानून डेड लेटर हो जाते ह, कानून के रूप में जिन्दा नहीं रह सकते हैं। ऐसे कानून पैदा होते ही मर जाते हैं जिनका उल्लंघन करके उनको डेड लेटर बनाया जाता है। मैं चाहता हूं कि जितने सवर्ण भाई हैं वह अपनी ऐक्टिव सिम्पैथी और प्रैक्टिकल गुडविल और डिप्रैस्ड क्लास को दिखलायें तो उससे अधिक सफलता हो सकती है और सरकार इस प्रकार के लिये जितनी सहायता दे और उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये जितना भी रुपया खर्च करे, वह सब जायज है। जो लोग समझते हैं कि इससे हमारे अन्दर एक नयी जहनियत बनती है वह गलती पर हैं। परन्तु अगर कोई बदला देने की भावना से ऐसे कार्य करता है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। अगर दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो दलित भाइयों के दिलोदिमाग में सवर्णों के खिलाफ कभी भी किसी जमाने में भी ऐसी भावना पैदा नहीं हुयी कि वह कोई रिवेंज ले सकेंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा माननीय सदस्य हमारे सदन के अन्दर नहीं है जिसका ऐसा ख्याल हो। और दलित वर्ग के भाई तो इतना भी नहीं सोच सकते कि हम सवर्णों के बराबर ही ऊंचा उठ सकते हैं और उनका मुकाबिला भी कर सकते ह, उनके दर्जे पर उठ बैठ भी सकते हैं। आज इस बात की आशंका करना कि उनके दिमागों में वह मनोवृत्तियां पैदा हो रही हों कि वह हिन्दू समाज से रिवेंज लेंगे, मैं समझता हूं कि यह गलत है।

इन्हीं शब्दों में मैं इस विधेयक की स्पिरिट का समर्थन करते हुए निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा इस सदन से अधिष्ठाता महोदय, कि हमें कार्यरूप में काम अधिक करना और लेखन सिखाना, प्रीच करना और गौस्पेल को प्रसारित कम करना है। अगर कार्यरूप में अपना भावनाओं को रखें तो इससे समाज का कल्याण होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, आज के विधेयक का विषय कितना महत्वपूर्ण है इस पर किसी को भी इन्कार नहीं, लेकिन आज कुछ भाषण

जो दूसरी तरफ से हुए, उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप जानते हैं कि संसार में किसी देश या समाज को या व्यक्ति को कोई काम नहीं करना होता तो वह आध्यात्मिक और छायावादी भाषा में बात करता है। ऐसा ही आभास मुझे रामनरेश जी के भाषण से हुआ। आज वह एक भारतीय खोज इस समस्या की करना चाहते हैं, जब कि वह जिस दल के हैं उसने स्पष्टरूप कह दिया है कि उनका दल वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज स्थापित करना चाहता है। इससे बढ़कर खोज और क्या हो सकती है, और आज इस स्पष्ट कहने के बावजूद भी जहां तक कि कार्यरूप में करने का प्रश्न है वहां कांग्रेस बिलकुल ही इस समस्या को बहुत नगण्य दृष्टि से देखती रही है। मैं तो सोचता था कि इतने दिनों के शासन के बावजूद इस बात को जानते हुए कि कांग्रेस की नीति यह रही है कि हरिजनों का समाज में होना सबसे बड़ा कलंक है। शासन सूत्र हाथ में लेकर उन्हें हर प्रकार से इसका हल निकालना चाहिए था लेकिन वह समझते हैं कि भारतीय परम्परा का यह अंग है कि हरएक समस्या को आंशिक रूप में, डोल्स आफ चैरिटी के जरिये से सुलझाया जाय। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि हमारे प्रदेश में एक करोड़ पन्द्रह लाख हरिजन हैं। अगर उनके लिये २०,५० लाख की सहायता हरिजन फंड में रख ही दी गयी तो उनकी समस्या कैसे हल हो सकती है? आज उद्योग मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस विषय के वही इंचार्ज हैं। हरिजनों तथा बुनकरों की समस्याओं से मैं काफी चिन्तित रहा करता हूं क्योंकि "an ounce of precept is better than a ton of knowledge." मैं तो समझता हूं कि हरिजनों तथा बुनकरों की समस्या को कांग्रेस सरकार को शासन सूत्र के हाथ में लेते ही उसी तत्परता से और हिम्मत से हल करना चाहिए था जैसा कि शरणार्थियों की समस्या का हल हुआ है। आखिर उनमें बुनकरों में, गरीब हरिजनों में और शरणार्थियों में क्या फर्क है? वह भी तो बेघरबार के हैं, जमीन नहीं हैं, आर्थिक साधन नहीं हैं और न वह नौकरियों में ही हैं। अगर इस अर्जेन्सी के साथ, जैसे कि शरणार्थियों की समस्या का हल किया गया है, इसका भी हल किया गया होता तो हम बहुत आगे पहुंच गये होते। लेकिन बजट में कुछ दान देकर हमारी सरकार समझती है कि उसके कर्त्तव्य की इतिश्री हो गयी। माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने कहा कि कानूनी तरीके से इसका हल कैसे हो सकता है। जमीन का बंटवारा हो सकता है, उद्योग धंधे बढ़ाये जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो संत विनोबा भावे का रास्ता अख्तियार कर लिया है।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे महान् नेता माननीय जयप्रकाश नारायण जी भी उनके साथ हैं। जब कोई काम सरकार को नहीं करना होता है तो वह इन लोगों का सहारा लेती है, लेकिन इन नेताओं का तो यह कहना है कि हम वातावरण पैदा कर रहे हैं कि जो सम्पत्तिवान हैं उनके दिल में यह भावना बैठ जाय कि यह सम्पत्ति उनकी नहीं है बल्कि समाज की है, आज नहीं तो कल हमें इससे अलग होना है, इसी भावना को लोगों में पैदा करने के लिये वह कार्य कर रहे हैं। हमारे मित्र रामनरेश जी ने पुस्तकें पढ़ी होंगी, और बड़े बड़े क्रांतिकारियों को भी शर्म आ जाती है जब वह कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश में एक महान् क्रांति होगी। यह भी उन्हीं के शब्द हैं।

इस समस्या का सीधा सादा हल यह है कि हम इसे सामाजिक समस्या से ज्यादा आर्थिक समस्या समझें। जब तक हम इस समस्या को आर्थिक आधार पर हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। जिस दृष्टिकोण से हमारा कांग्रेसी शासन देश की अन्य समस्याओं के हल करने में असफल रहा है उसी तरह से वह हरिजनों की समस्या को भी हल करने में नितांत असफल रहा है। आज कोई रुकावट नहीं है कि जमीन का बंटवारा किया जाय। आज हमारे हरिजन भाई देहातों में फैले हुए हैं। एक हद तक इस तरह से बंटवारा हो सकता है कि २५ या ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। इस प्रकार से बाकी भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरण कर दिया जाय और संयोग से भूमिहीन लोगों में हरिजन ही ज्यादा हैं और उन्हीं को इससे सबसे ज्यादा लाभ होता है। लेकिन हमारे राजस्व मंत्री जी बड़े गर्व से इस बात को कहते है कि जब तक मंत्री हैं यह चीज इस सदन में नहीं आ सकती

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

है, अगर्चे प्लानिंग कमीशन इसके विरुद्ध समझता है। लेकिन कांग्रेस जन अपने-अपने निजी स्वार्थों के कारण इस पर चलने से मजबूर हैं।

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी अबालिशन के बाद एक कानून बनाया गया कि जितनी परती जमीन पड़ी हुयी है उसको भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाय, लेकिन इस कानून के बावजूद भी आज जमीन भूमिहीन लोगों को नहीं दी जा रही है और लोग मनमाने तरीके से कानून का उल्लंघन करके कब्जे में लेते चले जा रहे हैं और भूमिहीन वंचित रह जाते हैं, जिनमें अधिकतर हरिजन ही हैं। लेकिन हमारी सरकार मालूम होते हुये भी कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रही है।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि वह सीताराम शुक्ल जी के संशोधन के पक्ष में हैं या विपक्ष में?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—१५ मिनट मेरे पास हैं और इस समय में मैं आपको बतला दूंगा, आपको निराश न होना पड़ेगा। जहां तक धन का सवाल है, हरिजनों के मकान बनने का सवाल है, उनको बसाने का सवाल और उन्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का सवाल है तो उससे हल हो सकते हैं। इन सबके लिये एक ही रास्ता है और वह है समाजीकरण। लेकिन कांग्रेसी सरकार इसको अपनाना नहीं चाहती है। इन समस्याओं के अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई हल निकल सके तो यह हल निकलना असम्भव है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने इस बिल के बारे में मेरी राय जाननी चाही।

अधिष्ठाता—मैं श्री सीताराम शुक्ल के संशोधन के बारे में पूछ रहा था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, इस बिल और संशोधन, दोनों पर मुझे बोलने का अधिकार है। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इस बिल से तो एक प्रतिशत भी उन समस्याओं का हल नहीं निकलता। यह तो, जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा जो तड़पन है हरिजन भाइयों में है उसकी वजह से एक छोटी सी समस्या जो पढ़े लिखे लोगों की है और मैं समझता हूं कि उनकी संस्था नगण्य है तो १८ और २० प्रतिशत् में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। १८ प्रतिशत तो है ही, तो २० प्रतिशत संरक्षण में क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन इस बिल का अंशतः स्वागत करते हुये भी मैं समझता हूं कि हमारे जो ८५ हरिजन एम०एल०एज० इस सभा के सदस्य हैं वे जब कोई हरिजनों की समस्या का हल इस सदन में पेश किया जाता है तो इस तरह से बोलते हैं जैसे उनका हरिजनों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। ४३१ के हाउस में ८५ हरिजन सदस्य हों, तो अगर वे हिम्मत करके इस कैबिनेट पर जोर डाले तो मैं समझता हूं कि जमीन का बटवारा आसानी से हो सकता है, और मैं तो अधिष्ठाता महोदय, उनको निमंत्रण दूंगा कि तीन साल तक काफी प्रजमा चुके इस सरकार को अब उन्हें विद्रोह करना चाहिये। अब समय है कि वे घोषणा कर दें कि इस तरह से हरिजनों की समस्या का हल नहीं हो सकता और उनको दूसरी तरफ आ जाना चाहिये। अब तो मैं समझता हूं कि अगले आम चुनाव में कांग्रेसी टिकट के लिये वह होड़ भी नहीं होगी क्योंकि वह तो हारने वाली पार्टी है। ऐसी हालत में मैं तो यही उनसे एक मित्र की हैसियत से सुझाव दूंगा कि वे अपनी आत्मा को कुंठित न करें, जो सही जजबात हृदय में हैं उन पर जोर डालें और ये ८५ आदमी अगर किसी बात पर जोर देते हैं तो जमीन का बटवारा हो सकता है। अगर यह कैबिनेट जिम्मेदार है या माननीय शिक्षा मंत्री जी जिम्मेदार है तो यह इन ८५ आदमियों की पूरी जिम्मेदारी है। आपको जनता से यह कहना चाहिये कि यह सरकार कुछ करना नहीं चाहती है और कांग्रेस बुरी है।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—ऐसा मौका आने का नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी माननीय उद्योग मंत्री बहुत प्रसन्न हुये। उन्होंने समझा कि मैं कोई पोलिटिकल प्रोपेगेंडा करना चाहता हूं। यह बात बिलकुल नहीं है। मगर माननीय शिवनारायण जी हमारी पार्टी के घोषणा–पत्र को देखें तो उसमें यह लिखा है कि पिछड़ी हुयी जातियों और हरिजनों के लिये हमें विशेषरूप से कुछ करना होगा। यानी जितनी भी समस्याओं के हल निकाले जायेंगे उनके अलावा इनके लिये कुछ विशेष तौर पर करना होगा। इसके अलावा हमारे घोषणा–पत्र में लिखा हुआ है कि एक अरब रुपया पहले पांच वर्षों में हम पिछड़ी हुयी जातियों और हरिजनों के लिये व्यय करेंगे, अगर हमारी सरकार बन गयी तो।

श्री हुकुमसिंह—न आपको आना है, न खर्च करना है, चाहे जितना लिख दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उद्योग मंत्री को मुबारक हो यह ख्याल कि वे हमेशा इन कुर्सियों पर बैठे रहेंगे।

अधिष्ठाता—इन बातों का जवाब आप न दीजिये, आप अपना भाषण ही दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, उनका जवाब न देने से उनको निराशा होगी। ऐसी हालत में इस समस्या का हल यही है कि जमीन का फिर से बटवारा हो, बड़े-बड़े कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो, छोटे उद्योग–धंधे हों। और अन्त में फिर कहूंगा कि यह बुनकरों की समस्या है जोकि मिलों का मुकाबिला नहीं कर पा रहे हैं, माननीय उद्योग मंत्री के दान के बावजूद भी और रिबेट मिलने के बावजूद भी। मैं फिर सरकार से कहूंगा कि हरिजनों की समस्या पर उसी तरह से विचार होना चाहिये जैसे कि रिफ्यूजीज की समस्या पर विचार किया गया।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, मैं समझता हूं कि इसमें सदन के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगी। आज भारत तथा प्रदेश को दूसरे देशों के मुकाबिले में आगे लाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है, तथा समय का एक लम्बा तकाजा और देश की एक लम्बी पुकार भी है कि समाज सदियों से नर्क में पड़ा हुआ बिलबिला रहा था, जिसकी मानवता आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक स्थिति को विदेशी सरकार ने बर्बाद कर दिया था, उसको ऊपर उठाया जाय। उस विदेशी सरकार का यहां से पतन हुआ और पतन होने का मूल कारण है कि जिन गरीबों को उनकी दबाने की नियत रही, जिन मजदूर या किसानों को उनकी बर्बाद करने की नियत रही, जिन्होंने, मानव समाज का हनन किया था, उसी मानव समाज ने उनका भी हनन कर दिया।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश के अन्दर स्वतन्त्रता की एक लम्बी लड़ाई लड़ी गयी, और यदि मैं इस बात को कहूं तो यह ओछापन नहीं होगा कि उस संघर्ष में, उस आन्दोलन में और उस स्वतन्त्रता के संग्राम में हरिजनों ने बहुत ज्यादा बलिदान किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए सब से पहले उन हरिजनों को जो कि सदियों से गरीबी में पड़े हुए हैं, उनकी गरीबी दूर करनी होगी। चाहे विधेयक के द्वारा या हृदय परिवर्तन द्वारा किसी भी प्रकार से हम उसका उन्मूलन करें। आज यह देश के सामने लम्बा सवाल है और मैं समझता हूं कि इस तरफ महात्मा गांधी का सिद्धांत जो रचनात्मक कार्य-क्रम में एक अछूतोद्धार का कार्यक्रम था, उसकी तरफ सरकार की भी आज नियत है। मैं इस बात को कहने से इन्कार नहीं कर सकता कि सरकार आज इस बात को नहीं कर रही है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उसी स्प्रिट से किया जाय। हमारे साथी भाई रामनारायण जी ने अभी कहा कि ८५ हरिजन यहां एम० एल० ए० हैं। वह सरकार की कैबिनेट को उलट सकते हैं। उनका यह बच्चों की तरह से बात करना तथा अनुशासन हीनता और शासन की वास्तविकता से दूर जा कर इशारा करना, मैं समझता हूं कि किसी बुद्धिजीवी आदमी के लिए उचित नहीं है। उन्होंने मिसाल विनोबा जी की दी। मुझे बहुत दुख हुआ। समाज-वादी पार्टी के सब से बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जी आज विनोबा जी के पीछे अपना

[श्री शिवप्रसाद]

वास्तविक कार्य करना चाहते हैं। उसी प्रोग्राम से वह देश का बहुत बड़ा कल्याण चाहते हैं। लेकिन उसी दल के और उसी संस्था के हमारे भाई त्रिपाठी जी उनके विचारों का खंडन कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि समाजवादी व्यवस्था में हरिजनों का कितना बड़ा अकल्याण है। मुझे ताज्जुब हुआ जब आपने विधेयक का समर्थन किया। समाजवादी व्यवस्था में संरक्षण का कोई स्थान ही नहीं है। वहां तो एक ही दौड़ में घोड़े और गदहे को दौड़ाना चाहते हैं, चाहे वह पीछे गिर कर क्यों न मर जाय।

जहां तक भूमि बटवारे की बात कही गयी है, मैं अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूं। जिस भाई ने इस तरह से कहा और सिखलाने की कोशिश की कि जमीन का बटवारा क्यों नहीं किया जाता, आज जो समाजवादी पार्टी के सदस्य यहां मौजूद हैं, अगर पहले वह इस बात के लिए निश्चय करते कि अपनी जमीनों को हरिजनों और खेतिहर मजदूरों में बांट देते, तो वह इस देश में एक आदर्श स्थापित करते। इससे सुधार होता और हम लोग एक चीज को सोचते कि उन्होंने अपनी सारी जमीनों को हरिजनों को बांट दिया है। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि व्यवहारिकता से बहुत दूर की बात है। जहां तक हरिजनों के उत्थान की बात है, जहां तक हमारे देश में हरिजन कल्याण की बात है, विधेयक के द्वारा या मानव के हृदय परिवर्तन द्वारा, हो सकता है, हम इस बात पर विश्वास रखते हों। लेकिन जब तक पूरे मानव प्राणी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हर एक आदमी दूसरे आदमी के काम में सहायक नहीं होगा दूसरे के काम में सहयोग नहीं देगा तब तक देश के किसी नीचे वर्ग के आदमी का उत्थान नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कंधें से कंधा मिला कर एक दूसरे के रास्ते में सहयोगी बनकर आगे चलें और उससे देश और देश के गरीब रहने वालों का कल्याण हो। मैं हरिजन होते हुए भी यह समझता हूं कि अगर हरिजन कार्यकर्ता यह समझते हैं कि हरिजनों का कल्याण हरिजनों द्वारा ही होगा, तो मैं इस चोज को मानने को कभी तैयार नहीं हूं। हरिजनों के सब से बड़े नेता महात्मा गांधी थे, हरिजनों के नेता ठक्कर बापा, विनोबा भावे जी और हमारे बाबा राघवदास जी हैं। हम हरिजन कभी-कभी दलबन्दियों में फंस कर अपने विचारों को दूसरे तरीके से लाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर एक आदमी को साथ लायें, और उस जत्थे के साथ हमारी एक आवाज हो, एक ऐसी स्प्रिट हो, एक ऐसी ताकत हो, एक ऐसा बल हो, जिस से देश के अन्दर रहने वाले गरीब हरिजन जो हैं, उनको कल्याण के रास्ते पर लाया जा सके। वह हरिजन समुदाय जो देश का एक गरीब तबका है, सरकार उसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं-कहीं सरकारी कर्मचारी अगर उसे दूसरे तरीके से सोचने लगते हैं, तो हमें यह भी विचारना होगा कि जिन्होंने अंग्रेजशाही में पल कर बहुत दिनों तक अपने दिल व दिमाग को लगाया, उनके हृदय में धीरे-धीरे विकास होगा, धीरे-धीरे परिवर्तन होगा। यह सोच कर कि सरकारी कर्मचारी किस नफरत की निगाह से हरिजनों से बात करते हैं, इसको ध्यान में रख कर हम हरिजनोत्थान से मुख मोड़ लें, यह हमारी भूल होगी। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर चल कर एक ऐसा रास्ता तैयार करें, जिससे देश में बसने वाले गरीबों और हरिजनों का सुधार कर सकें। हरिजनों की पूरी स्थिति सामने रख कर ही महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक हरिजनों का कल्याण नहीं होगा और उसी दृष्टिकोण को सामने रख कर उसे रचनात्मक स्वरूप दे कर ही हम हरिजनों का सुधार कर सकेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस से हरिजनोत्थान में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। दूसरे लोग भी हरिजनोत्थान के लिए सद्भावना से कार्य कर रहे हैं। मैंने बाबा राघवदास के साथ दौरा किया है। मैंने देखा कि हम लोगों के लिए उनके हृदय में बड़ी प्रेरणा है और वह व्यावहारिक प्रेरणा है और वे यही चाहते हैं कि ये गरीब मजदूर, ये हरिजन लोग, जो सदियों से दबाये गये हैं, उनको ज्यादा से ज्याादा उन्नति के रास्ते पर लाया जाय। इस तरह से सवर्ण हिन्दुओं के साथ हम कन्धे से कन्धा मिला कर आगे आने वाले सुधार की तरफ बढ़ें और उस वक्त हम अपना वास्तविक स्थान प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हमारे सामने इस तरह की विचार धारा

नहीं आनी चाहिए जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजन लोग लीगी मनोवृत्ति रखते हैं। लीगी मनोवृत्ति की बात कहना महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और उनके विचारों पर कुठाराघात करना होगा। हरिजनों के अन्दर इस तरह की बात लाना, मैं समझता हूं कि गलत होगा। हरिजन वह वर्ग है, वह समाज है, जिसने देश में आपत्ति आने वाले समय में दिल खोल कर मदद की है। इतिहास हमारे सामने साक्षी है और हमें इस बात की अनुभूति देता है कि हरिजनों ने क्या-क्या देश सेवायें अर्पित की हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर के मुकाबले में भील जाति के लोग जो हरिजन कहलाते थे, उनको साथ ले कर एक लम्बी लड़ाई लड़ी। शिवाजी ने शिल्पकारों को लेकर एक लम्बी लड़ाई लड़ी थी। ये शिल्पकार भी हरिजन ही कहलाते थे। सन् ४७ के पहले जब हमारे देश में आजादी आयी और जितने स्वतंत्रता के संग्राम हुए, अंग्रेजों की तोपों के सामने हरिजनों ने सीना खोल कर उन संग्रामों में हिस्सा लिया। उस भावना को लेकर हम सोचें, न कि हम उन पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगायें हम उस लीगी मनोवृत्ति से नहीं, बल्कि देश के नागरिक की हैसियत से और देश में बसने वालों की हैसियत से इस देश को आगे बढ़ाने की भावना से इस बात को सोचें।

वास्तव में मैं तो इस बात को मानता हूं कि हम किसी कानून से बांध कर नहीं, और किसी चीज से उनको विवश न करके, बल्कि उनको दिल से बांध कर कोई काम कराने का प्रयत्न करें। हम तो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि दिल की भावना से यदि कोई काम किया जाय तो वह अधिक महत्व का होता है। और इसी नीति को हमको अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए और यदि हमने इस नीति को अपनाया तो मेरा विश्वास है कि इस देश में बसने वाले हरिजनों का वास्तव में सुधार होगा और उनका उद्धार होगा। हमको हरिजनों के उद्धार में उन महात्माओं से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन भर हरिजन उद्धार का काम किया है। ऋषि दयानन्द से हम को सबक लेना है और अगर हम उस सबक पर चलने की चेष्टा करेंगे, तो यह हमारा देश शनैः-शनैः आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और हरिजन वर्ग भी आगे बढ़ेगा। वास्तव में इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ सकता है न कि जिस प्रकार से त्रिपाठी जी कहते हैं कि इस कैबिनेट को एक दम उलट दो। इस प्रकार का विचार एक प्रकार से दूषित विचार ही कहा जा सकता है और देश को आगे बढ़ाने में यह अड़चन पैदा करेगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग गरीबों के हृदय पर कुठाराघात करने वाले लोग कहे जासकते हैं। और गरीबों के गले पर छुरी चलाने वाले लोग कहे जा सकते हैं। यदि एक सदस्य जो कि जिम्मेदार आदमी कहा जा सकता है, वह इस प्रकार की मनोवृत्ति रखता है, तो उस से देश का कल्याण होने वाला नहीं है। यह चीज हरिजनों के उत्थान के लिए, हरिजनों के कल्याण के लिए सब से खराब है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि हम और आप हरिजनों की समस्या को अपनी समस्या समझ कर और हरिजनों के उत्थान को अपना उत्थान समझकर और इस देश को आगे बढ़ाने की भावना से प्रेरित होकर दूसरे देशों के मुकाबिले में इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तथा अपनी खिदमत से और बुद्धि की ताकत से और अपनी सारी शक्ति लगाकर हरिजनों का उत्थान करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यदि सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति ठीक नही है, तो उसको बदलने का प्रयत्न करें। देश में विकास की भावना से और देश में रहने वालों की कल्याण करने की भावना से इसमें सहयोग दें, ताकि दूसरे देशों के सामने एक जीता जागता आदर्श रख सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह समझता हूं कि इसमें किसी की दूसरी राय नहीं होनी चाहिए।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह हरिजन संरक्षण विधेयक सदन में पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस देश में हरिजनों की समस्या इस प्रकार का रूप धारण करती जा रही है कि जिसको सुलझाने के लिए हमारे भारत के सभी पार्टी के नेता लोग उतारू हो गये हैं। परन्तु खेद है कि वह जिस रूप में सुलझानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिसिंह]

चाहिए थी, उस रूप में उसको नहीं सुलझाया जा रहा है। उसका एक खास कारण है और वह यह है कि जब यहां पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, और हिन्दुस्तान में जब बसने वाले लोगों ने अपनी आवाज उठायी, तो अंग्रेज यह कहते थे कि तुम आजादी के योग्य नहीं हो। तुमको स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिए और तुम इसका बोझ उठा नहीं सकते हो। तो आज इसी प्रकार से जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी या दबे हुए लोगों का आदमी अपने अधिकार की मांग करता है, तो आज यह कहा जाता है कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। उनके लिए शिक्षा का प्रयत्न किया गया और उस शिक्षा में आज उनके लिए कुछ साधन भी पैदा किये। आज जब किसी जगह के लिए चुनाव किया जाता है, तो हम देखते हैं कि वह उस चुनाव में नहीं आता है, और उसके लिये यह कह दिया जाता है कि तुम योग्य नहीं हो। मैं माननीय सदस्यों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस विषय की उन हरिजन विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी है, और जिन कालेजों में उन हरिजन विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी है, क्या उन हरिजन विद्यार्थियों के लिए अलग कालेज बनाये गये थे, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था अलग से की गयी थी? उस शिक्षा के देने में कोई अन्याय किसी के साथ नहीं किया गया।

लेकिन इसका आज कारण है कि जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, वह यह है कि हमारे लिए कभी १० फी सदी कहा जाता है और कभी १८। परन्तु अगर ईमानदारी और सच्चाई के साथ सुनना चाहते हैं, तो जिस दिन से यह कानून लागू है, उन सीटों की पूर्ति नहीं हुई है। यह सरकार का कर्तव्य था कि सुरक्षित स्थानों के लिए वह मालूम करती कि ये क्यों नहीं भरे गये। पिछले साल पुलिस के चुनाव में हमारे दो माननीय सदस्य सम्मिलित थे। सुरक्षित सीटों की सब की पूर्ति कर दी गयी और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि ऐसी ईमानदारी हमारे सभी साथी बरतें, तो आज हरिजन सदस्यों को या वर्ग को यह दुख नहीं होता।

सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। एक और बात है कि जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, तो विरोधी दल वाले अपना ही आल्हा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाओ और कांग्रेस के खिलाफ हो जाओ। उनके पास हरिजनों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। वह एक भी उदाहरण बतलावें कि हरिजनों के लिए उनकी पार्टी ने कौन सा काम किया है। वह सुनना भी नहीं चाहते हैं। आप हमारे शुभचिन्तक बन कैसे सकते हैं? आप हमको डराना चाहते हैं। क्या यही देश का कल्याण है? मैं आपके द्वारा अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि भगवन्, कहिये कम और कार्य कीजिये अधिक, जिस से आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन जो पार्टी हमारे लिए तन, मन, धन से प्रयत्न करती है, और करने के लिए उतारू है, उसके आप हमको खिलाफ करना चाहते हैं? जहां तक मन की बात है, हमारे इस पार्टी के नेताओं ने वाकई में हरिजनों का उत्थान दिल से किया है, और उसका रूप आज देख लीजिये कि इधर ८३ सदस्य हैं, लेकिन विरोधी दल में जहां एक तो हरिजन होना चाहिए था, वहां सफाया है। तो भाई, जरा सोच समझ कर बात करनी चाहिए जो कि अपने ही खिलाफ न पड़ जाय! हमें अपनी पार्टी में पूरा विश्वास है, और जैसा मैंने कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन विरोधी दल में आज एक भी हरिजन सदस्य नहीं है। इसका क्या कारण है?

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हरिजनों की मनोवृति नीगरो जैसी होती जा रही है। मैं उन लोगों को आदरपूर्वक बतलाना चाहता हूं कि हम इस देश के असली बाशिन्दे हैं। यह देश हमारा देश है और हमने इसके लिए बलिदान किये हैं। आप लोग सब बाहर से आये हैं। हमारी दया, कृपा और गम्भीरता आप देखिये कि हमने सबका स्वागत किया कि भगवन्, आप आइये। हम कमजोर थे, यह बात नहीं है, बल्कि हम शक्तिशाली थे, लेकिन हमारा यह कर्तव्य था कि हम एक दूसरे का स्वागत करें, जैसी कि भारतवर्ष की पद्धति है। कोई भी विदेशी यहां आया, और भारतवासियों नें उसका स्वागत किया। महाराज पुरु ने भी सिकन्दर को राज्य सौंप दिया। यह देश वह देश है कि जिसमें यही पद्धति रही है कि जो यहां आया उसका

स्वागत किया गया। हमें मुस्लिम लीगी कहा जाता है, इसका मुझे बड़ा खेद है। आज के समय आप हमें हर कामों में दबाते चले जाते हैं। हम ही इस देश के पुरातन रहने वाले हैं और हमारा ही शोषण किया जाता है और आज यह हालत हमारी हो गयी है। हम जो भी चीज के लिए कहते हैं, वह इसी लिए कहते हैं कि वह हमारा अधिकार है। हम आप से भीख नहीं मांगते। हमारे देश में एक ऋषि हुए, मैं उनको कलियुग का अवतार मानता हूं। मैं बापू को कलियुग का अवतार मानता हूं, जिन्होंने भारत की इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए आन्दोलन किया। उन्होंने हम को दूसरा नाम दिया, उन्होंने हमें हरिजनों का नाम दिया। लेकिन हरि के भक्त होते हुए भी, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। हमीं मंदिर बनाते हैं, हमीं मसजिद, हमीं गिरजाघर और हमीं धर्मशाला बनाते हैं, लेकिन यह कहां का न्याय है कि हम उन्हीं स्थानों में पूजा के लिए नहीं घुस सकते। मुझे यह कोई बताये कि यह कौन सी सभ्यता है कि हमें उन्हीं मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जिस प्रकार अंग्रेज लोग कमजोर ही को और दबाते थे उसी प्रकार से हमें आज दबाया जाता है, उसी प्रकार से मजदूरों को सरमायेदार दबाता है, उसी प्रकार से जमींदार किसानों को दबाता था। एक माननीय सदस्य ने यह भी कह दिया कि हम लोगों ने ज्यादा बलिदान नहीं किया। एक किसान और मजदूर से इसको पूछिये कि उसने कितने बलिदान किये हैं। आप तो उन दिनों ए और बी क्लास में रहते थे और उनको सी क्लास में स्थान दिया जाता था। उस आजादी की कीमत किसान जानता है, जिसने अपने खून से उसको सींचा है। यह तो सभी कोई जानता है कि आजादी हमेशा बलिदानों से ही मिलती है। जिन दिनों आप महलों में रहते थे, ए और बी क्लास में मौज मारते थे, उन दिनों में वह मजदूर और किसान सी क्लास में कष्ट उठाता था। नतीजा यह है कि आज उन्हीं लोगों की हालत खराब है, उन कृषि परिवारों की हालत अच्छी नहीं है। आज भी उनकी हालत हरिजनों से बदतर है, क्योंकि उनको पूछा नहीं गया जिस प्रकार से हरिजन वर्ग को नहीं पूछा गया। और अब वह भी यही रूप धारण करेंगे जो हरिजन कर रहे हैं, अब आप हमें मुस्लिम लीगी कहते हैं। जब हम अपने लिए जगहों की मांग करते हैं, तो क्या भीख मांगते हैं? हम शासन से वही कहते हैं जो हमारा अधिकार है। क्या हम अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है, जब हम शिक्षा में इस योग्य हो गये हैं, तो मैं आपके द्वारा, अधिष्ठाता महोदय, पूछना चाहता हूं कि वह योग्यता किस पैमाने से नापी जाती है?

हमने यह मांग की थी कि हमारे हरिजनों के लिए जो सीट्स सुरक्षित हैं, उनके लिए हरिजन नवयुवकों में से ही इन्टरव्यू किया जाय। इसका उदाहरण दिया जाता है कि सब अयोग्य हैं, और अयोग्यता की वजह से देश की हानि होगी। भाई पहले अंग्रेज भी कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी गवर्नर के बनाने से देश की हानि होगी। लेकिन आज हमारे देश के नेता ऐसा शासन कर रहे हैं कि सारे संसार के दूसरे देश हमारे देश के नेताओं को बुलवाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और आज उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गयी है कि इस से अच्छा शासन करने वाला कोई संसार में है ही नहीं। तो मैं आप को यह बतला देना चाहता हूं कि जब तक किसी को दबाया जाता है, तब तक उस के लिए आप चाहे जो भी उचित शब्द समझें, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जब वह शक्ति में आ जाता है, और अपना काम करने लगता है, तब संसार देखता है, जनता देखती है, और उसका फैसला करती है, कि वह योग्य है, या अयोग्य है। अयोग्य भी वे इतने बतलाये जाते हैं कि चपरासी के भी अयोग्य हैं, अमीन के भी अयोग्य हैं, तहसीलदार के भी अयोग्य हैं, डिप्टी कलेक्टर के भी अयोग्य हैं और कलेक्टर के लिए तो कोई बात ही नहीं, उसका तो बिलकुल सफाया ही है। कलेक्टर तो कोई है ही नहीं, कमिश्नर के भी योग्य नहीं हैं। तो हैं क्या? आखिर ये कहां जायें? तो अधिष्ठाता महोदय, जहां तक नौकरियों में सुरक्षित स्थान का सम्बन्ध है, मेरा यह निवेदन है कि हरिजनों के लिए जो सीट्स सुरक्षित हैं, वह उन्हीं में से इन्टरव्यू किया जाय, उनका दूसरे नवयुवकों से मिलान न किया जाय। क्योंकि मान लीजिये कि एक हरिजन लड़का है, जो किसी कालेज में पढ़ता है, लेकिन उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिस से वहां पर उस के लिए बिलकुल अन्धकार है। इसके विपरीत जो दूसरे

[श्री हरि सिंह]

सवर्ण कहलाने वाले नवयुवक हैं, उनके घर में बच्चा-बच्चा पढ़ा लिखा है, और इस वजह से वे आपस में वार्तालाप करके एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसकी वजह से उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, और वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन हरिजन लड़के को सिवा कालेज के और कहीं कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह उतना लाभ नहीं उठा पाता। फिर वह कैसे उत्तीर्ण हो सकता है? अधिष्ठाता महोदय, क्या मैं आपके द्वारा यह पूछ सकता हूं कि जब तक उसकी ऐसी सोसाइटी न हो कि वह इस किस्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है? जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, हरिजन वर्ग की समस्या केवल इसी से हल नहीं होगी। लेकिन जहां तक उद्योग धन्धों का सम्बन्ध है, आज तक सरकार ने हरिजनों को उद्योग धन्धे के लिए कोई मदद दी है? जुलाहों के लिए जहां वह लाखों रुपये का अनुदान देती है, वहां हरिजनों के लिए उसने कितना दिया है? जहां पर और लड़कों को उसने विदेशों में भेजा है, वहां एक भी हरिजन लड़के को नहीं भेजा कि वे कहां से ट्रेनिंग लेकर अपने समाज के अन्दर लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। उद्योग धन्धों के लिए बड़ी बड़ी कमेटी होती है, जो इसका फैसला करती है और निर्णय करती हैं लेकिन उन में भी हरिजन लोग नहीं रखे जाते। और अगर किसानों से सम्बन्धित भी कोई समस्या होती है, और बाहर जाना होता है, तो उसके लिए करोड़पति सेठ लोग ही भेजे जाते हैं। वे लोग हल चलाना क्या जानते हैं? लेकिन फिर भी वे ही सरकार द्वारा विदेशों में ऐसी कान्फ्रेंसों में भेजे जाते हैं। अगर कोई मजदूरों का प्रश्न होता है, तो उसके लिए भी मजदूरों को न भेज कर, मिल ओनर्स और करोड़पति आदि ही भेजे जाते हैं।

अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे इस सम्मानित सदन के सामने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सम्मानित सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि हम प्रजुडिस माइन्डेड होकर, आवेश में आकर अपने कर्त्तव्य को न भूल बैठें। मैं तो भारतीय संस्कृति के अन्दर रहते हुए, अपने देश की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने बाप दादा की बातों को याद रखते हुए, इस भरे सदन को बतलाना चाहता हूं कि इस देश के लिए हमने क्या किया। हमने क्या किया है देश के लिये और देश हमारे साथ क्या कर रहा है? हमें सोचना चाहिये कि हरिजनों के साथ इस समय हमारा क्या कर्तव्य है। मैं अपने नवयुवकों के सामने कहना चाहता हूं और श्री जयपाल सिंह से कहना चाहता हूं और वह जरा कान खोल कर सुन लें कि भारत का इतिहास बताता है कि यहां फूट रही है, हम फिर जयचन्द और पृथ्वीराज की लड़ाई और उस तरह की तबाही को यहां लाना नहीं चाहते हैं। हम तो ईमानदारी के साथ, नेकनियती के साथ कहना चाहते हैं कि हम भारत को दो टुकड़ों में नहीं देखना चाहते हैं और भारत की दुर्दशा देखने के इच्छुक नहीं हैं। हम तो हरिजन समाज की कौन कहे समस्त भारतवर्ष को फलता फूलता और उज्जवल सूर्य की तरह सुन्दर चमकता देखना चाहते हैं। लेकिन देखना यह है कि आज हमारे देश की क्या दशा है और हम किस दशा में हैं। हम तो सदा से सब का वेलकम करते हैं सब का स्वागत करते हैं। हमें जब स्वराज्य मिला तो हमें वह दिन नहीं भूलना चाहिये कि जब बंगाल में ५०,००० आदमी भूख से तड़प तड़प कर मर गये और जब आई० एन० ए० के नौजवानों ने भूखे रह कर और पत्ते खा कर दुश्मन की फौजों का मुकाबला किया और मैदान में डटे रहे और उस जमाने में जान की बाजी लगा कर देश की आजादी की लड़ाई को सफल बनाया। मैं उधर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस समय आप क्या करते थे? अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने भाइयों से जो उतावले हो रहे हैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि वह जरा तसल्ली से सुनते जायं। हरिजनों की समस्या आज हमारे देश की समस्या है और वह हमारी समस्या नहीं है वह पूज्य बापू की समस्या है, उन्होंने

पहले हरिजनों का नारा इस देश में उठाया। जिस जमाने में यहां पर अंग्रेज हुकूमत थी और हमारा देश गुलाम था और इस घर में फूट फैली हुई थी, उससे पहले मैं आपको हल्दी घाटी का दृश्य दिखाना चाहता हूं कि उस समय भी हमारे बाप दादा ने महाराणा प्रताप के साथ कन्धा से कन्धा मिला कर देश की आजादी की लड़ाई में सहयोग दिया था, और जब शिवा जी ने तलवार खींची उस समय ही हरिजनों ने उनके कन्धे से कन्धा मिला कर साथ दिया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजी जमाना आया और हरिजनों को सिवाय चपरासी के, खानसामा के और अस्तबलों में काम करने के और कोई काम नहीं दिया गया, उस जमाने में उन्होंने किस को मिनिस्टर बनाया और किस को डिप्टी कलेक्टर बनाया? हमें वह दिन भी याद है जब १४ वर्ष वेस्ट इंडीज में अंग्रेजों के जुल्म हम ने सहे, शरीर पर बेंत खाये और जबरदस्ती वहां हमसे बेगार ली जाती थी। श्री धर्म सिंह हमारी उन तकलीफों को क्या जानें, वह तो नये नये ग्रेजुएट हो कर आये हैं, जो जेल खाने गये, वहां मरे और यातनाएं भुगतीं उनसे पूछिये कि आजादी की क्या क़ीमत दी गयी है, जिन्होंने लड़ाई आजादी की लड़ी और मार्च किया, उनसे पूछियें कि क्या तकलीफें उठायी है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमारे देश की जो समस्या है वह केवल हमारी समस्या नहीं है, उस के श्री हुकुम सिंह जी जिम्मेदार हैं, उसके श्री कमला पति जी जिम्मेदार हैं और पंडित पन्त जिम्मेदार है पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं और हम भी जिम्मेदार हैं, हर आदमी जिम्मेदार है। श्री त्रिपाठी जी ने कहा कि आप जो ८० उधर बैठे हैं इधर आ जायं तो कैबिनेट हिल जाय, म उनको बता देना चाहता हूं कि उनके साथ एक भी हरिजन नहीं आ सकता, वह उन्हें खूब जानते हैं। इस तरह से कैबिनट हिलने वाली नहीं है, 'गो टू मासेज एन्ड ट्रेन दि मासेज', यह तरीका हो सकता है, गालियों से या हड़ताल करा के या सड़कों पर नारे लगाने से सरकार नहीं बदली जाया करती है। मैं इलाहाबाद का भी अनुभव बताता हूं कि आप क्या हैं, हमें आप के कारनामे मालूम हैं। अगर यहां जायसवाल होते, तो हम उनको सुनना चाहते थे, लेकिन वह खसक गये.....

अधिष्ठाता—अब माननीय शिवनारायण विषय पर आ जायं।

श्री शिवनारायण—उन्होंने इलाहाबाद का जिक्र कर दिया इसलिये मैंने कह दिया।

(इस समय ३ बज कर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो अधिष्ठाता महोदय, हरिजन समस्या को इस गवर्नमेंट ने इग्नोर नहीं किया है और इसलिये मैं इस गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं। श्रीमान जयपाल सिंह जी ने भारतीय संविधान से पढ़ कर तो सुनाया लेकिन वह क्या कहना चाहते थे, यह समझ में नहीं आया। मैं तो यह कहता हूं कि गवर्नमेंट को गालियां दे कर ही इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजी राज्य ने अगर हमारी भलाई चाही होती तो आज हम हुक्मरां होते, लेकिन उनको फ़िक्र नहीं थी। इस प्रश्न को गांधी जी ने हल किया, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगायी। मैं डाक्टर अम्बेदकर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय बापू की जान बचाई और अपने फर्ज को अदा किया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हरिजनों ने कभी विश्वासघात नहीं किया, कभी डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी को अख्तियार नहीं किया, हमने भी कभी पाकिस्तान की मांग नहीं की। हरिजन कभी भी लीगी दिमाग़ के नहीं रहे.....

श्री अध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो रहा है।

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, अभी तो मैं दो मिनट ही बोला हूं।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरे दिन बोल सकते हैं।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप चेयर पर आ गये। मैं तो बड़ा निराश हो गया था कि समय न मिले, लेकिन आप ने इतनी कृपा कर दी कि दूसरे दिन बोल सकूंगा।

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन ४ बजे के बाद तब तक बैठा रहे जब तक आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—किसी को एतराज तो नहीं है?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा मंत्री श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसको उपस्थित करने का कारण यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी अमेंडिंग बिल जो इस भवन में पास हुआ था उसमें एक धारा यह थी कि १९५५-५६ के आरम्भ होने के बाद जितने डिग्री कालेजेज हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं या इंटरमीडियेट क्लासेज हैं, दोनों में से उनको निर्णय करना होगा कि वे इंटरमीजियेट क्लासेज को अपने यहां रखना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज को, दोनों को नहीं रख सकते। इसके बाद गवर्नमेंट आफ इन्डिया में इस पर विचार हो रहा है कि डिग्री क्लासेज को दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष के लिये कर दिया जाय, और इंटरमीजियेट में एक वर्ष कम कर दिया जाय। ऐसी आशा की जाती है कि जो निर्णय उसका होगा वह सारे देश में लागू होगा और निकट भविष्य में ही, जनवरी में ही, फिर कान्फ्रेंस हो रही है। ऐसी अवस्था में यह ठीक नहीं होगा कि आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कालेजों को मजबूर किया जाय कि वे इस धारा के अनुसार अपने इंटरमिजियेट क्लासेज को या पोस्टग्रेजुएट क्लासेज को हटा दें। इस संशोधन द्वारा यह प्रस्तावित है कि जब तक गवर्नमेंट नोटीफिकेशन दूसरा न ईशू करे, तब तक उनके लिये अपने क्लासेज को, चाहे इंटरमीजियेट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों, तोड़ने की आवश्यकता न होगी। इस विधेयक में एक धारा तो यह है दूसरी धारा यह है कि जिस समय आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक लाया गया था, उस समय ऐसा ख्याल किया जाता था कि एक वर्ष के अन्दर वहां की सब बाडीज बन जायेंगी। उसमें यह भी था कि उस ऐक्ट की धारा १ और ३४ उसी समय लागू हो गयी थीं और बकिया धारायें २५ फरवरी को लागू हुई थीं। उस समय कानूनी ख्याल यह था कि जब बकिया धारायें लागू होंगी उस रोज से उनका आरम्भ शुरु होगा, लेकिन अब इस समय एक संदेह उत्पन्न हो गया है और यह समझा जा रहा है कि सम्भव है कि उसका अर्थ यह भी हो कि ३१ दिसम्बर से पूरा ऐक्ट लागू हो गया है। चूंकि ३१ दिसम्बर से ही समझा गया कि पूरा ऐक्ट लागू हो गया है, तो बकिया यूनिवर्सिटी की जितनी बाडीज हैं जो बन नहीं पाई हैं, उनकी वजह से दिक्कत होगी। इसलिये इसमें एक दूसरी धारा यह है कि वह अवधि ६ महीने के लिये और बढ़ा दी जाय। जहां एक बरस था वहां १८ महीने हो जाय और मेरा ख्याल है कि फरवरी तक हमारी सब बाडीज बन जायंगी। कुछ स्टैट्यूट्स के बनने में जरूर देर हुयी, लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि ६ महीने के अन्दर वह अवश्य बन जायंगे। तो यह दो धारायें इस विधेयक में हैं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति-जनक बात न होगी।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने जो आज आगरा यूनिवर्सिटी का संशोधन विधेयक उपस्थित किया है, उसको मैं दो दृष्टिकोणों से देखना उचित समझता हूं। जहां तक इसकी पहली धारा का सवाल है जिस का संबंध मुदालियर कमीशन और आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिशों के लागू करने से है और जिसके अनुसार डिग्री और इंटरमिजियेट कोर्स को घटा बढ़ा कर एक साल या तीन साल

---

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २३ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

करने का विचार है, तो यह बहुत सामयिक है और यह अवश्य होना चाहिये और भविष्य में हमें उन सभी सिफारिशों को लागू करना चाहिये कि जो मुदालियर कमीशन और नरेन्द्र देव कमेटी ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दी हैं। मैंने इसके सम्बन्ध में, आप को याद होगा, कि मूल अधिनियम पर वाद विवाद के समय ही सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और उस समय भी यह कहा था कि उन कालेजों को शिक्षा क्रम को और नयी पाठ्य प्रणाली को अंगीकार करने में कुछ समय लगेगा, अपने को एडजेस्ट करने में कुछ स ्य लगेगा और इस लिये मैंने उस समय भी यह कहा था और यह मांग की थी कि इस सम्बन्ध में जो प्राविजन हों, जो अनुबन्ध हों, वह ज्यादा लचीले हों कि जिनके कारण कालेजों को ज्यादा असुविधा न हो, और एक स्टीम रोलर प्रोसेस के जरिये से कालेजों को अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने में असुविधा न हो। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कालेजों में कुछ ऐसे कालेज भी हैं कि जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज लिये जाते थे और इंटरमीडियेट क्लासेज भी, तो वहां अध्यापकों की भी समस्या थी, क्योंकि जो अध्यापक इंटरमीडियेट क्लासेज को पढ़ाते थे उनके एक साथ हटने की, रिट्रेन्च होने की भी समस्या थी और आज भी है। निकट भविष्य में भी यह प्रश्न आयेगा क्योंकि कुछ न कुछ अध्यापकों को आवश्यकतानुसार अलग होना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवे न करूंगा कि ऐसे सब अध्यापकों के लिये वह कुछ सोचें जिन्हें कि इस नयी शिक्षा योजना के अनुसार अनिवार्य रूप से रिट्रेन्च होना पड़ेगा। उनको अपनाने के लिये माध्यमिक शिक्षा संस्थायें अवश्य कुछ न कुछ क़दम उठायें और मैं आशा करता हूं कि माननीय मत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक पहला संशोधन है वह तो उचित है और वास्तव में इसको आज से पहले हो जाना चाहिये था, लेकिन जो दूसरा संशोधन है उसमें मैं जरूर माननीय मंत्री जी के विभाग को दोषी ठहराता हूं। मैं यह समझता हूं कि अगर वह प्रयत्नशील होता, तो आज तक युनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स ही नहीं बल्कि पुराना जो हमने अधिनियम पास किया था उसके अनुसार हो गया होता। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है, अब तक क्यों नहीं ऐसा हुआ। माननीय मंत्री जी ने तारीख की प्ली दी कि ३१ दिसम्बर का पहले अन्दाज था नहीं, और इंटरप्रिटेशन के झगड़े पर यह हुआ है। लेकिन आमतौर पर जितने इस प्रकार के अधिकार हुए हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट को ऐमर्जेन्सी पावर्स दी ही नहीं और अगर दी भी है तो एक साल से अधिक किसी हालत में स्वीकार नहीं किया। जहां तक मैं समझता हूं इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक की पहली प्रस्तावना यही रही है। तो इसलिये मैं कम से कम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि १८ महीने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाय कि वह इस बीच में अथारिटीज को कान्स्टीट्यूट कर सके। इसमें एक व्यावहारिकता का प्रश्न उठेगा कि अगर ऐसा न होगा तो हम अथारिटीज को कान्स्टीट्यूट नहीं कर पायेंगे। लेकिन हम सिद्धान्ततः इस बात का विरोध करते हैं कि इस प्रकार समय बढ़ाना और एमर्जेन्सी पावर्स अपने हाथ में लेना स्टेट गवर्नमेंट के लिये शोभा की बात नहीं है और यूनिवर्सिटी के लिये भी नहीं। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कम से कम १८ महीने वाली जो बात है इसको ड्राप करेंगे, क्योंकि यह सरकार के लिये भी हित की बात होगी कि वह ऐसा रूप अपना न दिखायें जिससे शिक्षा जगत में यह सम्भावना हो कि माननीय मंत्री जी अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा को और अपने अधिकारों की मर्यादा को जरूरत से ज्यादा सीमा तक और समय तक बढ़ाना चाहते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि संघ सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को जिस प्रकार से संचालित करना है उसमें यह निश्चित है कि जिन डिग्री कालेजेज में इंटर क्लासेज लग रही हैं वहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज तभी खुलेंगी जबकि वह यह निश्चित कर लें कि इंटर की पढाई वहां नहीं होगी। अभी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पास हो रहा था और जिन एफ़िलियेटेड कालेजेज को डिग्री क्लासेज खोलने की पावर देने जा रहे थे, मैंने एक संशोधन उस पर रखा था कि जो व्यवस्था आगरा यूनिवर्सिटी में है वही व्यवस्था यहां भी कर दी

[श्री जोरावर वर्मा]

जाय, तो उस समय उन्होंने साफ नहीं किया था कि जो एफ़िलियेटेड कालेज हैं वे बी० ए०, बी० एस० सी० तक क्लासेज ले सकेंगे या पोस्ट-ग्रेजुएट्स क्लासेज खोल सकेंगे।

श्री हरगोविंद सिंह—आपने पढ़ा नहीं उस ऐक्ट में है कि पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज नहीं होंगी।

श्री जोरावर वर्मा—आपकी बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रमाण तो यह उपस्थित संशोधन विधेयक ही है कि क्या आप ने पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक साल से अधिक समय हो गया और माननीय मंत्री जी जो कार्यवाही करना चाहते थे वह न कर सके। अब समय बढ़ाना चाहते हैं और इसके द्वारा, जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा, एमर्जेंसी पावर्स इस तरह से बढ़ायी जा रही है, जिसे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसको कम से कम करने की कोशिश करें, और जो ऐक्ट है उसी के अन्दर जो व्यवस्था है, उसे लागू करने की कोशिश करें।

श्री हरगोविंद सिंह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक की पहली धारा का सम्बन्ध है वह तो अपने स्थान पर ठीक ही है, उसका कोई विरोध भी नहीं हुआ है। दूसरी धारा के बारे में जोरावर वर्मा जी ने एक अजीब बात कही। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो संशोधक विधेयक यहां से पास हुआ है उसे फिर पढ़ लें। उसमें प्रोवाइडेड है कि वह खाली डिग्री क्लासेज होंगी उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं होगीं तो जहां तक इसका सम्बन्ध है यह कहा भी जा सकता है कि उसमें देर हुई लेकिन उसका कारण था और वह यह था....

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने परसदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरगोविंद सिंह—तो जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध था वहां आर्डिनेंसेज वगैरह की इसके पहले कोई प्रथा नहीं थी। वह बन भी नहीं सके। कई दफ़ा यहां आया, वहां आया, उसके बाद स्टेच्यूट जो थे, वह बनने के बाद यह भी था, कि जो सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स थे, उनके पास भेजे जायं, उनके पास भेजे गये, उस पर उनकी सम्मतियां आयीं, उसमें चेजेंज हुए। देर जरूर हुई कि एक वर्ष के अन्दर नहीं हो सका, लेकिन उस वक्त यह ख्याल था कि वह एक वर्ष २५ फरवरी को खत्म होगा। यह इंटरप्रिटेशन इसलिये किया गया था कि चूंकि वह धारा ३१ दिसम्बर को लागू नहीं हुई थी। लेकिन अब उसमें जैसा मैंने कहा सन्देह उत्पन्न हो गया है बावजूद इसके कि उस विधेयक की केवल दो धारायें, एक और चौंतीस लागू की गयी थीं। बाक़ी धारायें २५ फरवरी को लागू की गईं। लेकिन उसमें सन्देह हो सकता था। तो जहां तक २५ फरवरी का सम्बन्ध था, वह मैं अब भी कहता हूं कि उस बीच में सब बाडीज बन जायंगी, लेकिन ३१ दिसम्बर तक यह नहीं बन सकतीं। तो उसमें यह कहना कि तसावली हुई और देर की गई, यह गलत है। जैसे मैंने पहले कहा अब भी कहता हूं कि मेरा ख्याल है कि २५ फरवरी तक अवश्य बन जायंगी। इसमें देर का सवाल पैदा नहीं हुआ, और कोई देर नहीं हुई। लेकिन चूंकि सन्देह उत्पन्न हो गया है इस वजह से यह किया गया कि समय बढ़ा दिया जाय। अगर वह समय नहीं बढ़ेगा और कानूनी राय यह हुई कि जो बाडीज ३१ दिसम्बर के बाद बनी हैं, वह गैरकानूनी हैं क्योंकि वह एक वर्ष की अवधि के अन्दर नहीं बनीं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा और ऐक्ट में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसलिये यह जरूरी है कि उसको ६ महीने और बढ़ा दिया जाय। एमर्जेंसी पावर्स की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐक्ट में ही एक वर्ष रखा गया था। लिहाज़ा मैं समझता हूं कि यह समय इसका अवश्य बढ़ जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—टीचर्स के बारे में ?

श्री हरगोविंद सिंह—जब रोक ही दिया जा रहा है कि अभी यह विघटन न हो जब तक कि गवर्नमेंट नोटीफिकेशन न करे, तो टीचर्स का तो प्रश्न उठता ही नहीं। वह उस समय उठेगा जिस समय कि यह धारा लागू होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे यहां पर आगे चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २४ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक "१९५६-५७" के पश्चात् शब्द "Or, if the State Government so directs before the expiry of such subsequent academic year as it may by notification in the Official Gazette specify from time to time" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ४०-ए के:

(१) खंड (बी) में शब्द "One year" के स्थान पर शब्द "eighteen months" रख दिये जायं, तथा

(२) प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "12 months" के स्थान पर शब्द "eighteen months" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४०-ए का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री जोरावर वर्मा—मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—कहने का तो वक्त है नहीं क्योंकि इसमें कोई संशोधन नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड २

आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को और अधिक संशोधित करने का — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

विधेयक

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में संशोधन करना आवश्यक है, — यू०पी०ऐक्ट ८, १९२६।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमन्,मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र लोनी, जिला मेरठ से सम्बद्ध १६ दिसम्बर, १९५४ तारांकित प्रश्न ४१-४२ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष--साधारण कार्यक्रम तो पूरा हो गया। अब विकास क्षेत्र लोनी (मेरठ) से संबंधित श्री रामचन्द्र विकल द्वारा १६ दिसम्बर को पूछे गये तारांकित प्रश्न ४० और ४१ के विषय में नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र लोनी, जिला मेरठ जिसके सम्बन्ध में मैंने गत सप्ताह में सदन में प्रश्न पूछा था, और जो माननीय मंत्री जी द्वारा सूचना उस क्षेत्र के कार्यों के सम्बन्ध में दी गयी थी, उससे मुझे संतोष नहीं हुआ और जो इस सूची में कार्य दिखाये गये हैं, जहां तक मैं उस क्षेत्र से परिचित हूं.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि क्या इस विषय में भी कोरम की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, जब तक सदन बैठा रहेगा कोरम की आवश्यकता रहेगी या तो यह इस सदन की सभा है या नहीं है। अगर सभा है, तो कोरम की आवश्यकता है।

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामचन्द्र विकल--मैं सेवा विकास क्षेत्र लोनी के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा था। इस विकास क्षेत्र के अन्दर दो फर्लांग तक की सड़क दिखायी गयी है। मैं नहीं जान पाता कि यह दो फर्लांग की सड़क कहां पर बनी है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कुछ स्कूल जनता द्वारा बनाये गये उनके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता था कि वह जूनियर स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल हैं उनमें सरकार की ओर से आर्थिक या किस प्रकार की सहायता दी गयी ? इसमें जनता द्वारा कुछ मकान बनाये जाने की संख्या भी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार का किस प्रकार का सहयोग रहा है, जो कि मकान जनता द्वारा बनाये गये हैं।

इस प्रकार से यह बहुत लम्बी चौड़ी सूची है। इसमें वाचनालय और पुस्तकालय भी दिये गये हैं और इसमें यह भी दिया हुआ है कि बच्चों के लिये पार्क बनाये गये हैं जिनका मैं नाम ही सुन सका हूं, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि गांवों में कहां पार्क बनाये गये हैं। कुछ अखाड़ों की भी चर्चा इसमें की गयी है लेकिन मैं नहीं जान पाया कि वहां कहां बनाये गये हैं और किस प्रकार की सरकारी सहायता उनको दी गयी है ? इसी प्रकार से मनोरंजन केन्द्र और सहकारी समितियों की भी इसमें चर्चा है और मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इसमें ५७ की तादाद दिखायी गयी है लेकिन उनके खोले जाने या कार्य करने का रूप भी मैं नहीं जान पाया।

इस प्रकार से मुझे मालूम होता है कि यह जो लम्बी चौड़ी लिस्ट मुझे दी गयी है यह फर्जी है। मुझे यहां तक मालूम ह कि पिछली प्लानिंग कमेटी की बैठक जो मेरठ में हुई थी उसमें ८० नये तालाबों की संख्या पेश कर दी गयी थी लेकिन एक सज्जन ने आपत्ति की जो एम० एल० ए० थे, तो वह ८० तालाब जो वहां पर कुदरती पहले से मौजूद थे, उनको लिस्ट में से निकाला गया।

इन विकास क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां काफी काम होना चाहिये था वहां इस प्रकार की दशा है। सौभाग्य से इसका कार्य हमारे प्रदेश के एक रचनात्मक और कर्मठ मंत्री जी को सौंपा गया है जो गांधी जी के सिद्धांतों और ग्रामीण समस्याओं के पूर्ण पंडित हैं। इसके बावजूद जब हम लिस्ट देखते हैं और जनता में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें जमीन आसमान का अंतर मिलता है। पिछले दिनों में मैंने अपने जिले के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था तो मुझे उस सम्बन्ध में एक लम्बी सूची बतलायी गयी थी। लेकिन जब मैंने वहां जाकर जांच की तो स्वयं प्लानिंग आफिसर ने तस्लीम किया कि जो सड़कें पहले की बनी हुई थीं वही लिख दी गयी थीं।

मैं पूरी जानकारी के बाद कोई बात कहता हूं और हमारे सरकारी कर्मचारी कुछ कागजात के भरने में होशियार हैं, और मुझे इससे और भी ज्यादा दुख होता है कि ऐसे एक महान् नेता के नेतृत्व में काम करते हुए वह इस प्रकार से फर्जी रिपोर्ट देते हैं। जहां इन विकास क्षेत्रों से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिये और ग्रामों का उत्थान होना चाहिये, वहां पर इस प्रकार की कागजी फर्जी रिपोर्ट बनायी जाती है। इससे जनता में असंतोष पैदा होता है।

एक प्रश्न इस सम्बन्ध में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका केन्द्र इलाके चिरोरी से हटाकर क्यों लोनी में ले जाया गया ? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह क्षेत्र हमारे प्रदेश में देहली के पास है। मुझे मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सुविधा के लिये कर लिया है क्योंकि लोनी रेल्वे स्टेशन है और देहली से आने वाली गाड़ी के रास्ते में पड़ता है। इस केन्द्र को यहां से हटाने के सम्बन्ध में जनता में बड़ा भारी असंतोष है। मैं इन चंद शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसको सही दृष्टिकोण से देखने की कृपा करें और जो ऐसे अनुचित कार्य किये गये हैं उनकी जांच कराकर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरे मित्र श्री रामचन्द्र विकल को यह कार्यवाही करनी पड़ी और भवन के सदस्यों को ४ बजे के बाद भी इस काम के लिये रुकना पड़ा। मैं एक प्रश्न जो रिपोर्ट का है उसकी कठिनाई को समझता हूं। कारण यह कि क्षेत्र में बहुत से काम होते हैं। उन सब कामों का ब्योरा इस सदन में जैसा कि जिलों से आता है वैसा हम पेश कर देते हैं और उस पर जब कोई सप्लीमेंटरी सवाल होते हैं उनका जवाब यहां देने में हम असमर्थ होते हैं। उस कठिनाई को देख कर यह एक कायदा बना दिया गया है कि हर प्लानिंग कमेटी में हर तीसरे महीने सारे कामों की रिपोर्ट और सारे खर्चे की रिपोर्ट पेश हुआ करे ताकि माननीय सदस्य जो कि सबके सब अपने जिलों की कमेटी के मेम्बर हैं उसकी ठीक जांच पड़ताल कर सकें और उसमें जो गलती हो उसको पकड़ सकें। फिर भी माननीय सदस्य की दिक्कत रफा नहीं होती क्योंकि माननीय सदस्य उस जिले के रहने वाले नहीं हैं जहां का यह प्रश्न है। मैं इस बात के लिये बहुत उत्सुक हूं कि अगर कहीं किसी कर्मचारी की गलती मिले तो उस पर सख्ती से कार्यवाही की जाय और मेरा ख्याल है कि जहां-जहां ऐसी गलती मिली है वहां जरूर सख्ती गवर्नमेंट ने की है। इस मामले में भी कोई गलती मिलेगी तो रियायत नहीं की जायगी। माननीय सदस्य ने एक मर्तबा मुझसे चर्चा की थी अपने जिले के सम्बन्ध में और शायद इस जिले के सम्बन्ध में तो मैंने तभी दरख्वास्त की थी कि अगर वह लिखकर बता दें कि फलां-फलां चीजें ग़लत हैं तो उसकी जांच करा ली जाय। चुनान्चे जो नोटिस अब माननीय सदस्य ने दी है उसमें भी कुछ रोशनी नहीं डाली। उसमें

[श्री फूल सिंह]

यह है कि उत्तर में सूची संलग्न है। उसमें अनेक कार्य हैं जो नहीं किये गये। अब इस शंका का समाधान करना मेरे लिये असम्भव था। कम से कम जो-जो बातें उन्होंने यहां इस भाषण में कहीं, अगर उनका कुछ ब्यौरा दे देते, तो मुमकिन था कि मैं उनकी जांच पड़ताल करके भवन के सामने कुछ बात कह पाता। उनका प्रश्न था, "क्या सरकार बतायेगी कि लोनी विकास सेवा क्षेत्र में अब तक क्या-क्या कार्य हुआ है।" अब इस प्रश्न से यह कहीं नहीं पता चलता कि उन्हीं कामों की सूची बतायें जिनमें सरकार ने सहायता दी है। जो-जो काम हुए हैं क्षेत्र में और भवन इस बात से इत्तफाक करेगा कि डेवलपमेंट का काम सरकार के पैसे से होना आवश्यक नहीं है, सरकार के पास तो थोड़ा बहुत ही पैसा है, ज्यादातर काम लोगों की सहायता से होते हैं और उस क्षेत्र के लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो बिला कुछ लिये सहायता करते हैं तो अगर उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने ऐसी पाठशालायें, लाइब्रेरियां और सड़कें बनाई हैं जिनमें सरकार की कुछ सहायता न लगी हो तो यह तो कोई शिकायत की बात नहीं नजर आती। अब अगर कोई बात ऐसी है तो उसकी जांच करने में मुझे कोई इन्कार नहीं है। इसी सवाल के लिये नहीं, और सवालों के लिये भी मैंने तो मेम्बर महोदयों से यह सिर्फ दरख्वास्त की है कि बजाय इसके कि भवन में इतना समय सब लोगों का लगे, वे एक स्लिप लिख कर भेज दें और मैं जांच करा लिया करूंगा।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र का सेंटर चिरौरी से लोनी क्यों कर दिया? यह सेंटर अक्तूबर, १९५३ में खुला। जहां सेंटर का केन्द्र रखा गया वहां पर कोई मकान नहीं मिला, हर एन० ई० एस० ब्लाक में एक डी० पी० ओ० और तीन ए० डी० पी० ओ० होते हैं। इनके लिये वहां कोई मकान नहीं था। फिर हर एन० ई० एस० ब्लाक में एक सीड स्टोर होना चाहिये। कोई मकान वहां उसके लिये नहीं था। ९ महीने तक यानी जून, सन् ५४ तक जब कोई वहां ऐसी सुविधा न हो सकी तो जून, सन् ५४ में इसी ब्लाक की ऐडवाइजरी कमेटी ने यह सिफारिश की कि इस सेंटर को बदल कर लोनी कर दिया जाय। यह प्रस्ताव जिला प्लानिंग कमेटी में जुलाई में गया और जितने उसके मेम्बर हैं उन सब ने सम्भवतः इत्तफाक राय से यह सिफारिश की कि यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाय। तो दोनों कमेटियों ने जब एक बात की सिफारिश की तो मेरा तो ख्याल यह है कि जनता की सुविधा के लिये था। जनता को कष्ट देने के लिये दोनों कमेटियां जिनमें वहां के सारे एम० एल० ए० मेम्बर हैं इत्तफाक राय से कोई प्रस्ताव पास कर देंगी यह मुझे समझने में जरा कठिनाई है। तब भी जुलाई से अब तक किसी माननीय सदस्य ने मुझ से आकर कभी यह शिकायत भी नहीं की कि इस प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ी भी मालूम होती है। इसकी दोबारा जांच करानी चाहिये। दो तीन मिसालें ऐसी है जहां सेंटर को बदलना पड़ा है और कारण तो यह है कि जहां हम यह तय कर देते है कि यहां सेंटर होगा वहां के लोगों को फिर थोड़ा लालच हो जाता है। कायदा तो यह है कि जहां सेंटर हो वहां मकान मुफ्त में दे दें या मकान बनाने के लिये जमीन या कुछ सहायता दें लेकिन बाद में कुछ जगहों के लोग दाम ठहराने लगते हैं और जब वहां पर ठीक नहीं बैठता तो सेंटर बदलना पड़ता है। मैं जानता नहीं कि यह कठिनाई इस सेंटर में भी आयी है या नहीं, लेकिन मेरे इल्म में ऐसे कई जिले हैं जहां पर ऐसी कठिनाइयां आयी हैं और वहां सेंटर बदलना पड़ा है। लेकिन अगर यहां जो प्रस्ताव पास किया गया था वह गलत था, तो अच्छा होता कि मेरी नोटिस में यह बात लाई गयी होती। उस जिले के पन्द्रह सोलह मेम्बर हैं। किसी ने यह बात मेरे सामने नहीं रखी। नवम्बर में यह प्रस्ताव यहां से मंजूर हुआ और अब तक कोई एतराज नहीं आया, तो मेरे नजदीक वह प्रस्ताव बिलकुल मुनासिब था और उस प्रस्ताव पर सेंटर का बदलना अनिवार्य था। तीन साल की मियाद एक सेंटर के लिये होती है। अगर एक साल इसी बात में लग जाय कि जमीन मिले या न मिले, तो काम नहीं चल सकता। हम तो इस बात की कोशिश में रहते हैं कि जब सेंटर शुरू हो तो पहले पांच–छः महीने में मकान बन जाना चाहिये। लेकिन इस केन्द्र में अभी तक वह सुविधा नहीं मिल सकी और जहां सेंटर बदला गया है वहां मकान मिल गये हैं और वहां उस केन्द्र का काम आसानी से चलने लगा है। मैं एक बात सदन की जानकारी

के लिये और अर्ज कर दूं। अभी पिछले महीने केन्द्रीय सरकार से श्री एस० के० डे ने उस सेंटर का दौरा किया और उन्होंने एक उसकी बहुत लम्बी रिपोर्ट लिखी जिसमें उस सेंटर के काम की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि "The whole country side seems to be on fire and it is impossible to quench it." उनका ख्याल है कि जो वहां पर लोगों का उत्साह है और जो काम की रफ्तार है, उसको रोकना नामुमकिन है। अगर कोई ऐसी शिकायत होती तो वहां के लोग उस शिकायत को जरूर उनके सामने रखते। मेरी समझ में वहां की जनता उससे सन्तुष्ट है और कोई शिकायत नहीं है और उस सेंटर को बदलने का कोई सवाल नहीं होता।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो यह कहा कि तीन–तीन महीने की रिपोर्ट प्लानिंग कमेटी के सामने पेश की जायगी इसके लिये यहां से आदेश कब जारी हो गये हैं?

श्री फूलसिंह—अभी पिछले दिनों जब बहुत सारे सवालात मेम्बरान ने किये तो उसमें यह देखा कि कुछ कठिनाई रहेगी और मेम्बरान को संतुष्टि नहीं होगी, तब यह सर्क्युलर जारी कर दिया गया।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चिरौरी में जहां पर कि ग्राम उद्योग योजना पहले भी चल चुकी है, क्या वहां मकान किराये पर खाली नहीं मिल सकते थे?

श्री फूलसिंह—बहरहाल प्लानिंग कमेटी ने और प्रोजेक्ट एडवाजरी बोर्ड ने सिफारिश की कि मकान नहीं मिलते हैं तो जब नहीं ही मिलते होंगे तभी उन्होंने ऐसी सिफारिश की होगी और माननीय सदस्य तो खुद भी जिला प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं। अगर कोई खामी उस प्रस्ताव में थी तो सुधार लेते।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी ने उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके कार्य के बारे में माननीय विकल जी ने शिकायत की है कोई ऐक्शन लिया या जबाब तलब किया?

श्री फूलसिंह—अभी जो मैंने पढ़कर सुनाया, अभी तो यह था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं जो कि गलत हैं। स्पष्ट बात हो कि फलां–फलां बात ऐसी है तो चेक करके ऐक्शन भी लूं।

श्री हरिसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्लानिंग कमेटी की गयी थी, उसमें किसी माननीय सदस्य ने विरोध भी किया था या नहीं?

श्री फूलसिंह—मैं ठीक तो नहीं कह सकता मगर मेरी इत्तिला है कि इत्तफाक राय से हुआ।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय विकल जी ने जो प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने जांच कराने के सम्बन्ध में रखा है, क्या उसे वह जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री फूलसिंह—जरूर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि केन्द्र के चुने जाने के क्राइटेरियन क्या हैं?

श्री फूलसिंह—वह एक बहुत लम्बा सर्कुलर है और जिला प्लानिंग कमेटी केन्द्र का चुनती है। आबादी का ख्याल किया जाता है, एरिया डेवलप किया जा सकता है या नहीं,

[श्री फूल सिंह]

इसका ख्याल किया जाता है और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं। केन्द्रों का मामला और भी स्पष्ट हो गया है जब कि तमाम प्रांत को एन० ई० एस० ब्लाक में बांट दिया गया है, बारी-बारी से वे खोल दिये जायंगे ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार वहां पर पुनः एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का विचार करती है ?

श्री फूल सिंह---एन० ई० एस० ब्लाक तो खुले हुये हैं। जहां तक ट्रेनिंग सेंटर्स की बात है सेंटर्स को बार-बार बदलने से काम रुकता है। एक साल से ज्यादा हो ही चुका है। अगर दोबारा खोले जायेंगे तो वेस्ट होगा और अगर मकान मिल गये हैं तो फिर खोलने की कोई खास वजह नहीं दिखाई देती ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या मंत्री महोदय मेहरबानी करके बतलायेंगे कि जो तिमाही रिपोर्ट तैयार हो कर आयेगी वह जिस समय सदन न चलता होगा, तो सदस्यों के घरों पर पहुंच जायगी या सदन में सदस्य आयेंगे तब मिलेंगी ?

श्री फूल सिंह---यह रिपोर्ट यहां नहीं आयेगी, जिला प्लानिंग कमेटी में पेश हुआ करेगी।

श्री व्रज भूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि जिस मीटिंग में यह निश्चय किया गया कि स्थान बदल दिया जाय उस मीटिंग में विकल जी मौजूद थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो प्रश्न ही नहीं उठता। विकल जी के विषय में कहा गया है कि वह उस जिले के रहने वाले नहीं हैं।

श्री हरि सिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां ग्राम विकास के लिये पहले भी चिरौरी ग्राम में जो योजना यें चली हैं उनमें कर्मचारियों के लिये भी मकान मिले थे या नहीं ?

श्री फूल सिंह---पहले इस तरह का विकास होता ही नहीं था। यह तो दो तीन साल से ग्राम सुधार का कार्य चल रहा है। पहले इस तरह से कर्मचारियों को सरकारी मकान देने का कायदा नहीं था ।

श्री रामनरेश शुक्ल---चिरौरी से लोनी तक कितना फासला है ?

श्री फूल सिंह---तीन मील ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एन०ई०एस० ब्लाक के कर्मचारी लोनी में न रह कर दिल्ली में रहते हैं ?

श्री फूल सिंह---मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल---माननीय मंत्री जी ने जो अभी राष्ट्रीय सेवा संघ के बारे में अपनी बातें बतलायीं और जांच कराने के लिये कहा उसमें मैं संतुष्ट हूं लेकिन उनका यह कहना कि मैं उस जिले से वाकिफ नहीं हो सकता, इस बात से मुझे अफसोस हुआ ।

श्री फूल सिंह---यह मैंने नहीं कहा ।

श्री रामचन्द्र विकल––यह मैं जरूर बतला देना चाहता हूं कि मैं भी बहुत दिनों से अपने उस पिछड़े हुए क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास सेवा क्षेत्र खोलने का विचार कर रहा हूं और वहां से मेरा पड़ोस का सम्बन्ध है। और जितने वहां के एम०एल०एज० हैं उनसे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और जो वहां के हालात हैं उनसे मुझे काफी वाकफियत है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह उस जिले के रहने वाले नहीं हैं इसलिये मैं इतने बारीक हालात नहीं जान सकता, यह सच नहीं है।

श्री फूलसिंह––मैंने यह कहा था कि जो प्लानिंग कमेटी में रिपोर्ट पेश करने का कायदा होने वाला है आपको उससे नफा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप प्लानिंग कमेटी के सदस्य नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र विकल––मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे और जांच करा कर आइन्दा उस विकास सेवा क्षेत्र के विषय में वहां की जनता में जो निराशा है उसे वह आशा में परिणित कर देंगे।

श्री फूलसिंह––मुझे कुछ अर्ज करना नहीं है। केवल इतना कहना है कि ऐसी कोई निराशा की बात नजर नहीं आती है, उस रिपोर्ट से जो कि इस समय हमारे सामने पेश है।

जहां तक जांच की बात है वह करायी जायगी और माननीय सदस्य और कोई रिपोर्ट देंगे तो उसकी भी जांच कराई जायगी।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कायक्रम

श्री अध्यक्ष––मुझे एक सूचना देनी है और वह यह है कि हरिजन सम्बन्धी शरणार्थी, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण (विद्युत्), जेल, रसद, यातायात, सहकारी स्थायी समितियों में क्रमशः १, २, २, १, १, २, १ तथा १ स्थानों के उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का अन्तिम समय २४–१२–५४ को एक बजे तक था। इस समय के भीतर प्रत्येक समिति के लिये निम्नलिखित विवरण के साथ सामने रखे नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हैं :––

अभ्यर्थी का नाम	जिला	प्रस्तावक	अनुमोदक
हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति (१ स्थान)			
१––श्रीमती आशालता व्यास	आजमगढ़	कालीचरण टंडन	महावीरप्रसाद शुक्ल
शरणार्थी स्थायी समिति (२ स्थान)			
१––श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी	हमीरपुर	कालीचरण टंडन	महावीरप्रसाद शुक्ल
२––श्री श्यामाचरण वाजपेयी	बांदा	,,	,,
सामान्य प्रशासन स्थायी समिति (२ स्थान)			
१––श्री वासुदेव मिश्र	कानपुर	देवदत्त मिश्र	शिवराम पांडे
२––श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल	गोंडा	सज्जनदेवी महनोत	रामराज शुक्ल

अभ्यर्थी का नाम	जिला	प्रस्तावक	अनुमोदक
३—श्री नारायणदीन	शाहजहांपुर	रामशंकर रविवासी	कन्हैयालाल वाल्मीकि
४—श्री राम जी सहाय	देवरिया	कालीचरण टंडन	शान्तिप्रपन्न शर्मा
५—श्रीमती बृजरानी देवी	कानपुर	,,	,,

सार्वजनिक निर्माण (विद्युत्) स्थायी समिति (१ स्थान)

१—श्री रामशंकर रविवासी	लखनऊ	कन्हैयालाल वाल्मीकि	नारायणदीन
२—श्री बलवन्त सिंह	मुजफ्फरनगर	शान्तिप्रपन्न शर्मा	कालीचरण टंडन

जेल स्थायी समिति (१ स्थान)

१—श्री त्रिलोकी नाथ कौल	बहराइच	सियाराम चौधरी	बसन्तलाल शर्मा

रसद स्थायी समिति (२ स्थान)

१—श्री चिरंजी लाल जाटव	एटा	कालीचरण टंडन	रामकृष्ण जैसवार
२—श्री श्रीचन्द्र	मुजफ्फरनगर	कालीचरण टंडन	शान्ति प्रपन्न शर्मा

यातायात स्थायी समिति (१ स्थान)

१—श्री वासुदेव मिश्र	कानपुर	देवदत्त मिश्र	शिवराम पांडेय
२—श्री उल्फत सिंह	आगरा	कालीचरण टंडन	शान्ति प्रपन्न शर्मा

सहकारी स्थायी समिति (१ स्थान)

१—श्री दीनदयाल शर्मा	बुलन्दशहर	कालीचरण टंडन	शान्ति प्रपन्न शर्मा

इनकी सूक्ष्म परीक्षा आज ४ बजे कर ली गई और ये नामजदगियां सही पायी गयीं। यदि २७ दिसम्बर, १९५४ को १ बजे तक नाम वापस नहीं हुए तो उसके लिये चुनाव का समय बाद में निश्चित किया जायगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४५ मिनट पर सोमवार, २७ दिसम्बर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ दिसम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर।)

श्री चतुरसिंह द्वारा ३०-८-५४ को की गई रिपोर्ट की नकल

श्री चतुर सिंह ने बयान किया कि मेरे दामाद रघुवीरसिंह वल्द मजबूत सिंह गूजर मेरे पास में रहते हैं। इनकी मु० सरजूबाई पुत्री मूंगाराम विधवा है। जो मौजा माहेना, थाना इन्दरगढ़ में बाबूलाल को व्याही थी जो मर गया था उसे मरे करीब ६-७ साल हो गये ह और उसकी सलाह गांव वालों की और मुलजिम १ व २-३ (अतर सिंह, हमीरसिंह, जरदान सिंह पुत्र मूंगाराम) की सलाह से मेरे दामाद रघुवीर सिंह को बैठाल ली गयी थी और उप-रोक्त मुलजिमानबाला लड़की को बहकाते हैं और उसको बेचने की सूरत सोच रहे हैं और कहते हैं कि चतुरसिंह, रघुवीर सिंह को मार डालेंगे इसी बिना पर मुझे व मेरे दामाद को बुरी-बुरी गाली-गुफ्ता व तरह-तरह की जान से मार डालने की धमकियां रात बिरात देते रहते हैं। मुझे मुल्जिमान की तरफ से जान माल का अन्देशा है। अतः रपट को आया हूं रपट लिख ली जावे दावा करूंगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर।)

प्रतिलिपि--

सचिव, उत्तर प्रदेशीय सरकार, लखनऊ द्वारा शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित राजाज्ञा सं० ४९८२ / १५-- १९४-५२, दिनांक ७ अगस्त, १९५२ की प्रतिलिपि।

शासन का ध्यान इस बात पर आकर्षित किया गया है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो अक्सर वे एक ही जिले में साथ नहीं रक्खे जाते, यह उचित नहीं है। राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिया है कि यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षा विभाग की सेवा में हों तो नियुक्ति करते समय या स्थानान्तरण करते समय दोनों को एक ही स्थान पर रखना चाहिये। यदि पति पत्नी में से एक शिक्षा विभाग का कार्याधिकारी है और दूसरा अन्य विभाग का तब भी प्रयत्न किया जाये कि शिक्षा विभाग के अधिकारी को उस स्थान पर भेजा जाय जहां दूसरे विभाग का अधिकारी पति या पत्नी सेवा रूप में हो।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर।)

तालिका जिसका उल्लेख प्रश्न सं० ७२ के उत्तर में किया गया है

१	२	३	४	५	६	७	८
अनिवार्य शिक्षा क्षेत्र	अनिवार्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम	चालू वित्तीय वर्ष हेतु मेंटीनेंस	स्वीकृत अनुदान महंगाई	स्पेशल इन्क्रीमेन्ट	१९५३-५४ में विद्यालय को ११वीं तथा १२वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक रुपया मासिक प्रति विद्यार्थी की शुल्क में छूट प्रदान करने से उत्पन्न घाटे की पूर्ति	१९५४-५५ में विद्यालय की ११ वीं तथा १२ वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक रुपया मासिक प्रति विद्यार्थी को शुल्क में छूट प्रदान करने से उत्पन्न घाटे की पूर्ति की अनुमानित राशि	योग
		रु०	रु०		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० रु० आ०
प्रतापगढ़ जिले की साहेबगंज तहसील का क्षेत्र जो उत्तर में सई नदी, पूर्व में लोनी नदी और दक्षिण में लखनऊ, बनारस सड़क से सीमित है	१—बी० डी० दुबे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहाड़पुर	६,९८४	६८२ ..		२५८ ८ ०	.. .. ..	७९४ ८७१८ ८
बेला म्युनिसिपैलिटी का क्षेत्र	२—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साहेबगंज	२८८०	८१० ..		.. .. ..	.. .. ..	..३६९०
	३—के० पी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़।	१०,१०४	६३० २६४		२४८९	१५७५ ८	१३,०६२ ८
	४—डी० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़।						
	५—तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़।						

अनुदेश सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर।)

संलग्न—पत्र

महीना	कत्ल की संख्या
मई	२
जून	७
जुलाई	३
अगस्त	२
योग ..	१४

७ कत्ल बन्दूक से और ६ कांटा, गंडासा, बरछी, लाठी तथा छुरी से हुये। एक में हथियार का पता नहीं लगा, क्योंकि लाश नहीं मिली।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर।)

जिला मैनपुरी के थानों में जनवरी, १९५४ से जुलाई, १९५४ तक हुई डकैतियों, कत्लों और चोरियों का नक्शा—

क्र० सं०	थाना	डकैतियां	कत्ल	चोरियां
१	कोतवाली	२	२	४०
२	शिकोहाबाद	१	०	२२
३	सिरसागंज	१	२	२२
४	घिरोर	४	१	१३
५	जसराना	२	१	१०
६	एका	३	२	१३
७	फरिहा	०	०	७
८	भोगांव	०	३	९
९	बेवर	३	३	८
१०	किशनी	१	०	१६
११	कुर्रा	२	४	२
१२	करहल	०	४	१३
१३	कुरावली	१	२	८

अमर उजाला

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५८ एल० ए०—१९५५—८००।